WWW.LIVELAW.IN

UPBH010023642021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट-प्रथम, बहराइच

उपस्थित– नितिन पाण्डेय (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J. O. Code No.– UP1585}

सत्र परीक्षण संख्या- 643/2021

सरकार---अभियोगी
प्रति
1–फूलचन्द्र कनौजिया पुत्र स्व० ननकऊ
2– रोशनलाल पुत्र दुलारे,निवासीगण रेहुआ खास, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच
---अभियुक्तगण

अपराध संख्या- *67/2021*
धारा-*364, 376(3), 302, 120B* भा०द०सं०
एवं *धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012*
थाना- बौण्डी, जनपद-बहराइच

अभियोजन की ओर से उपस्थित- विशेष अभियोजक (दाण्डिक) संत प्रताप सिंह एवं सन्तोष सिंह एवं व्यक्तिगत अधिवक्ता के०एस० तोमर

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित- विद्वान (न्यायमित्र)/ अधिवक्ता राज कुमार श्रीवास्तव

अभियुक्त रोशन लाल की ओर से उपस्थित- विद्वान अधिवक्ता राम छबीले शुक्ल

घटना की तिथि	**10-04-2021**
तहरीर प्रेषित करने की तिथि	**11-04-2021**
अभियोग पंजीकृत करने की तिथि	**11-04-2021**
विवेचना प्रारम्भ होने की तिथि	**11-04-2021**
विवेचना समाप्त होने की तिथि	**03-06-2021**
संज्ञान की तिथि	**11-06-2021**
अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने की तिथि	**25-06-2021**
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	**29-06-2021**

WWW.LIVELAW.IN

विचारण समाप्त होने की तिथि	**05-10-2021**

निर्णय

1– अभियुक्त फूलचन्द्र कनौजिया पुत्र स्व० ननकऊ का विचारण धारा 364, 376(3), 302 भा०द०सं० एवं धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप में तथा अभियुक्त रोशनलाल पुत्र दुलारे का विचारण धारा 364, 376(3), 302, 120B भा०द०सं० एवं धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप में किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ*** **निर्णीत दिनांक 11–12–2018 में पारित दिशा निर्देश व धारा 228A भा०द०स० के प्रावधान तथा बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(7) में वर्णित प्रावधान एवं मामले में पीड़िता के सम्मान व समाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए, इस निर्णय में इस प्रस्तर से निर्णय के अन्त तक मृतका/पीड़िता/वादी मुकदमा की पुत्री को उसके वास्तविक नाम से सम्बोधित न करते हुए, मृतका को ''अपराजिता '' कह कर सम्बोधित किया जायेगा।**

2– अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा संतोष सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह,निवासी रेहुआ खास द्वारा थाना बौण्डी में एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया कि वादी मुकदमा की **लड़की उम्र 12 वर्ष** अपनी दूकान से अपने घर पर **दिनांक–10–04–2021** की **रात्रि करीब 08.30** बजे दुकान बन्द करके जा रही थी। रास्ते में अज्ञात लोगो के द्वारा वादी मुकदमा संतोष सिंह की लड़की का अपहरण कर लिया गया। प्रार्थी/वादी मुकदमा संतोष सिंह की तबियत खराब होने के कारण वह घर पर मौजूद था। **9.00 बजे** तक लड़की के घर पर न पहुंचने पर वादी मुकदमा संतोष सिंह/लड़की के पिता ने छानबीन करना शुरू किया। हर सम्भव स्थान पर तलाश करने के बाद भी लड़की नहीं मिली। काफी लोगो द्वारा छानबीन व ढूंढ़ने के बाद **नाले के पास लड़की का मृत शरीर पूर्ण नग्न अवस्था में मिला।** शव को तत्काल उठाया गया तथा फोन द्वारा **पुलिस स्टेशन** को **10.30** बजे **सूचित** किया गया। लड़की के शरीर पर **काफी** भयानक तरीके से **चोट के निशान** भी मौजूद थे। **गैंग रेप** जैसा वीभत्स घटना की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। याचना की गयी कि उसकी रिपोर्ट लिखकर अपराधियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त तहरीर प्रातः 05.45 बजे अंकित की गयी।

3– वादी की लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना बौण्डी, जनपद बहराइच में अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–67/2021 पर धारा 364, 302 भा०द०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4– विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना में प्रथम विवेचक दौरान विवेचना बदले गये एवं अन्तिम स्तर की विवेचना द्वितीय विवेचक द्वारा सम्पादित की गयी।विवेचनोपरान्त मामले में

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त फूलचन्द्र कनौजिया के विरूद्ध धारा 364, 376(3), 302 भा०द०सं० एवं धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा अभियुक्त रोशनलाल पुत्र दुलारे के विरूद्ध धारा 364,376(3), 302, 120B भा०द०सं० एवं धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोप पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट बहराइच में प्रेषित किया गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट द्वारा दिनांक 11–06–2021 को पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 15–06–2021 के अनुक्रम में स्थानान्तरण उपरान्त यह पत्रावली इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई।अभियुक्तगणो को उनके विधिक अधिकार से अवगत कराते हुए अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया को न्यायमित्र की विधिक सेवाएं प्रदान की गयी। अभियुक्त रोशनलाल की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता मुकदमें की पैरवी हेतु उपस्थित हुए।

5– अभियोजन एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने के उपरान्त अभियुक्त फूलचन्द्र कनौजिया के विरूद्ध दिनांक 25–06–2021 को अन्तर्गत धारा 364, 376(3), 302 भा०द०सं० एवं धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोप विरचित किया गया तथा अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध दिनांक 25–06–2021 को अन्तर्गत धारा 364, 376(3), 302, 120B भा०द०सं० एवं धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्त **फूल चन्द** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किये गये–

प्रथम– यह कि दिनांक 10–04–2021, समय 08.30 बजे शाम, स्थान– दुकान के रास्ते में, बहद– ग्राम रेहुआ खास, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सन्तोष सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष का व्यपहरण या अपहरण हत्या करने के लिए किया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 364 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सन्तोष सिंह की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा एक 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग किया गया है और जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सन्तोष सिंह की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की

WWW.LIVELAW.IN

(मृतका) की हत्या कर दिया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 302 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अभियुक्त **रोशनलाल** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किये गये–

प्रथम– यह कि दिनांक 10–04–2021, समय 08.30 बजे शाम, स्थान– दुकान के रास्ते में, बहद– ग्राम रेहुआ खास, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सन्तोष सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष का व्यपहरण या अपहरण हत्या करने के लिए किया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 364 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सन्तोष सिंह की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा एक 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग किया गया है और जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा सन्तोष सिंह की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की (मृतका) की हत्या कर दिया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 302 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा सन्तोष सिंह की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष की हत्या व उसके साथ बलात्संग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120–B के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की अवयस्क लड़की (मृतका) उम्र 12 वर्ष पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त फूलचन्द व रोशन लाल को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उनके द्वारा उपरोक्त आरोपो से इन्कार किया गया एवं विचारण की मांग की गयी।

6– अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपो को सिद्व करने के लिये अभियोजन द्वारा पी० डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह, पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह, पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव, पी०डब्लू०–4 दिनेश कुमार शुक्ल, पी०डब्लू०–5 डॉ० तलहा शमसी चिकित्साधिकारी, पी०डब्लू–6 डॉ० राबिया सुल्ताना, चिकित्साधिकारी, पी०डब्लू०–7 कान्सटेबिल मोहर्रिर राकेश कुमार, पी०डब्लू०–8 अरविन्द कुमार मिश्र, प्राधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर राजा बौण्डी जनपद बहराइच, पी०डब्लू०–9 मनोज कुमार राय, पी०डब्लू०–10 निरीक्षक रवीन्द्र नाथ सिंह एवं पी०डब्लू० 11 वरिष्ठ उप–निरीक्षक,रघुवीर गौतम को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त अभियोजन साक्षियो द्वारा स्वयं से सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रो को साबित किया गया है।

7– अभियोजन द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रो को साबित कराया गया है।

क्रम सं० 1	तहरीर	प्रदर्श क–1
2	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–2
3	पंचनामा	प्रदर्श क–3
4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
5	माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट	प्रदर्श क–5
6	एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–6
7	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–7
8	पूरक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–8
9	छात्र लेखापत्रक प्रयाणपत्र	प्रदर्श क–9
10	प्रवेश विवरण पंजीका	प्रदर्श क–10
11	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–11
12	जन्मतिथि प्रमाणपत्र	प्रदर्श क–12
13	आरोपपत्र	प्रदर्श क–13
14	13-05-2021 को घटना से सम्बन्धित बनायी गयी नक्शा नजरी	प्रदर्श क-14
15	फोटो लाश	प्रदर्श क-15
16	पुलिस प्रपत्र 13	प्रदर्श क-16-

WWW.LIVELAW.IN

17	चिट्ठी सी०एम०ओ०	प्रदर्श क-17
18	चिट्ठी आर०आई०	प्रदर्श क-18

नोट– उक्त अभियोजन प्रपत्रो के अतिरिक्त पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगाशाला की रिपोर्ट A–23/3 लगायत A–23/4 उपलब्ध है जिसकी औपचारिक प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त फूलचन्द का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता(निर्णय में अब इसे,द०प्र०स० से सम्बन्धित किया जायेगा।) अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त फूलचन्द द्वारा घटना के तथ्यों को गलत बताते हुए रंजिशन मुकदमा चलाया जाना कहा गया तथा विशिष्ट कथन के रूप में यह कथन किया गया कि साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 3 से जमीनी विवाद था। यह भी कथन किया गया कि भूपेन्द्र ने उसकी तनख्वाह 06 महीने से नहीं दी है। यह भी कथन किया गया कि वह उनके यहां ड्राइवर था और उसी की तनख्वाह भूपेन्द्र ने नहीं दी। यह भी कथन किया गया कि डी०एन०परीक्षण हेतु उसका सैम्पल लिया गया था।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त रोशनलाल का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त रोशन लाल द्वारा घटना के तथ्यों को गलत बताते हुए रंजिशन मुकदमा चलाया जाना कहा गया तथा विशिष्ट कथन के रूप में यह कथन किया गया कि साक्षी पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह से उसकी खेत की रंजिश थी। यह भी कथन किया गया कि भूपेन्द्र से खेत की मेड़ की भी रंजिश थी। यह भी कथन किया गया कि उसे नाजायज फंसाया गया है। यह भी कथन किया गया कि पी०डब्लू० 3 सुरेश के भाई चुनाव लड़ रहे थे। उसने दूसरे पक्ष का साथ दे दिया। इसलिए सुरेश ने उसके विरूद्व गवाही दे दी है। यह भी कथन किया गया कि दिनेश ने भी नाजायज फंसाया है। यह भी कथन किया गया कि पुरानी रंजिश के कारण झूठी गवाही दिया है।यह भी कथन किया गया कि जिस दिन की घटना है, वह मौसी के घर था। यह भी कथन किया गया कि वह दूसरे दिन वापस आया।यह भी कथन किया गया कि पुलिस ने बाद में पकड़ा था ।

9– सफाई साक्ष्य के रूप में अभियुक्त रोशन लाल की ओर से डी०डब्लू० 1 पेशकार व डी०डब्लू० 2 संतोष कुमार परीक्षित हुए।अभियुक्त फूलचन्द द्वारा किसी भी सफाई साक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक 06–10–2021 को मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० अंकित किये गये। अभियुक्त फूलचन्द द्वारा अपने अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में यह कथन किया गया कि अभियुक्त रोशन लाल उसके गांव का रहने वाला है। यह भी कथन किया गया कि वह मृतका

WWW.LIVELAW.IN

को जानता है।अभियुक्त रोशनलाल द्वारा अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में यह कथन किया गया कि फूलचन्द कनौजिया उसके गांव का रहने वाले है। अन्त में यह भी कथन किया गया कि वह मृतका को पहले से जानता था।

टिप्पणी–प्रकरण एक नाबालिग लड़की के बलात्कार एवं हत्या जैसे गम्भीर अपराध से सम्बन्धित है,ऐसे में इस निर्णय के किसी भी भाग में उस नाबालिग लड़की जिसके साथ ऐसा जघन्नय अपराध कारित हुआ है उसे पीड़ित कह कर सम्बोधित करना मेरे मत से उसका अपमान होगा,ऐसे में इस निर्णय के अग्रेतर भाग में दौरान विचारण जहां–जहां प्रकरण से सम्बन्धित नाबालिग ल ड़की को पीड़िता /मृतका कह कर सम्बोधित किया गया है वहां–वहां उसे उसके काल्पनिक नाम अपराजिता कह कर सम्बोधित किया जायेगा। निर्णय के सम्प्रेक्षण में भी प्रकरण से सम्बन्धित नाबालिग लड़की को उसके काल्पनिक नाम अपराजिता कह कर ही सम्बोधित किया जायेगा।

10– मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यो का पूर्ण विवरण

पी० डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य मे सशपथ कथन किया कि अपराजिता उसकी नाबालिग बेटी है। वह किराना की दुकान व गांव में खेती करता है। उसकी परचून की दुकान उसके बड़े भाई के घर पर है एवं घर के सामने है। ''अपराजिता'' घटना के समय कक्षा–8 की छात्रा थी। वह अपनी परचून की दुकान पर रोजाना स्वयं बैठकर बिक्री करता था। ''अपराजिता'' (बेटी) जिसकी घटना में हत्या एवं बलात्कार हुआ था, वह उसे रोजाना स्कूल से, दोपहर में आने के बाद घर से खाना लाकर दुकान पर देती थी और थोड़ी देर दुकान पर बैठकर वापस चली जाती थी। घटना के समय ''अपराजिता'' की उम्र 12 साल थी। घटना दिनांक–10–04–2021 की है। वह अपनी परचून की दुकान रोजाना रात में 8.30 बजे बन्द कर देता था। घटना वाले दिन वह अपनी परचून की दुकान खोलने नहीं गया था, क्योंकि सुबह जब वह गेहूं काटकर आया था तो उसे बुखार आ जाने के कारण वह दुकान खोलने नहीं जा पाया था। दिनांक 10–04–2021 को ही जब उसकी बेटी दोपहर स्कूल से पढ़कर वापस आयी तो उसने परचून की दुकान पर जाकर खुद दुकान खोली और दुकान पर बैठकर बिक्री करने लगी क्योंकि दुकान उसकी नकद कमाई का जरिया था। घटना वाले दिन दिनांक 10–04–2021 को जब उसकी बेटी दुकान 8.30 बजे बंद करने के बाद घर वापस नहीं पहुंची तब उसे इस बात की चिन्ता हुई कि उसकी बेटी घर वापस नहीं आयी। बुखार होने के कारण वह उस दिन घर पर ही था। बेटी के घर न पहुंचने पर वह परेशान होकर अपने भाई व भतीजे भूपेन्द्र को फोन करके बताया कि उसकी बेटी दुकान बन्द करने के बाद घर नहीं पहुंची है। बेटी के घर न पहुंचने पर वह अपनी बेटी की तलाश में अपने घर से निकला और उसके परिवार के भाई व भतीजे जो अलग मकान में रहते है,वह लोग भी उसके द्वारा सूचना पाकर उसकी बेटी को ढूढ़ने घर से निकले थे और हम सभी लोग साथ में मिलकर रात में ही अपनी बेटी को तलाश करने लगे। तलाश करते

WWW.LIVELAW.IN

समय उसके साथ उसका भतीजा भूपेन्द्र, भाई मुलुकराज तथा अन्य लोग भी थे।यह भी कथन किया कि हम लोग अपनी बेटी को ढूढ़ते गांव के पास स्थित नाले के पास पहुंचे। नाले के किनारे नरकुल की झाड़ी लगी हुई थी। जब हम लोग नाले के पास पहुंचे और टार्च लगाकर देखा गया तो बेटी की लाश नाले में पड़ी थी। नाले में कीचड़ था, पानी नहीं था। मृतका का शव नग्न अवस्था में उसी नाले के कीचड़ में पड़ा हुआ था। जब हम लोग बेटी को तलाश करते हुए नाले के पास पहुंचे थे तो उसी समय नाले के किनारे से फूलचन्द व रोशनलाल को टार्च की रोशनी में हम सभी लोगो ने भागते हुए देखा था। बेटी की लाश को हम लोगो ने नाले से बाहर निकाला। लाश नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर खरोच के निशान थे और गले पर गला दबाने के निशान थे। उसकी बेटी मृतका के पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था। यह भी कथन किया गया कि अपनी बेटी के शव को इस रूप में देखकर वह बहुत ही व्यथित हो गया और सन्न रह गया। रात में ही घटना की सूचना पुलिस को फोन से उसके गांव के प्रधान ने दिया था। वह बेटी के शव को देखकर बहुत ही असहाय हो गया था,इसलिए घटना की सूचना रात में वह थाने पर नहीं दे पाया था। सुबह घटना के बारे में एक तहरीर गांव के ही बालमुकुन्द से लिखवायी थी। तहरीर लिखने के बाद उन्होंने तहरीर पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष में जरिए वीडियो कान्फ्रेसिंग हाजिर अदालत मुल्जिमान फूलचन्द व रोशन को देखकर कहा कि इन्ही मुल्जिमानो को लड़की को ढूढ़ते समय रात को नाले के पास टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा था। शामिल मिसिल तहरीर साक्षी को पढ़ कर सुनाई व दिखायी गयी तो तहरीर पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की । तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह भी कथन किया कि इस तहरीर प्रदर्श क–1 को थाने पर ले जाकर दिया था जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने उसका बयान लिया था। यह भी कथन किया गया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने गांव के लोगो से जानकारी की तो लोगो ने बताया कि उसके ही ट्रैक्टर का ड्राईवर फूलचन्द कनौजिया व उसके दोस्त रोशनलाल रात में दुकान बंद कराने के बाद लड़की को घर छोड़ने के बहाने ले गये थे और बाद में उसको जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ बलात्कार करके तथा पकड़े जाने की ड़र से उसकी गला दबाकर हत्या करके उसके शव को नाले में फेंक दिया। इस बात की जानकारी होने पर उसने यह बात दरोगाजी को बतायी थी। अब उसे पूरा विश्वास है कि उसकी नाबालिग बेटी ''अपराजिता'' को घर छोड़ने के बहाने इन लोगो ने ले जाकर उसके साथ, दोनो अभियुक्तगण ने जबरदस्ती बलात्कार तथा पकड़े जाने के डर से उसका गला दबाकर हत्या करके शव को नाले में फेक दिया था। पुलिस ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुई पैन्ट, शर्ट, एक बन्डल बीड़ी, एक माचिस, एक पान मसाला व एक पुडिया तम्बाकू व एक अदद चड्ढी और मृतका के अन्डर गारमेन्ट, चड्डी व एक अदद दुपट्टा अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया की निशानदेही पर घटना स्थल के पास नाले पर लगी नरकुल के अन्दर से बरामद किया था। बरामदगी के समय वह तथा उसकी पत्नी मौके पर थी। बरामदगी के बाद

WWW.LIVELAW.IN

दरोगाजी ने मौके पर ही फर्द बरामदगी तैयार की थी तथा बरामदशुदा माल को अलग–अलग सर्वमुहर कर मौके पर तैयार किया था। फर्द बरामदगी लिखने के बाद मौके पर ही अभियुक्त फूलचन्द व उसे तथा उसकी पत्नी को पढ़कर सुनाकर सभी के हस्ताक्षर फर्द पर दरोगाजी ने बनवाये थे। शामिल मिसिल फर्द बरामदगी सभी को पढ़कर सुनाई व दिखाई गयी तो गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। यह भी कथन किया गया कि मृतका उसकी बेटी थी जिसकी घटना में बलात्कार के बाद हत्या हुई थी।उसके शव का पंचनामा उसके व अन्य गवाहान के समक्ष भरा था। पंचनामा तैयार करने के बाद दरोगाजी ने सभी गवाहान को पढकर सुनाकर पंचनामा पर सभी के हस्ताक्षर बनवाये थे। शामिल मिसिल असल पंचनामा साक्षी को पढ़कर सुनाकर दिखाया गया तो साक्षी नें उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि की। पंचनामा पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पंचनामा भरने के बाद पुलिस ने मृतका बेटी के शव को सर्वमुहर करके पोस्टमार्टम हेतु बहराइच भेजा था।

अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी । इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया गया कि वह चार भाई है। इस मुकदमें में उसके भाई मुल्कराज सिंह व वीरेन्द्र सिंह के लड़के भूपेन्द्र गवाह है। उसका पुश्तैनी मकान गांव के बीचो– बीच में है। उसके सभी भाईयों का बटवारा हो गया है। उसके भाई वीरेन्द्र सिंह अलग मकान बना कर रहते है। उसके पुश्तैनी मकान से उसके मकान की दूरी लगभग 500–600 मीटर होगी। वीरेन्द्र सिंह के मकान से उसके मकान की दूरी 200–250 मीटर होगी। उसकी दुकान वीरेन्द्र सिंह के मकान से लगभग 4–5 मीटर दूर है। उसकी दुकान उसके भाई वीरेन्द्र सिंह के हिस्से की जमीन में है। दुकान बंद करने के लिए टीन का गेट लगा हुआ है। उसकी दुकान किराने की है। दुकान लगभग 6–7 साल से है। दुकान वीरेन्द्र सिंह की है, वह उसमें केवल बिजनेस करता है।यह भी कथन किया कि वीरेन्द्र सिंह की जमीन में दुकान बनी है जो उसके पिताजी ने बनवाया था। यह भी कथन किया कि इस दुकान में वह प्रति दिन बैठता था। दुकान में बिक्री का हिसाब किताब रखता था।

यह भी कथन किया गया कि उसकी लड़की अपराजिता सरस्वती विद्या मंदिर बौण्डी में पढ़ती थी। यह स्कूल उसके घर से लगभग पांच कि०मी० की दूरी पर है। घटना शनिवार की है। उसकी लड़की कक्षा–8 में पढती थी। उसकी लड़की व उसका लड़का एक ही साईकिल पर स्कूल आते जाते थे। घटना के दिन लड़की की परीक्षा थी, वह परीक्षा देने गयी हुई थी। उसकी लड़की सुबह 8 बजे जाती थी और 12.00 बजे वापस आती थी। लड़की उसकी परीक्षा देने गयी हुई थी। यह भी कथन किया गया कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उस दिन उसकी परीक्षा हुई थी या नहीं। घटना वाले दिन किस विषय की परीक्षा थी, इसका उसे ज्ञान नहीं है। घटना वाले दिन उसका लड़का उम्र 11 साल व उसकी लड़की मृतका दोनो एक साथ परीक्षा देने गये थे। घटना वाले दिन उसका लड़का व लड़की स्कूल

WWW.LIVELAW.IN

से घर आये थे। घटना वाले दिन वह गेहूँ काटने चला गया था। उस दिन उससे कोई बात नहीं हुई थी। रोशनलाल अभियुक्त उसके गांव का रहने वाला है, वह इसको पहले से जानता पहचानता था। वह कहार जाति का है। रोशनलाल का घर उसकी दुकान से 50 मीटर की दूरी पर है। उसके घर से रोशनलाल का घर 150–200 मीटर की दूरी पर है। घटना के पहले से रोशनलाल से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। रोशनलाल की पत्नी और दो बच्चे है। उसके एक लड़का और एक लड़की है। रोशन लाल के एक भाई पेशकार है, उनको जानता हूँ। रोशनलाल और उनके भाई पेशकार ने राजू और पिंकू से कुछ जमीन खरीदी थी, उसी जमीन के दक्षिण में उनके भाई वीरेन्द्र ने भी जमीन खरीदी थी, लेकिन रकबा उसे नहीं मालूम है।

यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन वह 8–9 बजे गेहूँ काटने खेत में गया था। बीच में 1.30–2.00 बजे के करीब वह घर आया था, फिर दुबारा गेहूँ काटने नहीं गया क्योंकि उसकी तबियत खराब थी। सुबह गेहूँ काटने जाने से पहले उसकी मुलाकात उसकी बेटी से हुई थी। गेहूं काटकर सीधे घर आकर तबियत खराब होने के कारण लेट गया था। यह भी कथन किया कि जब वह गेहूं काटकर घर पर वापस आया था तब उसकी बेटी दुकान जा चुकी थी। घटना वाले दिन सुबह उसके सामने उसकी लड़की घर से स्कूल गयी थी। उसकी बेटी घर से दुकान कितने बजे गयी थी, वह यह नहीं बता सकता। यह भी कथन किया कि उसके पूछने पर उसकी पत्नी ने बताया था कि उसका लड़का व उसकी लड़की दोनो दुकान गये है। घटना के दिन सुबह करीब 07–7.30 बजे उसके सामने उसकी लड़की व लड़का साइकिल से स्कूल चले गये थे। यह भी कथन किया कि जब वह खेत से गेहूँ काटकर वापस घर आया था तब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि दोनो बच्चे स्कूल से वापस आकर दुकान चले गये हैं। घटना वाले दिन सुबह स्कूल जाने के बाद के समय के उपरान्त अपनी बेटी को उसने जीवित अवस्था में नहीं देखा था। मृत्यु की अवस्था में पहली बार उसने 10–00 बजे के आस–पास अपनी लड़की को देखा था। घटना की तहरीर उसने बालमुकुन्द से लिखायी थी। बालमुकुन्द सिंह से उसने दिनांक–11–04–2021 को सुबह 4 बजे घटना की तहरीर अपने दरवाजे पर लिखाया था। मृत अवस्था में अपनी पुत्री को देखने के उपरान्त उसे सदमा लगा था। बालमुकुन्द सिंह को उसने अपने भतीजे के माध्यम से बुलवाया था। यह भी कथन किया कि तहरीर लिखे जाने के बाद करीब 05–5.30 बजे हम लोग तहरीर लेकर थाना बौण्डी गये थे। उसके साथ बालमुकुन्द मोटर साइकिल से गये थे और बाद में अशोक, सरोज और अमरेन्द्र सिंह प्रधान तथा गांव के अन्य लोग भी थाना गये थे। उसके भाई मुलुकराज सिंह भी थाना गये थे। तहरीर को उसने थाने पर गांव के प्रधान अमरेन्द्र को दिया था और अमरेन्द्र प्रधान उसे साथ लेकर गये और तहरीर दरोगाजी को दे दिया। तहरीर पर उसने हस्ताक्षर बनाया था। बालमुकुन्द सिंह ने तहरीर लिखकर उसको पढ़कर सुनाया था। तहरीर देने के बाद उसका थाने पर कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ था। तहरीर के आधार पर उसे चिक रिपोर्ट मिली थी फिर इसके बाद वह लोग वापस घर चले आये थे। दरोगाजी ने रात में ही उसके घर पर उससे

WWW.LIVELAW.IN

पूछताछ किया था।यह भी कथन किया कि रात में दरोगाजी ने उससे कितने बजे पूछतांछ किया था, वह नहीं बता सकता। उस दिन रात को पूछताछ के बाद दरोगाजी सुबह आकर दोबारा पूछताछ किये थे। उसके बात भी दरोगाजी पूछताछ करते रहे। उसकी फोन से पहले बातचीत मनोज राय एस०ओ० से हुई थी। यह बातचीत दूसरे दिन सुबह करीब सात बजे हुई थी। इसके बाद फिर आमने–सामने दरोगाजी से उसकी बातचीत मुल्जिम फूलचन्द्र को पकड़कर लाने के समय हुई थी।यह भी कथन किया कि उसने तहरीर पर दरोगाजी के सामने हस्ताक्षर बनाया था। उसके बाद दरोगाजी उससे दो बार जब बयान लिया तब हस्ताक्षर बनवाया था और जब कपड़ा पकड़े थे तब हस्ताक्षर बनवाया था। दरोगाजी ने जिन कागजातो पर उससे हस्ताक्षर बनवाया था, उसमें क्या लिखा था, वह पूरा नहीं बता सकता। दरोगाजी ने जिन कागजातो पर उससे हस्ताक्षर बनवाया था उनको पढ़कर उसको सुनाया था, तब उसने हस्ताक्षर बनाया था।

यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन की रात अंधियारी थी। घटना वाले दिन जब वह गेंहूँ काट कर घर पर वापस आकर लेटा हुआ था, उस समय उसे तेज बुखार था व जूड़ी लग रहा था। रात को 08:30 बजे तक जब उसकी लड़की घर वापस नहीं आयी थी, तब उसने अपने भतीजे भूपेन्द्र सिंह को फोन किया था। उस समय लगभग 9.00 बज रहे थे। भूपेन्द्र सिंह ने उसको फोन पर ही बताया था कि उसकी लड़की करीब 08.30 बजे दुकान से घर के लिये चली गयी है। भतीजे से सूचना पाकर वह अपनी लड़की को तलाश करने चल दिया। वह अपनी पत्नी, भाई मुलुकराज सिंह तथा उनकी पत्नी घर से तलाश करने के लिए निकले थे तथा उसके भतीजे की दुकान की ओर से तलाश करने के लिए आ गये थे। गांव के उसके चचेरे भाई भी आ गये थे और गांव के करीब 150–200 आदमी इकट्ठा हो गये थे। यह सब लोग चारो ओर फैलकर उसकी लड़की की तलाश करने लगे। लड़की की तलाश करने में करीब एक घण्टा समय लगा होगा। किसी ने यह सूचना नहीं दिया कि लाश नाले के पास पड़ी हुई है। उसने अपनी तहरीर में यह लिखाया था कि" काफी लोगो द्वारा छानबीन व ढूड़ने के बाद नाले के पास लड़की का मृत शरीर मिला''। यह भी कथन किया कि अमरेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान ने उसके कहने पर थाने पर फोन किया था, उसके 20–25 मिनट के बाद पुलिस आ गयी थी। दरोगाजी मनोज राय भी साथ में आये थे। दरोगाजी ने दूसरे दिन, कपड़ा आदि बरामद किया था। रात के 10.00–10.15 बजे लड़की की लाश लेकर वे लोग अपने घर गये थे। पुलिस वाले घर पर तब पहुंचे थे।यह भी कथन किया कि जब हम लोग लाश लेकर घर पहुंच गये थे, लाश का पंचायतनामा उसके दरवाजे पर उसी दिन रात में करीब 12.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य हुआ था। पंचायतनामा में क्या लिखा था, वह नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय वह काफी सदमे में था। उससे पंचायतनामा पर हस्ताक्षर करवाया गया था। घटना के बाद घटना स्थल से जाने के बाद उस सदमें से वह इतना दुःखी नहीं था कि उसे जानकारी नहीं हो पायी थी। पंचायतनामा होने की उसे जानकारी थी। बालमुकुन्द उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर थाने ले गये थे। घटना के समय पंचायत चुनाव चल रहे थे, उस पंचायत चुनाव में वह

WWW.LIVELAW.IN

बी०डी०सी० का प्रत्याशी था। उसके मुकाबले में कीर्तन तिवारी व कमलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। खैरहन उसके गांव से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। उसे नहीं मालूम है कि खैरहन गांव के सुरेश यादव इस मुकदमें में गवाह है कि नहीं।यह भी कथन किया कि उसके गांव में शराब भट्ठी है, जिसके मुनीम देशराज यादव है। देशराज यादव टावर नगरा के रहने वाले है जो उसके गांव से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि लोगो के बहकाने से रोशनलाल मुल्जिम का नाम उसने अपने बयान में ले लिया है। पुनःयह भी कथन किया कि यह भी कहना गलत है कि वह न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि रात में तहरीर सादे कागज पर लिखी गयी थी। तहरीर इंक वाली पेन से लिखी गयी थी या डाटपेन से लिखी गयी, उसे नहीं मालूम है। दुकान से ट्रान्सफार्मर की दूरी लगभग सौ मीटर के अन्दर होगी। घटना स्थल से मिला हुआ ननकऊ कहार का बंगला(फूस का छप्पर) था। घटना स्थल के उत्तर दक्षिण कोलिया है। ननकऊ कहार के पूरब बन्टी वारी का मकान है। ननकऊ कहार के उत्तर इतवारी का मकान है। घटना स्थल के पश्चिम नहर मिली हुई है। ट्रांसफार्मर पर लाईट नहीं लगी हुई है। घटना शनिवार की है। अभियुक्त फूलचन्द उसके वहां ड्राइवर का काम करते थे। घटना वाले दिन फूलचन्द बहराइच आये थे। घटना वाले दिन उसका ट्रैक्टर फूलचन्द घर से बहराइच लेकर आये थे और बनवाकर वापस गांव उसके घर आ गये थे। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त फूलचन्द को उसने वेतन नहीं दिया था और फूलचन्द उससे बराबर अपना वेतन मांगते थे तथा वह उनसे कहता कि गेंहूँ कटने के बाद पैसे दे दूंगा, इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी और इस कारण उसने मौका पाकर इस मुकदमें में फूलचन्द को झूंठा फंसा दिया।

इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि घटना वाले दिन उसे उसकी भाभी ने बताया था कि फूलचन्द ट्रैक्टर बनवाने भूपेन्द्र के साथ बहराइच गये थे। ट्रैक्टर उसने भूपेन्द्र के घर पर देखा था। जब एफ०आई०आर० कराने गये थे, तब ट्रैक्टर देखा था।यह भी कथन किया गया कि गांव के कुछ अन्य लोगो द्वारा उसे बताया गया कि फूलचन्द और रोशनलाल दुकान बंद करवाकर उसकी लड़की को घर भेजने गये है। फूलचन्द उसके घर पर तथा रोशनलाल दुकान पर आते जाते रहते थे।यह भी कथन किया कि बहराइच से उसका घर लगभग 24–25 किलो मीटर की दूरी पर है।

टिप्पणी–उपरोक्त साक्षी जो कि अपराजिता का पिता है,प्रकरण का प्रथम सूचक है। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से घटना दिनांक 10–04–2021 को रात में समय 8.30 से 10.00 बजे के बीच होने के साक्ष्य दिये गये है।अपने साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता को नाले में नग्न मृत अवस्था में देखे जाने का कथन किया जा रहा है।अपराजिता के शरीर पर देखी गयी चोटो का भी कथन किया जा रहा है एवं यह

WWW.LIVELAW.IN

भी कथन किया जा रहा है कि अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल को नाले के पास से भागते हुए देखा गया। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य में यह भी आया है कि दौरान विवेचना उसे जानकारी हुई कि अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल दुकान बन्द करवा के अपराजिता को घर छोड़ने के बहाने ले गये एवं उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कारित कर दी। उपरोक्त साक्षी द्वारा दिनांक 11–04–2021 को स्वयं द्वारा प्रेषित तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया गया है।

पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह ने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि वादी मुकदमा संतोष सिंह रिस्ते में उसके चाचा है।अपराजिता रिश्ते में उसकी चचेरी बहन है। घटना दिनांक–10–04–2021 की है। समय लगभग 8.30 बजे रात की घटना है। फूलचन्द कनौजिया व रोशनलाल, अभियुक्तगण को वह जानता पहचानता है। वह लोग उसके गांव के ही रहने वाले हैं। हाजिर अदालत मुल्जिमान फूलचन्द कनौजिया व रोशनलाल को देखकर गवाह ने पहचान करते हुए कहा कि वह यही लोग है। अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करते हैं। स्थायी रूप से किसी के यहां काम नहीं करते है। उसका ट्रैक्टर उसे व, उसके चाचा व फूलचन्द ही चलाता है। फूलचन्द को जब जरूरत होती है तो वे लोग उसे बुला लेते हैं और उसे ट्रैक्टर जुताई का कार्य कराते है। उसके घर का ट्रैक्टर उसका पुस्तैनी ट्रैक्टर है जिससे पूरे परिवार के लोगो का कृषि कार्य होता है। फूलचन्द व रोशलाल आपस में घनिष्ट मित्र है। घटना वाले दिन उसका ट्रैक्टर सुबह बनवाने के लिए फूलचन्द कनौजिया उसे बहराइच ले गये थे। वह भी ट्रैक्टर बनवाने के लिए बहराइच मोटर साइकिल से गया था। ट्रैक्टर उसी दिन दोपहर के करीब बन गया था। ट्रैक्टर ठीक कराने के बाद उसे फूलचन्द के साथ वापस घर भेज दिया था और वह भी सांयकाल करीब 6.30–7.00 बजे मोटर साइकिल से घर वापस आ गया था। बहराइच से वापस आने के बाद वह अपने घर पर ही था कहीं बाहर नहीं गया था। बहराइच से आने के बाद वह कपड़े निकालकर आराम से बाहर अपने दरवाजे पर चारपाई पर लेट गया जहां से उसके चाचा सन्तोष कुमार सिंह की परचून की दुकान लगभग 5–6 कदम पर है। संतोष की परचून की दुकान उसके दरवाजे पर ही है। परचून की दुकान पर बिक्री हेतु उसके चाचा बैठते थे और लगभग 8.30 बजे रात में रोजाना दुकान बंद कर देते थे। अपराजिता कभी–कभी दुकान पर आती रहती थी और अपने पिता के लिए दोपहर का खाना भी लाती थी और दुकान पर थोडी देर रूकने के बाद वापस घर चली जाती थी। घटना वाले दिन जब वह बहराइच से वापस अपने घर आया था तो उस समय दुकान पर उसकी बहन को बिक्री करते हुए देखा था। उस दिन उसी ने दुकान खोली थी। बहराइच से वापस आकर वह आराम करने के लिए परचून की दुकान से 5–6 कदम पर चारपायी पर लेट गया था। घटना वाले दिन उसकी आँखो के सामने ही उसकी बहन ने 08:30 बजे दुकान बंद किया था। जब वह दुकान बंद कर रही थी तो उस समय **मौके पर फूलचन्द व रोशनलाल भी थे**। फूलचन्द व रोशनलाल ने अपराजिता से कहा कि चलो तुमको घर भेज आये और

WWW.LIVELAW.IN

तुम्हारे डैडी की तबियत खराब है उनको भी देख आवे। यह बात उसने अपने कानो से सुनी थी। इसके पश्चात उसकी आँखों के सामने ही उसकी बहन फूलचन्द व रोशनलाल के साथ दुकान बंद करके घर के लिए चली गयी थी। उसकी बहन के फूलचन्द व रोशलाल के साथ जाने के करीब आधे घंटे के बाद उसके चाचा संतोष का फोन आया और पूछा कि उसकी बेटी क्या दुकान पर ही रूक गयी है तब उसने उन्हें फोन पर बताया कि बिटिया यहां नहीं है, वह दुकान बंद करके फूलचन्द व रोशनलाल के साथ घर गयी है,तब उसके चाचा ने बताया कि बिटिया अभी घर नहीं आयी है, तब वह टार्च लेकर अपने चाचा संतोष के घर की तरफ चल दिया।यह भी कथन किया कि जब वह टार्च लेकर अपने चाचा के घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में बिटिया को ढूढ़ने निकले परिवार के अन्य सदस्यो से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद वे सभी लोग अपराजिता को ढूंढ़ने लगे। कई जगह गांव में ही अगल–बगल लड़की को ढूंढ़ा गया। जब वे उसे ढूंढ़ते हुए गांव के पास नाले पर पहुंचे, नाले के किनारे नरकुल लगी हुई थी। नाले में कीचड़ था। नाले के करीब पहूंचने पर उसने टार्च जलाया तो देखा कि फूलचन्द व रोशनलाल उस जगह से भाग रहे थे। उसने इन लोगो को भागते हुए देखा था। उन लोगो ने नाले में टार्च जलाकर देखा तो अपराजिता की लाश नाले के कीचड़ में पड़ी हुई थी। तब अपराजिता के शव को नाले से निकाला गया तो उसका शव बिलकुल नग्न अवस्था में था । उसके शरीर पर खरोच के निशान थे। उसके गले पर भी दबाने के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गयी थी। अपराजिता के पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था। उसने टार्च की रोशनी में अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल को उसी जगह के पास से भागते हुए देखा था जहां पर अपराजिता की लाश मिली थी। यह भी कथन किया कि बिटिया का शव मिलने के बाद वे लोग उसे घर ले आये थे। रात में ही गांव के प्रधान ने फोन के द्वारा थाने पर सूचना दी थी। इस घटना की सूचना सुबह उसके चाचा ने थाने पर दिया था, जिसके आधार पर थाने पर मुकदमा लिखा गया था।यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से की गयी प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके मकान के उत्तर दिशा में मिली हुई दुकान है। उसके मकान पर दरवाजा उत्तर दिशा में है। उसी दरवाजे पर चारपायी पड़ी हुई थी, जिस पर वह लेटा हुआ था और उसी सहन के उत्तर मिली हुई दुकान है और उसी के उत्तर खडन्जा रोड है।उसकी दुकान की लम्बाई–चौड़ाई वह नहीं बता सकता है। इस दुकान को उसने अपने चाचा को न तो बिक्री किया है और न उसे किराये पर दिया है। उसने इस दुकान को अपने चाचा संतोष को परचून कि दुकान खोलकर बिक्री करने के लिए वैसे ही दिया है। अपराजिता की लाश जहां पर मिली थी, उस नाले के पूरब तरफ, बंगला फूस का बना हुआ है। यह बंगला किसका है, वह नहीं जानता है। लाश मिलने वाली जगह से वह बंगला लगभग 10–20 कदम की दूरी पर है। नाले के पूरब दिशा में कुछ लोगो के

WWW.LIVELAW.IN

मकान बने हैं। इन मकानो में लोग परिवार सहित रहते हैं। ट्रांसफार्मर उसके घर से लगभग 100–200 कदम की दूरी पर पश्चिम की तरफ है। रोशनलाल के भाई पेशकार है। रोशनलाल ने रामू व पिन्कू से कुछ जमीन खरीदी थी जिसको वह जानता है। उस जमीन के दक्षिण तरफ उसके पिता वीरेन्द्र ने करीब एक बीघा जमीन खरीदी थी, यह जमीन घटना से पहले खरीदी थी। वह यह नहीं जानता कि उक्त जमीन को रोशनलाल भी लेना चाहते थे, परन्तु उसके पिता ने उसे खरीद लिया था। उस जमीन को उसके पिता जी ने एक हरिजन को बटाई पर बोने जोतने के लिए दे दिया था। रोशनलाल ने जो जमीन ली थी उस पर वह क्या करते है, वह नहीं बता सकता। उसके घर से वह जमीन लगभग डेढ किलो मीटर की दूरी पर है। यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि उस जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर उसके पिता जी तथा अभियुक्त रोशनलाल से कुछ विवाद हुआ था। उसके चाचा बी०डी०सी० का चुनाव लड़ रहे थे। उनके मुकाबले में कीर्तन तिवारी लड़ रहे थे। वह यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त रोशनलाल, कीर्तन तिवारी की मदद करता था लेकिन वह उसके चाचा के साथ नहीं था।यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन ट्रैक्टर वाला पहले बहराइच पहुंच गया था, वह बाद में पहुंचा था। ट्रैक्टर का नियन्त्रण उसके बाबा तेजबहादुर सिंह के पास है। वह सभी लोगो के पास रहते हैं। उसके बाबा ने ट्रैक्टर बनवाने के लिए कहा था। बहराइच से वह 06.00–07.00 बजे सांयकाल को वापस घर पहुंचा था। उसके पहुंचने पर उसके घर पर उसकी मम्मी थी। बाकी दोनो लोग खेत गये हुए थे। जब वह पहुंचा तो दुकान खुली थी, दुकान पर लड़की बैठी हुई थी। उसने लड़की से कोई पूछताछ नहीं किया था। वह सीधे अपने घर के अन्दर चला गया था, जहां घर पर वह चारपाई पर लेटा हुआ था। वहां से दुकान दिखायी दे रही थी। उस दिन वापस आने के बाद उसके हाथ पैर में दर्द हो रहा था जिस कारण वह लड़की से नहीं पूछ पाया कि वह दुकान पर अकेली क्यों बैठी है, चाचा क्यों नहीं आये। दुकान पर लोग सामान खरीदने वाले आते जाते थे, उनको वह देख रहा था। दुकान बंद करते हुए उसने लड़की को देखा था। दुकान बंद करके ताला लड़की ने लगाया था। उस समय भी उसने लड़की से कोई पूछताछ नहीं किया था, क्योंकि उसकी तबियत खराब थी। उसने दवा कम्बीफ्लेम खायी थी। लड़की के साथ वह इसलिए नहीं गया क्योंकि वह दोनो लोग बराबर आते जाते रहते थे और गांव घर के थे। उसके पिताजी व बाबा उस दिन करीब आठ बजे जानवर लेकर घर वापस आये थे। उसके पिताजी व बाबा चूंकि घर के अन्दर थे इसलिए उन्होंने भी भेजने जाने का प्रयास नहीं किया। इन लोगो से उसने अपनी तबियत खराब होने वाली बात नहीं बतायी थी। उसके बाबा ने बिटिया से उसके सामने पूछा था कि बिटिया आज तुम अकेली क्यों बैठी हो पिताजी क्यों नहीं आये, बिटिया ने बताया कि डैडी गेहूं काटने गये थे, उनकी तबियत खराब हो गयी है इसलिए नहीं आये हैं। बहराइच से उसके वापस लौटने के करीब घण्टा डेढ़ घण्टा बाद दोनो मुल्जिमान आये। यह भी कथन किया कि उसने ट्रैक्टर ड्राइवर से यह नहीं पूछा कि ट्रैक्टर ठीक–ठाक चल गया है एवं वह कब वापस आया एवं इस समय वह यहां क्या कर रहा है। ट्रैक्टर दरवाजे पर खड़ा था। उसे पहले चाचा से पता चला कि

WWW.LIVELAW.IN

लड़की घर नहीं पहुंची थी। प्रधानजी ने लड़की की हालत को देखकर ही थाने पर सूचना दे दी थी। प्रधानजी को फोन करते हुए उसने सुना था। प्रधानजी के फोन करने में कितने देर बाद पुलिस आई। वह नहीं जानता है।यह भी कथन किया कि लड़की की लाश जब चाचा के दरवाजे पर पड़ी हुई थी। वहीं पर वह भी मौजूद था।यह भी कथन किया कि उसे याद नहीं है कि लड़की की लाश को उठाकर कौन ले गया था। वह लाश को लेकर नहीं गया था। चाचा के दरवाजे पर वह रोता बिलखता गया था। उसने किसी आदमी को नहीं देखा था कि किसी के कीचड़ व खून कपड़े पर लगा हुआ था। वह मोबाइल रखता है। पुलिस के आने का टाइम उसने मोबाइल में भी नहीं देखा था। वह मोबाइल की टार्च नहीं बल्कि घर से तीन सेल की टार्च लेकर गया था। दरोगाजी ने उससे टार्च मांगा था, उसने उनको बताया था कि इसी टार्च की रोशनी में उसने अभियुक्तो को देखा था। दरोगाजी ने टार्च लेकर देखा था और फिर वापस कर दिया था।लिखा पढ़ी नहीं की थी। यह भी कथन किया कि रात में जो दरोगा जी आये थे, उन्होंने ही टार्च मांगी थी। वह उनका नाम नहीं जानता। दोबारा दरोगा जी ने टार्च के बारे में कोई पूछताछ नहीं किया था। यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि टार्च होने की बात वह बिलकुल झूठी कह रहा है।

अपनी प्रतिपरीक्षा दिनांकित 13-07-2021 पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा यह कथन किया गया कि उसने अभियुक्त रोशनलाल को अपराजिता के साथ बलात्कार करते हुए या उसकी हत्या करते हुए अपनी आँखो से नहीं देखा। यह भी कथन किया गया कि उसके घर से घटना स्थल की दूरी अर्थात अपराजिता की लाश की बरामदगी स्थल की दूरी लगभग 300 मीटर है। वह अपनी चाची व दादी से बताने के लिए कि अपराजिता की लाश नाले में पड़ी है, उनके दरवाजे पर गया था। यह भी कथन किया गया कि यह बताने जब वह पहुंचा तो उस समय लगभग 08.30-9.00 बजे का समय था। यह भी कथन किया गया कि उसके पहले वह अपराजिता की लाश को नाले में पडी होना देखकर ही बताने गया था। यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने घटना के दूसरे दिन, उससे शाम के समय पूछा था तब उसने उनको रोशनलाल और फूलचन्द को भागते हुए देखने वाली बात बतायी थी। यह भी कथन किया गया कि जब उसने रोशनलाल व फूलचन्द को भागते हुए देखा तो उस समय उसके पीछे उसके चाचा संतोष सिंह, मुलुकराज सिंह तथा चाची सुषमा सिंह और गांव के 10-12 लोग थे। यह भी कथन किया गया कि हम लोगो ने उनको पकड़ने का प्रयास नहीं किया क्योंकि जहां से उसने उन लोगो को भागते हुए टार्च की रोशनी में देखा था, वहां से वह लोग लगभग तीस हाथ की दूरी पर थे। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि पकड़ने की कोशिश इसलिए भी नहीं किया क्योंकि उस समय इन लोगो पर कोई संदेह नहीं था। पुनः विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर यह कथन किया गया कि जब हमने इन लोगो को भागते हुए देखा था, उस समय वह लाश के पास नहीं पहुंचा था। यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी को उसने यह बयान " कि परचून की दुकान के पास खड़े थे, कुछ देर बाद रोशनलाल कहीं चला गया” नहीं दिया था। यह भी कथन किया गया कि उसने यह भी बयान नहीं दिया था कि "डर से फूलचन्द कनौजिया ने हत्या कर शव को

WWW.LIVELAW.IN

नाले में फेंक कर भाग गया।" पुनः यह भी कथन किया गया कि उसने दरोगाजी को समय 10.30 बजे रात को टार्च जलाकर देखने की बात नहीं बताया था। पुनः यह भी कथन किया गया कि उपरोक्त बयान दरोगाजी ने कैसे लिख लिया, वह नहीं बता सकता।

पुनः यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने उसे बुलाकर बयान लिया था, पूछताछ किया था। उस समय मुलुकराज व दिलीप सिंह आदि वहां पर नहीं थे। यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने उससे एक बार घर पर, दूसरी बार थाने पर, और फिर तीसरी बार उसके घर पर बयान लिया था। यह भी कथन किया गया कि उसके गांव के रोड़ पर आर०पी० सिंह पब्लिक स्कूल है। उसकी बहन अपराजिता सबसे पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी। कक्षा–5 के बाद बौण्डी में नाम लिखा दिया गया था। यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि घटना के समय अपराजिता,उसकी बहन की उम्र 18 साल से ऊपर थी।

इस साक्षी ने पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसने न तो मुल्जिम रोशनलाल को भागते हुए देखा। पुनःयह भी कथन किया कि यह भी कहना गलत है कि उसने उसे दुकान के सामने खड़े होना भी नहीं देखा। पुनः यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि दुश्मनी के कारण वह झूठा बयान रोशनलाल को फंसाने के लिए दे रहा है।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसके चाचा संतोष सिंह ने उसको 08.30–9.00 बजे रात को फोन किया था कि अपराजिता घर नहीं पहुंची है। यह भी कथन किया गया कि उसके चाचा संतोष सिंह का मोबाईल नं० 9795588065 है तथा उसका मो० नं० 9415151058 है जिस पर फोन आया था। यह भी कथन किया गया कि उसके चाचा से उसकी लगभग एक मिनट फोन से बात हुई थी। यह भी कथन किया गया कि उसने दरोगाजी को मोबाइल के बारे में बताया था। दरोगाजी ने मोबाइल लेकर देखा नहीं था। वह अपना मोबाइल आज न्यायालय में लेकर आया है। इस साक्षी द्वारा पुनः कथन किया गया कि दरोगाजी ने मोबाइल के बारे में यदि उसके बयान में नहीं लिखा है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता है। घर से मोटर साइकिल से वह 09.30 बजे घटना वाले दिन आया था। ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर फूलचन्द घटना वाले दिन करीब 09.30 उसके घर से चला था। ट्रैक्टर कब तक मिस्त्री के यहां बनवाया था, ट्रैक्टर कितनी देर तक बना था, समय याद नहीं है लेकिन दोपहर बाद ट्रैक्टर बनकर ठीक हो गया था। ट्रैक्टर बनवाई करीब चार हजार रूपये लगा था। ट्रैक्टर बनाकर लगभग 2.00 बजे बहराइच से घर को चला था। घटना वाला दिन शनिवार था या नहीं उसे नहीं मालूम है।

इस साक्षी द्वारा पुनः कथन किया गया कि उसने अभियुक्त फूलचन्द को न तो बलात्कार करते हुए देखा था और न ही अपराजिता की हत्या करते हुए देखा है। पुनः यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने उसका बयान तीन बार लिया था।दिन नहीं बता सकता है। पहला बयान 11–04–2021 को सांयकाल लिया था, दूसरा बयान कब लिया

WWW.LIVELAW.IN

था, याद नहीं है। तीसरा बयान घटना के 10–15 दिन बाद दरोगाजी ने थाने पर बुलाकर लिया था।इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि उसके घर से ननकऊ कहार के घर की दूरी लगभग 200 मीटर है। ननकऊ कहार के कितने बच्चे है उसको नहीं मालूम है। यह भी कथन किया गया कि फूलचन्द की शादी घटना के दो–तीन साल पहले हो गयी थी। फूलचन्द अभियुक्त के एक लड़का भी है। उसके चाचा संतोष सिंह खेती करते है और समय मिलता था तब दुकान पर बैठते थे। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि उसकी बहन दोपहर में उसके चाचा के लिए खाना लेकर आती थी। खाना खाने के बाद उसके चाचा दुकान पर रहते थे, कभी–कभी गेहूँ काटने और थ्रेसिंग करने के लिए जाते थे। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि जब वह घटना स्थल पर टार्च लेकर पहुंचा था तो उसकी बहन पीडिता औंधे मुंह नाले के कीचड़ में पड़ी हुई थी। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि उसकी बहन का सिर पश्चिम की तरफ था और पैर पूरब की तरफ था। यह भी कथन किया कि यह ध्यान नहीं है कि उसका कौन सा पैर मुड़ा हुआ था। यह भी कथन किया कि अपराजिता के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने अपराजिता को कीचड़ से नहीं निकाला था। उसके बाद अपराजिता के पिता और गांव के अन्य लोग आये थे, तब उन्होंने अपराजिता के शव को कीचड़ से बाहर निकाला था। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि उसे नहीं मालूम है कि दिनांक 10–04–2021 को पूर्ण लॉकडाउन था या नहीं। यह भी कथन किया गया कि घटना की विवेचना करने वाले दरोगाजी का नाम वह नहीं जानता है। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त फूलचन्द उन लोगो का ड्राइवर था लेकिन कभी–कभी जरूरत पड़ने पर उसको बुलाया जाता था।

इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त फूलचन्द के वेतन को लेकर चाचा से कहा सुनी हो गयी थी। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि यह कहना भी गलत है कि इसी वेतन विवाद के लिए उसके चाचा संतोष सिंह ने अभियुक्त फूलचन्द को इस मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसा दिया। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि अपराजिता को घटना में उसके चेहरे पर चोटे आयी थी, देखने से प्रतीत होता था कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी है। यह भी कथन किया कि इसके अतिरिक्त पीडिता के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था।

मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसने मुल्जिमान को जहां पर लाश पड़ी थी वहां से भागते हुए देखा था। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि वह और उसके चाचा दोनो के हाथो में टार्च थी और वह लोग टार्च जलाये हुए थे।यह भी कथन किया कि उसने ही अपराजिता के शरीर को देखा था। यह भी कथन किया कि टार्च की रोशनी में शरीर को देखा था। यह भी कथन किया कि उसके शरीर पर खरोच के निशान थे।यह भी कथन किया कि पीडिता के गले पर, शरीर पर, चेहरे पर और पीठ पर खरोच के निशान थे।

टिप्पणी–पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह को अभियोजन द्वारा अपराजिता को अभियुक्तगणो के साथ अन्तिम बार देखे जाने वाले साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

WWW.LIVELAW.IN

उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता को अभियुक्तगण के साथ अन्तिम बार देखे जाने का कथन किया गया है। यह भी कथन किया गया कि दोनो अभियुक्तगण अपराजिता के साथ दुकान बन्द करवाकर निकले। अपराजिता की लाश नाले में पाया जाना,अभियुक्तगणो को नाले के पास टार्च की रोशनी में भागते देखना तथा अपराजिता के शरीर पर आयी चोटो का उल्लेख मौखिक साक्ष्य के माध्यम से किया जा रहा है।

पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य मे सशपथ कथन किया है कि वादी मुकदमा संतोष सिंह को वह जानता है। वह उसके गांव के ही रहने वाले है। वह फूलचन्द व रोशनलाल अभियुक्त को भी जानता पहचानता है। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर इस साक्षी ने कहा कि यही फूलचन्द व रोशनलाल है। यह उसके ही गांवसभा के निवासी हैं। घटना में संतोष सिंह की लड़की अपराजिता की हत्या हुई थी। घटना दिनांक 10–04–2021 की है। घटना लगभग 08.45–9.00 बजे रात की होने के सम्बन्ध में उसने सुना था। यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन 10–04–2021को लगभग 06 बजे सांयकाल को वह सगरा भट्ठी पर शराब लेने गया था। जब वह भट्ठी पर पहुंचा था तो वहां पर फूलचन्द और रोशनलाल को बेंच पर बैठकर दारू पीते हुए देखा था। यह भी कथन किया कि यह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। यह भी कथन किया कि उसने वहां पर रोशनलाल द्वारा फूलचन्द से यह कहते हुए सुना था कि अपराजिता को घर ले जाने के लिए लेकर आये और उसे पैसे का लालच देना,और अगर वह नहीं मानती है तो फिर उसके साथ जबरदस्ती करके काम कर लिया जायेगा। यह भी कथन किया कि यह बात उसने अपने कान से रोशनलाल के द्वारा फूलचन्द से कहते हुए सुना था। वह उसके बाद भट्ठी से शराब लेकर करीब 7 बजे अपने घर वापस आ गया। यह भी कथन किया गया कि दूसरे दिन उसने यह घटना सुनी कि संतोष सिंह की बेटी अपराजिता की हत्या हो गयी है। गांव में घटी इस घटना से, गांव में बहुत ही दहशत का माहौल हो गया था। यह भी कथन किया गया कि फूलचन्द अभियुक्त और रोशनलाल की आपस में दोस्ती है। यह भी कथन किया गया कि उसने घटना के बारे में दरोगाजी को बताया था। उसको जो जानकारी थी वह सब उसने दरोगाजी बताया था।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसका गांव खैरहन शराब भट्ठी से लगभग एक डेढ़ किलो मीटर की दूरी पर है। शराब भट्ठी सगरा पर है। सगरा गांव रोशन लाल के गांव से भी लगभग एक डेढ़ किलो मीटर की दूरी पर है। पुनः यह कथन किया गया कि उसके मौजे में कोई अमरनाथ नहीं रहते है। यह भी कथन किया कि कमलेश यादव बी०डी०सी० का चुनाव लड़े थे। उनको वह जानता है। वह उसके ही मौजे के रहने वाले है। यह भी कथन किया कि कमलेश के मुकाबले में एक तिवारीजी चुनाव लड़े थे। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि कमलेश यादव उसके भाई है। वह चुनाव हार गये

WWW.LIVELAW.IN

थे।यह भी कथन किया कि वह चुनाव में किसी की मदद करने नहीं जाता था। उसकी तबियत खराब थी लेकिन उसने अपना वोट उन्हीं को दिया था। यह भी कथन किया कि उसे नहीं मालूम है कि रोशनलाल का परिवार व रोशन, कमलेश की मदद चुनाव में कर रहें थे या नहीं। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि उसके गांव में शराब नहीं बिकती है। वह तीन भाई है। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। वह शराब नहीं पीता है। घर में मेहमान आये थे। उनके लिये शराब लेने गया था। उसके घर में कोई काम–धाम नहीं था। मेहमान केवल घूमने आये थे।यह भी कथन किया कि जब जरूरत पड़ती थी, तब शराब लेने जाते थे। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि घटना वाले दिन यदि मेहमान न आये होते तो उसको शराब लेने जाने की कोई जरूरत नहीं थी। शराब की दुकान सरकारी थी। उसने एक पाव शराब खरीदी थी, कोई रसीद नहीं मिली थी। रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखा जाता था। शराब की दुकान पर भीड़ नहीं थी। शराब खरीदने में 2–4 मिनट लगा था। इसी 2–4 मिनट में उसने फूलचन्द और रोशनलाल की बाते सुनी थी और घर चल दिये थे। यह भी कथन किया कि उस समय की बातचीत के आधार पर वह यह जानता था कि लड़की कौन सी है। दरोगाजी उसे रेहुआ गांव में घटना के लगभग 23–24 दिन बाद मिले थे। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि घटना स्थल पर दरोगाजी उसे मिले थे। समय उसे नहीं मालूम है। उस समय वह ही अकेले आ रहे थे। वह गांव से रेहुआ आ रहा था। दरोगाजी रोड़ पर खड़े थे। वहां पर किसी का दरवाजा नहीं था। उसे रोककर दरोगाजी ने उससे पूछा था। दरोगाजी उस समय अकेले थे। सुनसान जगह थी। उस जगह पर कोई नहीं था। दरोगाजी ने पूछा था कि घटना कैसे हुई, तब उसने बताया कि शराब की दुकान पर उसने फूलचन्द व रोशनलाल को बात करते हुए सुना था फिर वह अपने घर चला गया। दरोगाजी वहीं सड़क पर रह गये। उस दिन के पहले या दरोगाजी को बताने के बाद उसने किसी और को यह बात नहीं बतायी थी। उसने संतोष सिंह व उनके घर वालो को यह बात कभी नहीं बतायी थी। दरोगाजी से शराब की दुकान पर कोई बातचीत उससे नहीं हुई थी। यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने उसके सामने किसी और से कोई बातचीत नहीं की थी। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि आज अदालत में झूठा बयान दे रहा हूँ। पुनःयह भी कथन किया गया कि यह भी कहना गलत है कि कमलेश यादव की चुनाव में मदद न करने के कारण एवं रंजिश के कारण अपने भाई कमलेश के कहने पर झूठा बयान दे रहा हूँ।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि न्यायालय से गवाही हेतु सूचना मिली थी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि कल भी वह आया था। न्यायालय पहुंचने के पहले वह और कहीं नहीं गया था। वह मोटर साइकिल से बहराइच आया था और बयान होने के बाद वापस चला गया था। यह भी कथन किया कि सन्तोष सिंह से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। घर आना जाना है। यह भी कथन किया कि हमारे घर से संतोष के घर की दूरी एक

WWW.LIVELAW.IN

किलोमीटर है। यह भी कथन किया कि वह ट्रैक्टर से खेती नहीं करवाता है। वह बैलो से खेती करता है। वह कक्षा पांच तक पढ़ा है। यह भी कथन किया कि शराब की दुकान सगरा गांव में स्थित है। वह घटना वाले दिन शराब लेने मेहमान के लिए गया था। उसने झूम ब्रांड की शराब खरीदी थी। यह भी कथन किया कि वह साईकिल से शराब लेने गया था। शराब भट्ठी पर 4–5 मिनट लगा था। भूपेन्द्र सिंह व संतोष सिंह गांव के बड़े आदमी है। पुनःयह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि वह उनके दबाव में झूठी गवाही दे रहा है।

टिप्पणी–उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से घटना के तुरन्त पहले अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल को दिनांक 10–04–2021 को सायं 06 बजे सगरा शराब भट्ठी पर एकसाथ देखे जाने के कथन किये जा रहे है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से खुद का सगरा शराब भट्ठी पर दिनांक 10–04–2021 को सायं 06 बजे उपस्थित होने का कथन किया जा रहा है एवं अपनी उपस्थिति के कारण भी दर्शाये जा रहे है। अपने मौखिक साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया गया कि उसने रोशन लाल द्वारा फूल चन्द से अपराजिता को घर से लालच देकर ले आने एवं उसके न मानने पर उसके साथ जबरदस्ती काम करने के वार्तालाप को खुद सुना।

पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ल ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य मे कथन किया है कि वादी मुकदमा संतोष सिंह को जानता पहचानता है। वह उसके ही गांव राजा रेहुवा के रहने वाले है तथा अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल को भी वह जानता पहचानता है। यह भी कथन किया कि वह दोनो लोग उसके ही ग्राम–सभा के रहने वाले है। हाजिर अदालत अभियुक्तगण फूलचन्द व रोशनलाल की पहचान गवाह द्वारा की गयी। यह भी कथन किया कि घटना दिनांक–10–04–2021 की रात्रि की है। वह रात्रि में करीब 10.00 –10.30 बजे लैट्रिन करके वापस अपने घर आ रहा था तो नाले की तरफ से पकड़ो–पकड़ो की उसे आवाज सुनायी पड़ी, तब उसने अपने हाथ में लिये हुए तीन सेल की टार्च को जलाया तो जिस तरफ से आवाज आ रही थी, उस तरफ उसने टार्च की रोशनी में रोशनलाल व फूलचन्द को भागते हुए देखा, तब उसने इन दोनो लोगो से रूकने के लिए कहा लेकिन वह नहीं रूके और भाग गये। इसके बाद वह हल्ला वाली जगह पर नाले के पास आया तो वहां देखा कि काफी लोगों की भीड़ थी।यह भी कथन किया कि उसने मौके पर संतोष सिंह की लड़की को नग्न अवस्था में देखा। यह भी कथन किया कि लड़की के चेहरे पर व शरीर पर खरोच के निशान थे, उसके गले पर भी दबाने जैसा निशान था, लड़की के गुप्तांग से खून बहा था। यह भी कथन किया कि उस भीड़ से उसने लोगो को बातचीत करते हुए सुना था कि फूलचन्द व रोशनलाल, संतोष सिंह (वादी) की बेटी अपराजिता को दुकान बंद करवाने के बाद उसको घर छोड़ने के बहाने से ले गये थे लेकिन इन लोगो ने अपराजिता को घर न पहुंचा कर जबरदस्ती गलत काम करके उसकी हत्या करके लाश को नाले में फेंक दिया है। यह भी कथन किया कि फूलचन्द व रोशनलाल की आपस में मित्रता है। यह दोनो लोग साथ में रहकर शराब पीते है। यह भी कथन किया कि इन लोगो का आचरण एवं व्यवहार अच्छा नहीं है। यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने इसका बयान

WWW.LIVELAW.IN

लिया था।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि बहराइच जनपद के ग्राम रेहुआ में उसके पिताजी का ननिहाल था, इसी सिलसिले से यह लोग यहां आकर रहने लगे। वह जब यहां आकर बसा था, उस समय रेहुआ गांव का प्रधान कौन था, वह नहीं बता सकता क्योंकि वह जानने वाला नहीं था। यह भी कथन किया कि घटना के समय गांव की प्रधान अनीता सिंह थी। उनके पति का नाम अमरेन्द्र सिंह बच्चा है। अमरेन्द्र सिंह घटना के बाद मर गये थे लेकिन अनीता सिंह अभी तक जिन्दा है। यह भी कथन किया कि अमरेन्द्र सिंह बहुत भले आदमी थे। गांव के लोग उनसे संतुष्ट रहते थे। उसे नहीं पता है कि अपनी पत्नी की तरफ से गांव की प्रधानी अमरेन्द्र सिंह करते थे। यह भी कथन किया कि वह नहीं जानता है कि उसके गांव के प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत किसी का मकान बना है या नहीं। गांव में शौचालय प्रधान जी द्वारा बनवाये गये है। शौचालय का नाम इज्जत घर लिखा गया है। उसके घर के आस–पास दो शौचालय बने है। उसका घर गांव के बीचो–बीच में है। यह भी कथन किया कि रेहुआ गांव की आबादी करीब दो हजार है और 200–250 मकान है। उसकी पत्नी और माताजी है। उसके घर से 10–12 घर के बाद खेत प्रारम्भ हो जाते है। यह भी कथन किया कि उसके घर की औरते घर में बने शौचालय में जाती है और घर के बाहर खेत में भी शौच के लिए जाती है। इसी प्रकार वह भी कभी–कभी घर में और कभी–कभी घर के बाहर खेत में शौच के लिए जाता है।

इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि घटना के समय गेहूँ कटाई का मौसम चल रहा था। घटना वाले दिन वह गेहूँ काटने नहीं गया था। यह भी कथन किया कि खेती के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं करता है। उसके लैट्रिन जाने का समय सुबह 5.00– 6.00 बजे था और रात्रि में 09–10.00 बजे है। यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन उसने दवा पी थी, इसलिए उस दिन उसे दो तीन बार लैट्रिन जाना पड़ा था। यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन शाम को वह दो बार लैट्रिन गया था। पहली बार वह करीब सायंकाल 4.00 बजे अपने खेत में और दूसरी बार करीब रात में 10.00 बजे शौच के लिए गया था और घर में भी उस दिन सुबह एक बार लैट्रिन गया था। यह भी कथन किया कि प्रतिदिन उसे करीब दो बार ही शौच के लिए जाना पड़ता था लेकिन घटना वाले दिन दवा पीने के कारण उसे तीन बार लैट्रिन जाना पड़ा था। यह भी कथन किया कि दिन में, अपने जिस खेत में वह लैट्रिन करने गया था, वह उसके घर से लगभग 150 मीटर है। यह भी कथन किया कि रात्रि में जिस खेत में लैट्रिन करने गया था, वह उसका निजी खेत नहीं था। यह भी कथन किया कि रात्रि में जिस खेत में लैट्रिन करने गया था वह खेत नाले से उत्तर पश्चिम कोने पर है और उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। लैट्रिन करने वह अकेले गया हुआ था। यह भी कथन किया कि वह रात्रि में लैट्रिन करने रमेश के खेत में गया था। इस खेत के उत्तर उनके भाई मदन का खेत हैं, दक्षिण में सड़क है, पूरब

WWW.LIVELAW.IN

एक गड्ढा एवं खेत है, पश्चिम कोयली सिंह का खेत हैं।यह भी कथन किया कि जिस खेत में रात्रि में लैट्रिन करने गया था उसके पास कोई नहर नहीं थी। यह भी कथन किया कि उसने जो शोर सुना था वह किस व्यक्ति का है, ये नहीं जान पाया था। 50 आदमी की भीड़ थी जो हल्ला कर रही थी। जिस खेत में लैट्रिन कर रहा था वहां से करीब 40 मीटर की दूरी पर हल्ला हो रहा था। यह भी कथन किया कि शौच को जाते समय और शौच करते समय उसे कोई शोर सुनायी नहीं पड़ा था। यह भी कथन किया कि शौच करके जब सड़क पर आकर वह अपने घर की तरफ चला था, तब उसे पुरूषों का शोर सुनाई पड़ा था। लैट्रिन के बाद पूरब की तरफ से जा रहा था और शोर की आवाज दक्षिण–पूरब की तरफ से नाले की तरफ से आ रही थी। यह भी कथन किया कि वह हल्ला सुनने पर दौड़ा नहीं था क्योंकि उसे सांस फूलने की बीमारी है। यह भी कथन किया कि धीरे–धीरे चलकर वह मौके पर भीड़ वाली जगह पर पहुंचा था। घटना स्थल पर लाश के अगल–बगल भीड़ इकट्ठा थी। यह भी कथन किया कि उसके सामने लड़की अपराजिता की लाश को कोई लेकर नहीं गया था। वह वहां से फिर अपने घर चला गया था।

इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी ने गांव पर ही दिनांक–11–04–2021 को लगभग 12 बजे दिन में फूलचन्द के घर के दक्षिण तरफ उसका बयान लिया था। फूलचन्द को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था। बयान के समय तक फूलचन्द गिरफ्तार हुए थे या नहीं उसे नहीं मालूम था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने जब उसका बयान लिया था, उस समय वहां पर उसके अलावा और कोई नहीं था।यह भी कथन किया कि जिस समय उसका बयान दरोगाजी ने लिया था उस समय भूपेन्द्र सिहं, मुलुकराज सिंह, दिलीप सिंह, अशोक सिंह मौजूद नहीं थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने जहां पर उसका बयान लिया था वहां से नाले वाली पुलिया लगभग 150 मीटर दूरी पर होगी। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने उसका बयान लिया था तब उससे हस्ताक्षर कराया था। यह भी कथन किया कि वह हाईस्कूल फेल है। दरोगाजी ने बयान उसको पढ़कर सुनाया नहीं था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने क्या लिखा था उसको नहीं मालूम। यह भी कथन किया कि दरोगाजी को उसने यह बयान दिया था कि "फूलचन्द कनौजिया –––––– दौड़ते नाले से उत्तर की तरफ भाग रहा था"। यह भी कथन किया कि दरोगाजी ने उसकी टार्च मंगाकर देखा नहीं था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि वह न्यायालय पर झूठा बयान दे रहा है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना भी गलत है कि वह संतोष सिंह व प्रधान जी के खास आदमी होने के कारण झूठा बयान दे रहा है।यह भी कथन किया गया कि यह कहना भी गलत है कि रोशन लाल से उसकी दुश्मनी है इसलिए उसका नाम बयान में उसने लिया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि रोशन लाल ने खेत खरीद लिया था, उसे वह लेना चाहता था, इसी रंजिश के कारण उसने

WWW.LIVELAW.IN

रोशन लाल के विरूद्ध बयान दिया।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा पुनः यह कथन किया गया कि उसके घर के सामने बिजली का खम्भा नहीं लगा हुआ है। यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी को वह स्थान जहां पर वह रात्रि में लैट्रिन करने गया था वह खेत उसने दिखाया था। यह भी कथन किया कि संतोष सिंह गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि ठाकुरो की दबंगई के कारण वह झूठी गवाही दे रहा है।

टिप्पणी– उपरोक्त साक्षी जो कि घटना के दिन एवं अपराजिता की लाश की बरामदगी से पूर्व घटना स्थल के आस–पास शौच करने गया था, अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगणो को उपरोक्त तिथि, समय एवं घटना स्थल पर टार्च की रोशनी में भागते हुए देखे जाने का कथन कर रहा है।

पी०डब्लू० 5 डॉ० तलहा शमसी चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय बहराइच ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि अपराजिता उम्र लगभग 12 साल पुत्री सन्तोष सिंह,निवासी राजा रेहुवा,थाना बौण्ड़ी जिला बहराइच के शव का पी०एम० समय 12.30–01.30 बजे तक दिनांक 11–04–2021 को उनके द्वारा किया गया था। यह भी कथन गया किया कि अपराजिता के शव को महिला कान्सटेबिल आभा वर्मा व कान्सटेबिल वैजनाथ द्वारा दिनांक 11–04–21 को 12.15 पी०एम० पर लाया गया था। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के शव की पहचान उसके चचेरे भाई भूपेन्द्र सिंह द्वारा की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की लम्बाई लगभग 145cm. थी तथा उसके शरीर की बनावट औसत कद काठी की थी। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के शव पर पी०एम० स्टैनिंग मौजूद थी। यह भी कथन किया गया कि शव की अकड़न शरीर में मौजूद थी। यह भी कथन किया गया कि शव के नाखूनो में कीचड़ था, आँखे और मुंह बन्द था और नाखून नीले पड़ गये थे। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के गुप्तांग से खून रिस रहा था उसके चारो तरफ खून जमा हुआ था। पी०डब्लू० 5 द्वारा मृतका के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटे पायी गयी।

(1) पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था।

*(2) अब्रेजन 01 **x** 05**cm**. मृतका के बांई आँख के भौं के बाई तरफ मौजूद था।*

*(3) अब्रेजन 05 **x** 04**cm**. चेहरे के बाये गाल पर था जो कि मुंह से 02**cm**. बाई तरफ था।*

*(4) अब्रेजन 04 **x** 02**cm** दाहिनी गाल के ऊपर था जो दाहिनी ओंठ के दाहिनी तरफ सटा हुआ था।*

WWW.LIVELAW.IN

*(5) अब्रेजन 02 **x** 03**cm** दाहिने कान से 02**cm** आगे चेहरे पर था।*

(6) मृतका के निचले ओठ पर सूजन मौजूद थी।

*(7) अब्रेजन 02 **x** 02**cm** बाये कन्धे के ठीक पीछे था।*

*(8) अब्रेजन 01 **x** 1/ 2**cm** दाहिने कन्धे के ठीक पीछे था।*

*(9) लिगेचर मार्क 12**cmx5cm** जो गले पर आगे की तरफ मौजूद था जो हाईड बोन को क्रास कर रहा था जिसकी दूरी दोनो कान से 4**cm**. से नीचे की तरफ थी।*

(10) अपराजिता के गुप्तांगो पर निम्न चोटो का विवरण दिया गया- फटा हुआ घाव जो लेबिया माईनोरा (गुप्तांग के अन्दर का भाग) अन्दर तक फटा हुआ था जिसमें हाईमन नामक झिल्ली भी फटी हुई थी जिसमें क्लाटेड खून मौजूद था।

*(11) अब्रेजन 03 **x** 1-1/5 **cm** जो (**Labia Majora**) गुप्तांग के बाये ओर का ऊपरी भाग तथा लेबिया मेजोरा दाहिनी ओर पर भी 1 **x ½ cm** का अब्रेजन था।*

*(12) कन्टयूजन 04 **x** 03**cm** जो गर्दन के पीछे की तरफ था, जिसे गहराई से देखने के बाद सरवाईकल वरडीग्रा (गर्दन की हड्डी) तीसरी एवं चौथी फ्रैक्चर पायी गयी एवं जिसमें ब्लड क्लाटिंग मिला था।*

*(13) अब्रेजन 06 **x** 04**cm** जो कि बटक के बायी तरफ मध्य में था।*

*(14) अब्रेजन 04 **x** 02**cm** जो दाहिनी बटक के बीच में था।*

उपरोक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि गुप्तांग के परीक्षण के दौरान उसके द्वारा बेजाईनल स्मेयर की दो स्लाइड़ बनवा कर सील्डकवर लिफाफे में रखकर जाँच हेतु भेजा गया था। यह भी कथन किया गया कि लाश का गर्भाशय खाली था। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की मृत्यु एक दिन के अन्दर की थी।यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की मृत्यु का कारण एन्टीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन था। यह भी कथन किया गया कि उनके विचार से अपराजिता के साथ हुई घटना किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती है। यह भी कथन किया गया कि शामिल मिसिल मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने है जिसे उन्होनें दौरान शव-विच्छेदन मौके पर ही तैयार किया था जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है।इसके उपरान्त **पी०एम०रिपोर्ट** पर **प्रदर्श क-4** डाला गया।

अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि अपराजिता के शव का पोस्टमार्टम 12.30 पी०एम० पर शुरू किया और 1.30 पी०एम० पर समाप्त किया गया। यह भी कथन किया कि उसके साथ कोई महिला चिकित्सक नहीं थी। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की मृत्यु की अवधि का निर्धारण उसके शव पर आयी अकड़न के आधार पर किया जाता है। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के शरीर पर आयी चोटे रिसेन्टली थी। यह भी

WWW.LIVELAW.IN

कथन किया गया कि यह चोटे अधिकतम 04–06 घन्टे की हो सकती है। यह भी कथन किया गया कि चोटों का रंग देखकर उसकी अवधि का निर्धारण किया जाता है। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के आमाशय में अधपचा हुआ भोजन पदार्थ था।यह भी कथन किया गया कि अधपचा हुआ पदार्थ 7 से 9 घण्टे का हो सकता है।यह भी कथन किया गया कि यह अवधि अपराजिता की आयु को देखते हुए बतायी गयी है। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की आयु उसने उनके परिजनों के बताने के अनुसार नहीं बल्कि अपराजिता के शरीर की बनावट के आधार पर लिखी है। यह भी कथन किया गया कि अब्रेजन व कन्ट्यूजन किसी एक हथियार से आना सम्भव नहीं है। यह भी कथन किया गया कि अब्रेजन किसी हथियार से नहीं आयें है। अब्रेजन प्रेसर (दबाने से)के कारण आता है। यह भी कथन किया गया कि अब्रेजन को हिन्दी में रगड़ कह सकते हैं।यह भी कथन किया गया कि कन्ट्यूजन जो गर्दन के पीछे आया है वह किसी हार्ड चीज के दबाने से आया है तथा आगे भी किसी हार्ड चीज के दबाने से आ सकता है।इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसने बढ़ा –चढ़ाकर गलत तथ्यों के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि अपराजिता की मौत दम घुटने के कारण हुई है। यह भी कथन किया गया कि इस तरह की चोट गला कसने से भी हो सकती है। यह भी कथन किया गया कि जब मृतका का गला दब जायेगा, तब उसकी आँखे बड़ी हो सकती है, गला दबने से मृतका की जुबान बाहर आना सम्भव है। यह भी कथन किया गया कि गला कसने से थोड़ी सी जीभ बाहर आ सकती है, लेकिन अपराजिता की जीभ बाहर नहीं आयी थी। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के शव का वजन नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर शव के वजन करने की कोई सुविधा नहीं थी। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता का तापमान नापने का कोई उपकरण वहां पर नहीं था। यह भी कथन किया गया कि मृतक के शरीर का बदलाव मृत्यु के दो घण्टे के बाद आना सम्भव हो सकता है। यह भी कथन किया गया कि मृतक के शरीर में अकड़न गर्मी के मौसम में दो घंटे बाद सम्भवतः आना शुरू होती है और 24 घण्टे के बाद शरीर की अकड़न समाप्त हो जाती है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि नाखून द्वारा जानवर के हमला करने पर इस प्रकार की चोट आ सकती हैं।

अभियोजन द्वारा पुनः पी०डब्लू० 5 को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी। अभियोजन का आवेदन स्वीकार करते हुए पुनः पी०डब्लू० 5 को साक्षी बाक्स में तलब किया गया। दिनांक 19–08–2021 को पी०डब्लू० 5 डॉ० तलहा शमसी चिकित्साधिकारी बहराइच ने पुनः उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया कि दिनांक 12–04–2021 को उसने अपराजिता की पैथालाजी रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम में अपराजिता की पायी गयी चोटो का अवलोकन करने के पश्चात एक पूरक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। यह भी कथन

WWW.LIVELAW.IN

किया गया कि पूरक रिपोर्ट में उसने इस बात का उल्लेख किया है कि यह सारी बाते अपराजिता के साथ हुए बलात्कार को दर्शाती है। पूरक रिपोर्ट पत्रावली में उसके सामने है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इसकी वह पुष्टि करता है। पूरक चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते समय अपराजिता की पायी गयी गुप्तांग की चोटो के आधार पर उसे शक था कि यह बलात्कार का केस है। इसलिए उसने स्लाइड बनाकर जांच हेतु भेजा था। अपनी इस शंका को उसने पी०एम० रिपोर्ट में नहीं दर्शाया था । यह भी कथन किया गया कि पी०एम० करते समय उसके साथ कोई महिला चिकित्सक या महिला कर्मचारी नहीं थी।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि दिनांक 11–04–2021 को पी०एम० वाले दिन ही स्लाइड तैयार करके उसी दिन भेज दिया था। दिनांक 12–04–2021 को उसे जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि उसने रिपोर्ट फर्जी तैयार की है।

टिप्पणी– उपरोक्त साक्षी जिनके द्वारा अपराजिता का शव विच्छेदन कर उसकी शव विच्छेदन आख्या तैयार की गयी ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता के शरीर पर लगभग 14 चोटे पाये जाने का कथन किया जा रहा है।अपराजिता के गुप्तांगो से खून के रिसाव होने का कथन किया जा रहा है तथा अन्य चोटो के अतिरिक्त अपराजिता के गर्दन पर लीगेचर मार्क पाये जाने का कथन किया जा रहा है। अपराजिता की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व स्ट्रैगुलेशन होने का कथन किया जा रहा है। साक्षी पी०डब्लू० 5 द्वारा अपराजिता की पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार की गयी जिसको उनके द्वारा प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया गया है एवं इस रिपोर्ट में अपराजिता के साथ बलात्कार कारित होने का अभिमत भी दिया गया है।

पी०डब्लू० 6 डा० राबिया सुल्ताना चिकित्साधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि उसने अपराजिता के वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड जो अपराजिता के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा शव विच्छेदन के दौरान तैयार की गयी थी और उसे जाँच हेतु सीलकवर लिफाफे में उसके पास भेजा था,उस वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड की माइक्रोस्कोपिक जांचोपरान्त उसके द्वारा स्लाइड पर स्परमेटाजोआ के टूटे हुए टुकड़े और साथ में पूरा स्परमेटाजोआ भी पाया गया था जो मृत अवस्था में था। यह भी कथन किया गया कि जांचोपरान्त उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में एक रिपोर्ट तैयार की थी जो शामिल मिसिल उसके सामने है, इसकी वह पुष्टि करती है। उपरोक्त प्रपत्र पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर

WWW.LIVELAW.IN

इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसके सामने जांच हेतु स्लाइड दिनांक 12–04–2021 को आयी। अपराजिता का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर द्वारा स्लाइड तैयार कर जांच करने हेतु उसके सामने भेजी गयी। यह भी कथन किया गया कि जांच के दौरान माइक्रोस्कोपिक जांच में देखने पर Broken head of spermatozoa और well Recognized Dead spermatozoa भी दिखा। Slide के एक Field में Dead spermatozoa दिखायी पड़ा। यह भी कथन किया गया कि शरीर के अन्दर 72 घण्टे तक spermatozoa जीवित रहता है। उसके बाद मृत हो जाता है।यह भी कथन किया गया कि, यह नहीं बताया जा सकता है कि जो शुक्राणु मृतका में पाये गये थे वह एक व्यक्ति के थे या अधिक व्यक्तियो के।यह भी कथन किया गया कि यह जानने के लिए कि शुक्राणु एक या अधिक लोगो के है, डी०एन०टेस्ट में जांचा जा सकता है।

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा उपरोक्त साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

टिप्पणी–पी०डब्लू० 6 डा० राबिया सुल्ताना चिकित्साधिकारी,जिनके द्वारा अपराजिता के वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड की जांच दिनांक 12–04–2021 को, की गयी ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा तैयार की गयी, को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उपरोक्त साक्षी द्वारा अपराजिता के वेजाइनल स्मेयर की जांच के दौरान उसमें टूटे हुए स्परमेटाजोआ एवं एक फील्ड में मृत स्परमेटाजोआ पाये जाने का कथन किया जा रहा है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वह यह बताने में असफल है कि अपराजिता के शरीर में पाया गया स्परमेटाजोआ एक या एक से अधिक व्यक्तियो का है। अवलोकनीय यह है कि इस प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर दिया गया।

पी०डब्लू० 7 कान्सटेबिल मोहर्रिर राकेश कुमार,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक–11–04–2021 को वह थाना बौण्डी में वह इसी पद पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा संतोष सिंह की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–67/2021 समय 5:45 बजे उसके द्वारा कम्प्यूटर पर अंकित किया गया था। यह भी कथन किया गया कि जो तहरीर में लिखा था उसे उसने अक्षरशः अंकित किया था। यह भी कथन किया गया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद उसने उसकी कम्प्यूटरीकृत प्रति निकाली थी। यह भी कथन किया गया कि शामिल मिसिल **एफ०आई०आर०** की प्रमाणित कम्प्यूटरीकृत प्रति उसके सामने है जो उसने मुकदमा पंजीकृत करने के बाद कम्प्यूटर से निकाली थी। इसकी वह पुष्टि करता है। तद्नुसार उक्त प्रपत्र पर **प्रदर्श क–6** डाला गया है।यह भी कथन किया गया कि मुकदमा उपरोक्त का इंद्राज कायमी जी०डी० में रपट संख्या 7 पर दिनांक 11–04–2021 को समय 05:45 बजे उसके द्वारा कम्प्यूटर से किया गया था और उसकी कम्प्यूटरीकृत प्रति उसके द्वारा निकाली गयी थी। यह भी कथन किया गया कि शामिल मिसिल कायमी जी०डी० की

WWW.LIVELAW.IN

कम्प्यूटरीकृत प्रति उसके सामने है, जो उसने कम्प्यूटर से निकाली थी। इसकी वह पुष्टि करता है। उपरोक्त **जी०डी०पर प्रदर्श क–7** डाला गया। यह भी कथन किया गया कि विवेचक ने उसका बयान लिया था।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से दिनांक 19–08–2021 को प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि जिस रोजनामचे पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी थी, वह असल रोजनामचा आज उसके सामने नहीं है। यह भी कथन किया गया कि मुख्य परीक्षा के समय भी उसके सामने असल रोजनामचा नहीं था। यह भी कथन किया गया कि प्रदर्श क–7 जी०डी० संख्या– 7 दिनांकित 11–4–2021 समय 5.45 बजे की है। यह भी कथन किया गया कि इस मुकदमें की तहरीर वादी मुकदमा संतोष कुमार सिंह लेकर आये थे। उसके साथ गाँव के अन्य लोग भी आये हुए थे, जो मौके पर मौजूद थे।यह भी कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से पूर्व वादी संतोष कुमार सिंह से उसने मौखिक रूप से पूछतांछ की थी, तब उसने उसको घटना के बारे में जानकारी दी थी।यह भी कथन किया गया कि उसने उससे वही सारी बाते बतायी थी जो उसने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में लिखाया था। यह भी कथन किया गया कि उस समय वरिष्ठ निरीक्षक गौतम साहब मौजूद थे। यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा के साथ तहरीर लेखक भी आये थे। वादी मुकदमा संतोष सिंह पूर्ण स्वस्थ थे और उन्होंने सारी बाते बतायी थी।

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा उपरोक्त साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

टिप्पणी–उपरोक्त साक्षी जो कि प्रकरण से सम्बन्धित एफ०आई०आर०लेखक है,ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी मुकदमा द्वारा प्रेषित तहरीर के आधार पर प्रकरण से सम्बन्धित मुकदमा दिनांक 11–04–2021 को समय 05.45 बजे पंजीकृत किये जाने का कथन किया गया है। यह भी कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में की प्रविष्टि जी.डी. में भी की गयी।

पी० डब्लू० 8 अरविन्द कुमार मिश्र प्राधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर राजा बौण्डी जनपद बहराइच को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित लड़की जिसको इस निर्णय हेतु काल्पनिक नाम अपराजिता से सम्बोधित किया जा रहा है कि घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 पर उसके उम्र को साबित कराने हेतु परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू० 7 ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि वह इस विद्यालय में वर्ष 1999 से कार्यरत है। अपराजिता उनके विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की कक्षा 8 की छात्रा थी। यह भी कथन किया गया कि इस विद्यालय में अपराजिता का कक्षा 6 में दिनांक 09–04–2018 को प्रवेश हुआ था। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता कक्षा–5 प्राथमिक विद्यालय रेहुआ खास से उत्तीर्ण होकर इस

WWW.LIVELAW.IN

विद्यालय में आयी थी और उसी के आधार पर उसका प्रवेश इस विद्यालय में हुआ था। यह भी कथन किया गया कि प्राथमिक विद्यालय रेहुआ खास के द्वारा निर्गत टी०सी० में **अपराजिता** की अंकित **जन्मतिथि 12-04-2006** थी एवं उसी आधार पर इस विद्यालय में भी अपराजिता की जन्म तिथि कक्षा-6 में प्रवेश के समय अंकित की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि आज वह अपने साथ अपने विद्यालय के पंजीकरण पंजिका व प्रवेश विवरण पंजिका मूल रूप से लेकर आया है।यह भी कथन किया गया कि दोनो पंजीकाओ की स्व-प्रमाणित प्रति न्यायालय में दाखिल कर रहा है। यह भी कथन किया गया कि विद्यालय अभिलेख के अनुसार अपराजिता पुत्री संतोष कुमार सिंह ,माता श्रीमती सुषमा सिंह,ग्राम रानी रेहुआ, पोस्ट जौहरा, जिला बहराइच की जन्मतिथि 12-04-2006 जाति हिन्दू,धर्म क्षत्रिय,पेशा कृषि अंकित है। यह भी कथन किया गया कि निगर्मन के कालम में आकस्मिक निधन अंकित है। **छात्र लेखा पत्रक** की छाया प्रति प्रयाणित कर **प्रदर्श क-9** डाला गया तथा **प्रवेश विवरण पंजिका** की प्रमाणित प्रति पर **प्रदर्श क-10** डाला गया। यह भी कथन किया गया कि यह दोनो प्रपत्र मूल की हू-बहू प्रति है, इसको वह दाखिल करता है।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि बालिका (अपराजिता) के प्रथम प्रवेश प्राथमिक विद्यालय रेहुआ की टी०सी० आज यहां उसके सामने नहीं है जिसके आधार पर अपराजिता की जन्मतिथि इस विद्यालय में प्रवेश पर, पंजिका में अंकित की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि यह विद्यालय वित्त पोषित नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त है। यह भी कथन किया गया कि बच्चों की फीस से ही विद्यालय का संचालन होता है। यह भी कथन किया गया कि उसके विद्यालय को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती।यह भी कथन किया गया कि कक्षा-6 में प्रवेश के समय दो विधान है- (1) स्व शिक्षा लेकर कक्षा-6 में बालक प्रवेश लेता है। (2) अथवा किसी अन्य विद्यालय से कक्षा-5 उत्तीर्ण होकर टी०सी० के आधार पर विद्यालय में कक्षा-6 में प्रवेश लेता है। यह भी कथन किया गया कि घटना के समय लॉकडाउन का दौर था। विद्यालय बंद था। कोई शैक्षिक कार्य नहीं हो रहा था। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की मृत्यु की सूचना घटना के दूसरे दिन उसको प्राप्त हो गयी थी। यह भी कथन किया गया कि फोन के माध्यम से अपराजिता की मृत्यु की सूचना मिली थी। यह भी कथन किया गया कि घटना के दिन व उसके पहले से विद्यालय बंद था, इसलिए अपराजिता न तो घटना के दिन स्कूल गयी थी और न ही उसके पहले से स्कूल आ रही थी। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि अपराजिता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व विद्यालय(प्राथमिक विद्यालय रेहुआ खास) की टी०सी० न्यायालय पर लेकर नहीं आया है। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि यह भी कहना गलत है कि अपराजिता की आयु बालिग न लिखकर कम

WWW.LIVELAW.IN

लिखी गयी है।

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा उपरोक्त साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

टिप्पणी– अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 7 को घटना की तिथि दिनांकित 10–04–2021 पर अपराजिता के उम्र को साबित कराने हेतु साक्ष्य में परीक्षित कराया गया। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पी०डब्लू० 7 द्वारा विद्यालय के कार्यालय में रखी गयी पंजिका में दर्ज प्रविष्टियो को साबित करते हुए पीड़िता की जन्मतिथि 12–04–2006 होने का कथन किया गया है। उनके साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि अपराजिता घटना की तिथि पर अवयस्क थी।

पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय,प्रभारी निरीक्षक,थाना बौण्डी जो प्रकरण के प्रथम विवेचक थे को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में उपरोक्त साक्षी द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि दिनाँक 11–04–2021 को थाना बौण्डी में वह प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। यह भी कथन किया गया कि उस दिन मुकदमा अपराध संख्या– 67/2021 थाना बौण्ड़ी में पंजीकृत हुआ था। मुकदमे की नकल चिक व नकल रपट उसे घटना स्थल ग्राम रेहुआ में उपनिरीक्षक रघुवीर गौतम के द्वारा मिली और आवश्यक कागजात प्राप्त करके विवेचना ग्रहण की। यह भी कथन किया गया कि मौके पर ही उपनिरीक्षक रघुवीर गौतम से अपराजिता के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही करवा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु बहराइच भेजा था जिसका विवरण केस डायरी में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि नकल चिक व नकल रपट को सी०डी० में अंकित किया गया। इसके पश्चात् वादी मुकदमा संतोष कुमार का बयान लिया गया।यह भी कथन किया गया कि वादी की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके उसका विवरण केस डायरी में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि शामिल मिसिल असल नक्शा नजरी घटना स्थल उसके सामने है जिस पर खसरा अंकित है को उसने मौके पर बनाया था। यह उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इसकी वह पुष्टि करता है। **नक्शा नजरी** पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। यह भी कथन किया गया कि घटना स्थल से फील्ड यूनिट के द्वारा एकत्रित की गयी चीजों को सर्वमुहर कर उसे दिया गया था जिसका विवरण उसने केस डायरी में अंकित किया। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात् साक्षी भूपेन्द्र सिंह, मुलुकराज सिंह, दिलीप सिंह, अशोक सिंह, दिनेश कुमार शुक्ला आदि स्वतंत्र साक्षियों के बयान अंकित किये गये।यह भी कथन किया गया कि अब तक की विवेचना से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 376(A–B) भा०दं०सं० व 5(m)/6 पॉक्सो ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी और अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 364, 302, 376(A–B) भा०दं०सं० व 5(m)/6 पॉक्सो ऐक्ट में प्रचलित की गयी। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात् प्रकाश में आये अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया की

WWW.LIVELAW.IN

तलाश की गयी लेकिन वह घर पर नहीं मिला। यह भी कथन किया गया कि ग्राम रेहुआ खास में इस घटना के कारण काफी भय व दहशत का माहौल था। इसलिए गाँव में पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की गयी तथा गांव में उत्पन्न भय व दहशत के माहौल को दूर करने के लिए पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा गाँव में कैम्प लगाया गया। इसका विवरण केस डायरी में अंकित किया गया।

यह भी कथन किया गया कि दिनांक 11–04–2021 को ही अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया को समय 15.30 बजे उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। यह भी कथन किया गया कि फूल चन्द कनौजिया की निशादेही पर घटना स्थल के पास से नरकुल की आड़ में छिपाकर रखा हुआ अपराजिता द्वारा पहना हुआ कपड़ा व स्वयं की पहनी हुई पेन्ट व शर्ट व चड्डी तथा अपराजिता की दुकान से खरीदा गया बीड़ी का बण्डल, माचिस की डिब्बी, पान मसाला, गुटका आदि बरामद हुआ। यह भी कथन किया गया कि दौरान कार्यवाही बरामदगी की सूचना पाकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी सुषमा मौके पर आ गयी थी। यह भी कथन किया गया कि इन लोगों ने अपराजिता से बरामद कपड़ों को देखकर पहचाना और बताया कि यह कपड़े उनकी बेटी (अपराजिता) के ही है। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त की निशांदेही से बरामद सामान को कब्जा पुलिस में लेकर अलग–अलग कपड़ो में रखकर उनको मौके पर सील कर, सर्वमुहर कर, नमूना मुहर बनाकर, समक्ष गवाहान फर्द बरामदगी उनके द्वारा तैयार की गयी। यह भी कथन किया गया कि फर्द बरामदगी तैयार करने के बाद उसे अभियुक्त फूलचन्द, साक्षी संतोष सिंह व सुषमा सिंह को पढ़कर सुनाकर फर्द पर साक्षी के हस्ताक्षर मौके पर ही बनवाये थे। यह भी कथन किया गया कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए पैन्ट व शर्ट व एक बण्डल बीड़ी,एक माचिस,एक पान मसाला,एक पुड़िया तम्बाकू,एक अदद चडढी व अपराजिता के अण्डर गारमेन्ट, चड्डी,एक अदद दुपट्टा की फर्द उसके सामने है जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए है। इसकी वह पुष्टि करता है।उपरोक्त फर्द बरामदगी पर पहले से प्रदर्श क–2 पड़ा हुआ है। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात थाना आकर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व बरामद माल को थाना मालखाना में व अभियुक्त को थाना हवालात में दाखिल कर हवालात के गेट पर खड़ा होकर हवालात के गेट पर अभियुक्त का बयान अंकित किया गया।यह भी कथन किया गया कि थाना कार्यालय से अपराजिता की पी०एम० रिपोर्ट की प्रतिलिपि कार्बन प्रति प्राप्त हुई। इसका हवाला केस डायरी में अंकित किया।यह भी कथन किया गया कि दिनाँक 12–04–2021 को पर्चा नं० 3 में पंचायतनामा भरने वाले वरिष्ठ उपनिरीक्षक रघुवीर गौतम का बयान सी०डी० में अंकित किया गया। सी०डी० के पर्चा नं० 4 दिनांक 12–04–2021 को ही किता किया गया जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध 14 दिनो का रिमाण्ड प्राप्त किया गया। सी०डी० के पर्चा नं० 5 दिनांक 13–04–2021 को एफ०आई०आर० लेखक कान्सटेबिल राकेश कुमार का बयान अंकित सी०डी० में अंकित किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

सी०डी० के पर्चा नं० 6 दिनांक 13–04–2021 को अभियुक्त के डी०एन०ए० जाँच हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया और उसका विवरण सी०डी० में अंकित किया।यह भी कथन किया गया कि दिनांक 13–04–2021 को अपराजिता की पैथालाजी रिपोर्ट व पूरक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अवलोकन करके उसका विवरण सी०डी० में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात जिला अस्पताल बहराइच के पैथालाजी विभाग जाकर डा० राबिया सुल्ताना से मिला और अपराजिता के डी०एन०ए० जाँच हेतु वेजाइना की द्वितीय स्लाइड़ प्राप्त किया जो असुरक्षित हालत में खुली हुई अन्य स्लाइडो के साथ एक डिब्बे में रखा हुआ था। यह भी कथन किया गया कि उसमे से एक सलाइड निकालकर उसके सामने उसको सील मुहर करके उसे दिया गया। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात उसने डा० सुल्ताना का बयान लिया जिसे केस डायरी में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात मूल पंचायतनामा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर उसका विवरण सी०डी० में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करके उसका विवरण केस डायरी में अंकित किया गया और पी०एम० कर्ता डा० तलहा शमसी का बयान दर्ज करके उसे सी०डी० में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक–14–04–2021 को सी०ओ० महसी से डाकेट तैयार कराकर मय माल व डी०एऩ०ए० सैम्पल व स्लाइड परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया जिसका इन्द्राज सी०डी० में किया गया।यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात पंचायतनामा के साक्षी अशोक सिंह,रामरूप सिंह,सरोज सिंह,अमरेन्द्र सिंह का बयान सी०डी० में अंकित किया गया तथा अपराजिता के विद्यालय जाकर जन्मतिथि प्रमाणपत्र अभिलेख प्राप्त करके उसका अवलोकन करके उसका विवरण सी०डी० में अंकित किया गया।यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य का बयान दर्ज करके उसका सी०डी० में इन्द्राज किया गया। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 12–04–2006 है। यह भी कथन किया गया कि जन्मतिथि के अनुसार घटना की तिथि को अपराजिता की उम्र 14 साल 11 माह 28 दिन थी। यह भी कथन किया गया कि इस कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा– 376(AB) भा०दं०सं० के स्थान पर धारा376(3) भा०दं०सं० तथा धारा 5(m)/6 पॉक्सो ऐक्ट के स्थान पर धारा 3/4 पाक्सो ऐक्ट में तरमीम किया गया। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता (मृतका का काल्पनिक नाम)से सम्बंधित जन्मतिथि प्रमाणपत्र जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया था वह जन्मतिथि प्रमाण पत्र उसके सामने है, जिसकी वह पुष्टि करता है, इस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया।यह भी कथन किया गया कि दिनांक–16–04–2021 को सी०डी० में पर्चा नं० 9 में महिला आरक्षी आभा वर्मा का बयान अंकित किया गया तथा अभियुक्त फूलचन्द का डी०एन०ए० सैम्पल लेने वाले डाक्टर मुकेश मिश्रा का बयान दर्ज

WWW.LIVELAW.IN

करके सी०डी० में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 18–04–2021 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर में डाकेट ले जाने वाले हेड कान्सटेबिल सन्तोष कुमार का बयान अंकित किया गया तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर की माल दाखिला रसीद का अवलोकन कर उसका विवरण सी०डी०में अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 21–04–2021 को सी०डी०पर्चा नं० 13 में पुलिस अधीक्षक के आदेश से इस मुकदमें की विवेचना निरीक्षक रवीन्द्र नाथ सिंह, क्राइमब्रान्च जनपद बहराइच को स्थानान्तरित करने का निर्देश दिया गया था। आदेश के अनुपालन में उसके द्वारा विवेचना स्थानान्तरित की गयी जिसका इन्द्राज केस डायरी में अंकित किया गया।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना की सूचना उसको थाना क्षेत्र में गश्त में मामूर होने के दौरान मिली थी। थानाक्षेत्र में गश्त के लिए थाना से कितने बजे वह निकला था,उसे समय याद नहीं है। यह भी कथन किया गया कि घटना की सूचना दिनांक 10–04–2021 को रात्रि करीब 9.00 बजे उसको मिली थी। वह करीब रात्रि में 10.40 बजे पहुंचा था। यह भी कथन किया गया कि उस समय तक घटना की कोई एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हुई थी। यह भी कथन किया गया कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा था तो उस समय गांव का माहौल काफी खराब था अफरा–तफरी मची हुई थी। यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा उसको गांव में ही मिला था।यह भी कथन किया गया कि पूरी रात वह गांव में ही था। वादी मुकदमा उस समय काफी दुःखी था और वह बताने की स्थिति में नहीं था। यह भी कथन किया गया कि इस मुकदमें की एफ०आई०आर० उसके सामने थाने पर दर्ज नहीं हुई थी। वादी मुकदमा थाने पर कब और किसके साथ गया था वह नहीं बता सकता। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 11–04–2021 को वादी के घर पर एस०एस०आई० श्री रघुवीर गौतम द्वारा विवेचना से सम्बन्धित प्रपत्र उसको प्राप्त कराये गये थे, समय याद नहीं है। यह भी कथन किया गया कि उस समय वादी मुकदमा घर पर ही मौजूद था। यह भी कथन किया गया कि उसी समय उसने वादी मुकदमा संतोष कुमार सिंह का बयान अंकित किया था। यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा के बताने के अनुसार उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। यह भी कथन किया गया कि इसके बाद उसने भूपेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, अशोक सिंह व दिनेश कुमार का बयान लिया था। यह भी कथन किया कि यह सारे बयान उसने वादी मुकदमा के घर के सामने लिये थे। यह भी कथन किया गया कि इन गवाहो ने घटना के बारे में जो कुछ बताया था, वह उसने अंकित किया था। यह भी कथन किया गया कि उस समय वादी ने जो बताया था वही बयान उसने अंकित किया था। यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा ने उस समय अभियुक्त रोशनलाल की घटना में संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं बताया था। यह भी कथन किया गया कि साक्षी दिनेश कुमार ने भी उस समय अभियुक्त

WWW.LIVELAW.IN

रोशनलाल की घटना में संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं बताया था। यह भी कथन किया गया कि उसने गांव के स्वतंत्र साक्षी के बयान गांव में घूम कर उसके बाद अंकित किया था तथा शान्ति व्यवस्था हेतु भी कई दिनो तक फोर्स गांव में लगाये रहा। यह भी कथन किया गया कि स्वतंत्र साक्षी को जितनी जानकारी थी उन लोगो ने उतना उसे बताया था। यह भी कथन किया गया कि उस समय गवाहो ने जो बात बतायी थी, उसी को उसने अंकित किया था। उस समय तक अभियुक्त रोशनलाल की घटना में संलिप्तता की बात नहीं आयी थी। यह भी कथन किया गया कि इस मामले की विवेचना जब तक उसके पास थी तब तक अभियुक्त रोशनलाल का प्रश्नगत घटना में संलिप्त होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। यह भी कथन किया गया कि उस सयम इस घटना से गांव में व आसपास के गांवो में इतनी दहशत थी कि भय के मारे लोग कुछ बताने से डर भी रहे थे। यह भी कथन किया गया कि इस मामले की विवेचना उसके पास दिनांक–21–04–2021 तक रही थी। यह भी कथन किया गया कि भय और दहशत की बात उसने केस डायरी में लिखा है।

अभियुक्त फूल चन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि इस मामले से सम्बन्धित बरामद माल मुकदमा आज वह लेकर नहीं आया है। यह भी कथन किया गया कि माल मुकदमा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया था। यह भी कथन किया गया कि इस मामले की विवेचना दिनांक 11–04–2021 को उसने प्रारम्भ की थी। यह भी कथन किया गया कि दौरान विवेचना सबसे पहले उसने वादी मुकदमा का बयान अंकित किया था। यह भी कथन किया कि घटना की सूचना उसको पूर्व प्रधान अनुरूद्ध द्वारा समय करीब 9 बजे रात्रि दिनांक 10–04–2021 को दी गयी थी। यह भी कथन किया गया कि रात्रि में करीब 10.40 बजे दिनांक 10–04–2021 को वह घटना स्थल पर पहुंचा था। यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा के अलावा,अन्य गवाहो ने अभियुक्त फूलचन्द को भागते हुए टार्च से देखने की जो बात कही थी उसका अंकन केस डायरी में किया गया है। यह भी कथन किया गया है कि इस टार्च को उसने अपने कब्जे में नहीं लिया था क्योंकि वह माल मुकदमा नहीं था। यह भी कथन किया गया कि उसके गांव में पहुंचने से पहले अपराजिता के परिवार व गांव वाले उसकी लाश को उठाकर वादी मुकदमा के घर ले आये थे और चारपायी पर लिटा दिया था। यह भी कथन किया गया कि उस समय माहौल इतना खराब था कि यह जानकारी नहीं हो पायी कि कौन–कौन लोग शव को उठाकर नाले से घर तक लाये थे। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के पंचायतनामा में करीब एक घन्टे का समय लगा था। पंचायतनामा के बाद अपराजिता के शरीर को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बहराइच भेज दिया गया था। यह भी कथन किया गया कि घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गयी थी, सही समय नहीं याद है। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 11–04–2021 को वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त फूलचन्द का नाम अपने बयान

WWW.LIVELAW.IN

में बताया गया था। यह भी कथन किया गया कि उसके पहुंचने से पहले गांव में अन्य कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे। यह भी कथन किया गया कि प्रभारी फील्ड यूनिट अधिकारी दिनांक–11–04–2021 को आये थे। यह भी कथन किया गया कि नक्शा नजरी में अंकित "A "स्थान की दूरी वादी मुकदमा की दुकान से 100 मीटर है। नक्शा नजरी में अंकित "A" स्थान से घटना स्थल " x" की दूरी लगभग 50 कदम है। घटना स्थल वाला पूरा प्लाट ननकऊ कहार का है। यह भी कथन किया गया कि उसके उत्तरी कोने पर ननकऊ का मड़हा बना हुआ है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल से अपराजिता की दुकान का चाभी का गुच्छा, अपराजिता के बाल का क्लिप व अपराजिता के बाल में लगाने वाला प्लास्टिक का क्लेचर, दो अदद तम्बाकू गुटका की पुडिया, एक अदद सैम्पू का पैकेट व एक जोडी अपराजिता का हवाई चप्पल उसे सील कवर हालत में उसको प्राप्त कराया था। यह भी कथन किया गया कि घटना के समय ननकऊ कहार के प्लाट पर कोई फसल नहीं लगी हुई थी। यह भी कथन किया गया कि परती जमीन पड़ी थी। विद्वान न्यायमित्र /अधिवक्ता द्वारा पूछने पर साक्षी द्वारा यह कहा गया कि घटना स्थल" x" स्थान से अपराजिता का नाले में " G" स्थान पर शव पड़े होने की दूरी 34 कदम है। यह भी कथन किया गया कि जहां शव नाले में पड़ा था उस नाले में थोड़ा पानी था और कहीं–कहीं सूखा था। यह भी कथन किया गया कि दिनांक–11–04–2021 को 18.30 बजे के करीब अभियुक्त फूलचन्द को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल के पास नरकुल की झाड़ में छिपाकर रखा हुआ पीडिता (अपराजिता)की चड्डी, दुपट्टा तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने हुए पैन्ट, शर्ट व चड्डी, बीडी का बन्डल आदि सामान बरामद किया था, जिसकी फर्द बरामदगी मौके पर तैयार किया। यह भी कथन किया गया कि सूचना पाकर वादी व वादी की पत्नी मौके पर आ गयी थी जो अपराजिता के कपड़े को देखकर उसकी पहचान की थी। फर्द पर अभियुक्त व गवाहो के व उसके हस्ताक्षर बनवाये गये थे। यह भी कथन किया गया कि इस मुकदमें के अलावा थाने में अभियुक्त फूलचन्द के विरूद्ध अन्य कोई अपराधिक वाद पंजीकृत है या नहीं, इसकी जानकारी उसको नहीं है। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय हुई जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़ों के अलावा रूपया पैसा व अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद सामान दो अलग–अलग बण्डलो में सिलकर, मुहर कर मौके पर तैयार किया गया था।

टिप्पणी– उपरोक्त साक्षी पी.डब्लू.9 मनोज कुमार राय जो कि प्रकरण के प्रथम विवेचक है ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम वादी कि निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाना,अभियुक्त फूलचन्द की निशादेही पर अपराजिता एवं अभियुक्त के कपड़ो को बरामद करना,फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल से बरामद की गयी सामाग्री जो कि अपराजिता एवं अभियुक्त फूल चन्द से सम्बन्धित थी का फर्द

WWW.LIVELAW.IN

बनाना,डी०एन०जांच हेतु स्रोत प्रदर्श को विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा जाना तथा अभियुक्त फूलचन्द की गिरफ्तारी दिनांक 11–04–2021 को करना जैसे कथन किये जा रहे है। यह भी कथन किया गया कि उसके द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना तक इस प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभियुक्त रोशन लाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाये गये थे।यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहो द्वारा अभियुक्त फूल चन्द को टार्च की रोशनी में नाले के पास से भागते हुए देखा गया। यह भी कथन किया गया है कि प्रकरण के कारण गांव एवं आस पास में भय एवं दहशत का माहौल हो गया था।

पी०डब्लू०–10 निरीक्षक रवीन्द्र नाथ सिंह,अपराध शाखा बहराइच जो कि प्रकरण के द्वितीय विवेचक है को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि दिनॉक 24–04–2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मु०अ०स० सं० 67/2021 अन्तर्गत धारा 364, 302, 376 (3)IPC व धारा ¾ पाक्सो ऐक्ट थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि विवेचना ग्रहण करने के पश्चात पूर्व विवेचक द्वारा किता किये सी०डी० के पर्चे का अवलोकन किया और उसका हवाला सी०डी०में किया गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 30–04–2021 को वादी मुकदमा संतोष सिंह का मजीद बयान अंकित किया गया।यह भी कथन किया गया कि दिनांक 13–05–2021 को विवेचक एस०एच०ओ० मनोज कुमार राय का बयान अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात माल मुकदमा के बरामदगी के गवाह सुषमा सिंह, संतोष सिंह तथा कांसटेबिल जिसके द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था का बयान अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 28–05–2021 को बयान मजीद देशराज यादव तथा बयान सुरेश यादव सी०डी० में अंकित किया गया।यह भी कथन किया गया कि दिनांक–29–05–2021 को साक्षी संजय सिंह, राजू सिंह, संतोष सिंह का बयान उसके द्वारा अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 30–05–2021 को मुकदमें में अब तक की विवेचना से पाये जाने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रोशनलाल द्वारा घटना का आपराधिक षड़यन्त्र पाया गया अतः मुकदमें में धारा–120B भा०दं०सं० की वृद्धि करते हुए अग्रिम विवेचना प्रचलित की गयी। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 02–06–2021 को अभियुक्त रोशनलाल को गिरफ्तार करके उसका बयान अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि मुकदमें में अब तक की विवेचना के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के संकलन के आधार पर दिनांक 03–06–2021 को अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया व रोशन लाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया पुत्र ननकऊ कनौजिया,निवासी रेहुवा खास,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–364, 302, 376 (3) भा०द०सं० व धारा ¾ पॉक्सो ऐक्ट तथा अभियुक्त रोशनलाल पुत्र

WWW.LIVELAW.IN

दुलारे,निवासी रेहुवा खास,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–364, 302, 376 (3), 120B भा०द०सं० व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र संख्या–88 दिनांक 03–06–2021 उसके द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया। यह भी कथन किया गया कि मूल आरोप पत्र उसके सामने है। इसकी पुष्टि वह करता है। **आरोप पत्र** पर **प्रदर्श क–13** डाला गया।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसने दिनांक 24–04–2021 को इस मुकदमें की विवेचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ग्रहण की थी। यह भी कथन किया गया कि उसने दिनांक 30–04–2021 को प्रथम सूचक संतोष सिंह का बयान अंकित किया था। यह भी कथन किया गया कि इसके पश्चात एस०एच०ओ० श्री मनोज कुमार राय पूर्व विवेचक का बयान दिनांक 13–05–2021 को लिया था। यह भी कथन किया गया कि गवाह देशराज का बयान दिनांक 08–05–2021 को अंकित किया गया था।उसके पश्चात दिनांक 29–05–2021 को बयान स्वतन्त्र साक्षी संजय सिंह पुत्र प्रताप बहादुर सिंह व राजू सिंह पुत्र जगपाल सिंह का बयान अंकित किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में पुनः कथन किया गया है कि यह कहना गलत है। लोगो के प्रभाव से निष्पक्ष रूप से विवेचना नहीं की गयी है।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसने इस मामले की विवेचना दिनांक 24–04–2021 को प्रारम्भ की थी। दिनांक 30–04–2021 को वादी मुकदमा संतोष का मजीद बयान अंकित किया था । यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा संतोष सिंह के इस मजीद बयान में अभियुक्त रोशन लाल का नाम प्रकाश में नहीं आया और न ही उन्होनें इसके बारे में कुछ बताया था। यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा संतोष सिंह ने दिनांक 30–04–2021 को दिये मजीद बयान में यह कहा कि " घटना में फूलचन्द के अलावा और कोई भी शामिल है आप छानबीन कर ले और न्याय दिलाये "। यह भी कथन किया कि इस दिनांक–30–04–2021 के बयान में अभियुक्त रोशनलाल के बारे में कोई कथन नहीं किया गया था। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 28–05–2021 को वह ग्राम रेहुआ गांव के कस्बा में घूमकर मामले की सत्यतता जानने का प्रयास कर रहा था। यह भी कथन किया गया कि उसी समय यह पता चला कि अभियुक्त फूलचन्द का एक दोस्त है जिसका नाम रोशनलाल है। यह दोनो शराब पीने के आदी है। यह भी कथन किया गया कि इसलिए वह शराब भट्ठी पर गया था। शराब भट्ठी के मैनेजर सेल्समैन से पूछताछ किया था। यह भी कथन किया गया कि शराब भट्ठी पर ही उसको सुरेश यादव गवाह मिला। इसी समय उसको प्रश्नगत मामले के षडयंत्र में रोशनलाल का नाम प्रकाश में आया। यह भी कथन किया गया कि उसी समय सुरेश यादव का बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। यह भी कथन किया गया कि सुरेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि "वह

WWW.LIVELAW.IN

भी गलत आदत के कारण शराब पीने आया था। उन दोनो से उसकी वहीं ठेके पर ही पहचान हुई थी।"------यह भी कथन किया गया कि उसने यह भी कहा था कि बातचीत में उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। यह भी कथन किया गया कि उसी दिन उसने केस डायरी में यह अंकित किया कि रोशनलाल को घटना के अपराध के षड़यन्त्र में शरीक होने के साक्ष्य पाये जा रहे है। इस सम्बन्ध में और गहनता से साक्ष्य संकलित किया जायेगा। इसके बाद दौरान विवेचना उसने संजय सिंह व राजू सिंह के बयान अंकित किये। इन दोनो के बयान से भी यह निष्कर्ष निकला कि अभियुक्त रोशनलाल भी इस अपराध के षडयन्त्र में शामिल था। यह भी कथन किया गया कि दिनांक-30-05-2021 को वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध धारा-120B भा०द०स० का साक्ष्य है। यह भी कथन किया गया कि इन्हीं उपरोक्त गवाहो के बयानो के आधार पर अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध प्रश्नगत मामले में षड़यन्त्र करने के लिए धारा-120B भा०द०स०में आरोप पत्र प्रेषित किया है। यह भी कथन किया गया कि पूरी विवेचना में जो साक्ष्य आये थे उसी के आधार पर अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः प्रश्न पूछने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि केस डायरी के पर्चा दिनांक 30-05-2021 को अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध धारा-120B भा०द०स०का आरोप साबित होने का अंकन है और इसी दिनांक के परचे में अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-364, 302, 376 (3), 120B भा०द०सं० व धारा- ¾ पॉक्सो ऐक्ट का अपराध बखूबी साबित होना अंकित किया गया है। यह भी कथन किया गया कि विवेचना के दौरान अभियुक्त फूलचन्द का डी०एन०ए० परीक्षण हेतु सैम्पल लिया गया था और परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट उसने देखी है। यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त रोशनलाल का डी०एन०ए० परीक्षण कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया।यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त रोशनलाल के डी०एन०ए० परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं समझा था इसलिए उसका डी०एन०ए० परीक्षण सैम्पल नहीं लिया गया था।यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त रोशनलाल के डी०एन०ए० सैम्पल परीक्षण हेतु भेजने का कोई औचित्य नहीं था। इस साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध बिना किसी साक्ष्य के पुलिस प्रशासन के दबाव में न्यायालय में फर्जी आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत एवं अभियोजन के आवेदन पर पी०डब्लू०-10 निरीक्षक रवीन्द्र नाथ सिंह,अपराध शाखा बहराइच पुनः परीक्षित हुए । दिनांक 05-10-2021 को उपस्थित आकर पी०डब्लू० 10 द्वारा सशपथपूर्वक बयान किया कि दौरान विवेचना दिनांक 13-05-2021को इस घटना से सम्बन्धित नक्शा

WWW.LIVELAW.IN

नजरी,बरामदगी स्थल, अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया के कपड़े आदि से सम्बन्धित मौके पर तैयार किया गया था जो पत्रावली में संलग्न है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह इसकी पुष्टि करता है। बरामदगी नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि नक्शा नजरी बाद में मनचाहे तरीके से अभियोजन को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि जो फर्द उसने बनायी है, वह झूठी,गलत एवं निराधार है। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि घटना स्थल के बगल में सारी वस्तुए खुली हुई पड़ी थी। इस साक्षी ने पुनः यह भी कथन किया कि यह भी कहना गलत है कि जब वह अभियुक्त फूलचन्द को घटना स्थल पर लेकर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही 10–50 लोग मौजूद थे।

टिप्पणी–उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 10 जो कि प्रकरण के द्वितीय विवेचक है ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से प्रकरण से सम्बन्धित द्वितीय अभियुक्त रोशनलाल के कृत्य का उल्लेख किया है एवं अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त रोशन लाल को षड़यन्त्रकारी होने का कथन किया जा रहा है। प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव का दौरान विवेचना बयान लेने के कथन के साथ–साथ प्रकरण के सम्बन्धित आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के कथन किये जा रहे है। प्रकरण से सम्बन्धित घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल की नक्शा नजरी तैयार किये जाने के भी कथन किये जा रहे है।

पी०डब्लू०–11 वरिष्ठ उप–निरीक्षक,रघुवीर गौतम,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि दिनांक 11–04–2021 वह इसी थाने पर इसी पद पर तैनात था। उस दिन मृतका (काल्पनिक नाम अपराजिता) पुत्री संतोष कुमार सिंह निवासी राजा रेहुवा,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही समक्ष गवाहान समय 06.20 ए०एम० से 7.00 ए० एम० तक की थी। पंचायतनामा भरने के बाद शव को सर्वमुहर कर महिला व पुरूष आरक्षी द्वारा पी.एम.हेतु बहराइच जिला चिकित्सालय बहराइच भेजा गया था। यह भी कथन किया गया कि पंचायतनामा भरने के बाद उसने सभी गवाहान के हस्ताक्षर बनवाये थे। यह भी कथन किया गया कि शामिल मिसिल मूल पंचायतनामा व उससे सम्बन्धित सभी अवश्यक प्रपत्र उसके सामने है। यह भी कथन किया गया कि सभी प्रपत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह इसकी पुष्टि करता है। मूल पंचायतनामा पर पूर्व में प्रदर्श क–3 डाला चुका है। फोटो लाश पर प्रदर्श क–15, पुलिस प्रपत्र–13 पर प्रदर्श क–16, चिट्ठी सी०एम०ओ० पर प्रदर्श क–17, चिट्ठी आर०आई०पर प्रदर्श क–18 डाला गया।

अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर

WWW.LIVELAW.IN

इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि विवेचक महोदय के पहुंचने के पहले ही वह मौके पर पहुंच गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही सुबह 06.20 से 07.10 तक चली थी। यह भी कथन किया गया कि वह मौके पर कितने बजे पहुंचा था, समय याद नहीं है। इस साक्षी ने पुनः कथन किया कि यह कहना गलत है कि पंचायतनामा की कार्यवाही फर्जी तौर पर तैयार की गयी है।

अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि पंचायतनामा पर अशोक सिंह,संतोष सिंह,राम रूप सिंह,सरोज सिंह व अमरेन्द्र के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। पुनः इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि पंचायतनामा की कार्यवाही देर से की गयी है और फर्जी तरीके से की गयी है।

टिप्पणी–उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 11 जो कि पंचायतनामा के गवाह है,ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पंचायतनामा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए पंचायतनामा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रो को साबित किया है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पंचायतनामा को पूर्व में अभियोजन साक्षी द्वारा साबित किया जाना एवं पंचायतनामा के समय उपस्थित सभी साक्षियो का उल्लेख किया जा रहा है।

अभियुक्त रोशनलाल द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में डी०डब्लू० 1 पेशकार व डी०डब्लू० 2 संतोष को परीक्षित कराया गया ।

डी०डब्लू०–1 पेशकार उम्र 30 साल पुत्र दुलारे निवासी राजा रेहुवा ,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच जो अभियुक्त रोशनलाल का सगा भाई है,ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि रोशनलाल अभियुक्त उसका भाई है। वह व रोशनलाल अपने माता–पिता के साथ पुश्तैनी मकान में रहते है। यह भी कथन किया गया कि उसके गांव में संतोष सिंह रहते है। उनकी लड़की के बारे में घटना हुई थी। उस दिन वह पूरे दिन व रात में अपने घर पर था। यह भी कथन किया गया कि उसके भाई रोशन लाल उस दिन समय करीब 10–11 बजे दिन में मौसी के पोती के जन्मतिथि पर उनके घर रायपुर गये हुए थे। यह भी कथन किया गया कि मौसी–मौसिया मर चुके है। उनका इकलौता पुत्र संतोष है,उसी की छोटी पुत्री का जन्मदिन था। यह भी कथन किया गया कि रोशनलाल वहां से दूसरे दिन सुबह 09–10 बजे दिन में वापस आये थे। यह भी कथन किया गया कि रोशनलाल घटना वाले दिन व रात में गांव पर वापस नहीं आये थे। यह भी कथन किया गया कि वर्ष 2012–2013 में कुछ जमीन उसने व रोशनलाल ने मिलकर रामू व संजय से खरीदी थी जिसका बैनामा लिखवाया था, उस जमीन के बगल संजय की कुछ जमीन बच गयी थी जो उनके मां के नाम थी। उसे भी हम लोग खरीदना चाहते थे और उस पर हम दोनो भाईयो का कब्जा भी था। उस जमीन को वीरेन्द्र सिंह ने बैनामा करा लिया था। इसका विवाद हम लोगो व वीरेन्द्र सिंह के बीच हुआ था। यह भी कथन किया कि इस कारण हम लोगो का भूपेन्द्र सिहं व वीरेन्द्र सिंह से सम्बन्ध ठीक नहीं था। सुरेश यादव जो खैरहन के रहने वाले है,उनके भाई कमलेश उसके मौजा से बी०डी०सी० का चुनाव

WWW.LIVELAW.IN

लड़ रहे थे। उनके मुकाबले में कीर्तन तिवारी चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में हम लोग कीर्तन तिवारी की मदद कर रहे थे जिसके कारण सुरेश सिंह हम लोगो से नाराज थे। दिनेश शुक्ला जो उसके गांव के है,वह संतोष सिंह व अमरेन्द्र सिंह जो प्रधान पति थे के साथ रहते थे और इन लोगो में काफी घनिष्ठता थी। यह भी कथन किया कि उसका भाई रोशन लाल शराब नहीं पीता था। फूलचन्द व रोशनलाल मुल्जिम की कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि आपस में मेड़ बन्दी का झगड़ा चल रहा था तथा एक पेड़ गिर जाने का भी विवाद था। यह भी कथन किया कि रोशन लाल,संतोष सिंह की लड़की वाली घटना में पूर्णतया निर्दोष है। रोशन लाल,संतोष सिंह की लड़की वाली घटना के दूसरे दिन जब रायपुर से लौटे थे तब से गांव पर ही रहकर खेती–बारी व मजदूरी आदि का कार्य करते थे। कभी गांव से भागे नहीं थे। घटना के एक महीना, 25–26 दिन बाद जब वह घर के बाहर सो रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके पहले पुलिस कभी पूछने नहीं गयी थी। यह भी कथन किया गया कि रोशन लाल को इस मामले में फर्जी फंसाया गया है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि उसे न्यायालय का कोई सम्मन नहीं मिला था। वह न्यायालय के सम्मन पर गवाही देने नहीं आया है। यह भी कथन किया गया कि मुल्जिम रोशन लाल उसका सगा भाई है,इसलिए वह अदालत पर बयान देने आया है। उसकी सगी मौसी की ससुराल गांव रायपुर में है। उसके गांव से उसकी मौसी की ससुराल रायपुर गावं लगभग 06–07 कि०मी० की दूरी पर है। रोशन लाल साइकिल चला लेते है। मौसी के पोती के जन्मदिन में केवल रोशन लाल गये थे और भाई नहीं गये थे क्योंकि ये लोग जालन्धर गये हुए थे और वह गांव में ही था। यह भी कथन किया गया कि उसके परिवार से एवं भूपेन्द्र के परिवार के बीच किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। यह भी कथन किया कि उसने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसके भाई निर्दोष है और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और फर्जी फंसा दिया। यह भी कथन किया कि, यह जानते हुए भी उसने पुलिस के उच्चाधिकारियों को कोई प्रार्थना पत्र पुलिस वाले के विरूद्ध नहीं दिया था। इस साक्षी द्वारा पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त रोशन लाल का सगा भाई होने के कारण अपने भाई के प्रेमवश उसको मुकदमें में छुड़ाने के लिए वह न्यायालय पर उसको बचाने के लिए बयान देने आया है।

टिप्पणी–उपरोक्त साक्षी डी०डब्लू० 1 जो कि अभियुक्त रोशनलाल का सगा भाई है ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी की मुकदमा की लड़की अपराजिता के साथ घटना होने का कथन किया जा रहा है।अभियुक्त रोशनलाल का घटना का दिन अन्यत्र उपस्थिति अर्थात अपने मौसी के घर जाने एवं दूसरे दिन आने का कथन किया जा रहा है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से रोशनलाल का पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह से जमीन विवाद तथा पी०डब्लू० 3 से चुनावी मतभेद एवं पी० डब्लू० 4 का वादी मुकदमा से घनिष्ठता होने के तथ्यो का उल्लेख किया जा रहा है।

WWW.LIVELAW.IN

डी०डब्लू०–2 संतोष उम्र 30 साल पुत्र सियाराम, निवासी रामपुर नौसहरा ,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में सशपथ कथन किया कि वह मुल्जिम रोशन लाल को जानता है। रोशन लाल उसका मौसेरा भाई है। उसकी सबसे छोटी लड़की जानकी का दूसरा जन्मदिन 10–04–2021 को था। उसमें उसका मौसेरा भाई उसके घर गया हुआ था। वह उस दिन 12.00–1.00 बजे पहुंच गये थे। दिनांक 10–04–2021 को पूरे दिन तथा रात में उसके घर पर रह रहे थे । दूसरे दिन चाय–पानी पीकर चले गये थे।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया गया कि रोशन लाल अभियुक्त उसकी सगी मौसी के लड़के है। उसकी लड़की की जन्मतिथि उसको याद नहीं है। इस साक्षी ने पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि रोशन लाल उसकी सगी पोती का लड़का होने के नाते झूठी गवाही दे रहा है।

टिप्पणी– उपरोक्त साक्षी अभियुक्त रोशनलाल का मौसेरा भाई है जिसने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त रोशनलाल की घटना के दिन अन्यत्र उपस्थिति के कथन किये जा रहे है। अपने साक्ष्य के माध्यम से यह कथन किया गया कि अभियुक्त रोशनलाल उसके गांव में घटना की तिथि पर, उसकी पुत्री के जन्मदिन के उपलक्ष पर उपस्थित था एवं दूसरे दिन अपने गांव वापस गया। अवलोकनीय यह है कि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी को यह नहीं पता कि उसकी पुत्री की जन्मतिथि क्या है।

अभियुक्त फूलचन्द अपने बचाव में न ही स्वयं परीक्षित हुआ और न ही अपने बचाव में उसकी ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित कराया गया।

11– विद्वान अधिवक्तागणो की बहस

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष अभियोजक दाण्डिक संत प्रताप सिंह द्वारा अभियोजन का पक्ष रखते हुए दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण एक नाबालिग लड़की के अपहरण,बलात्कार एवं हत्या से सम्बन्धित है जिसे प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगणो द्वारा सुनियोजित तरीके से क्रियान्वित किया गया। विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त फूल चन्द एवं अभियुक्त रोशन लाल को अपराजिता को लेकर पहले से कामवासना थी एवं इसकी पूर्ति हेतु उनके द्वारा दिनांक 10–04–2021 को एक सुनियोजित षड़यन्त्र रचा गया। यह षड़यन्त्र अपराजिता का बलात्कार करने के आशय से व्यपहरण करना था। इस षड़यन्त्र के निष्पादन में अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल दिनांक 10–04–2021 को अपराजिता की दुकान पर लगभग 08.30 बजे रात में पहुंचे एवं उसे घर छोड़ने के बहाने ले गये तथा रास्ते में ननकऊ कहार के प्लाट पर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार एवं प्रवेशन लैंगिक हमला किया। यह भी कथन किया गया कि इस कृत्य के दौरान अपराजिता

WWW.LIVELAW.IN

के गुप्तांगो पर गम्भीर चोटे आयी और वह लहु–लुहान हो गयी। यह भी कथन किया गया कि अपने कृत्य को छुपाने के लिए अभियुक्तगणो द्वारा पीड़िता के शरीर पर इतनी गम्भीर चोटे पहुंचायी गयी जो अन्तःमन को हिला दे एवं अन्ततःअपराजिता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह कथन भी किया गया कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगणो ने अपराजिता के साथ बलात्कार करने का षड़यन्त्र रचा, पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्तगणो को अपराजिता के साथ अन्तिम बार देखे जाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य दिया गया है एवं उनके साक्ष्य में यह भी आया है कि इसी देखे जाने के तत्काल बाद अपराजिता की लाश नाले से बरामद हुई जहां पर टार्च की रोशनी में अभियुक्तगणो को भागते हुए भी देखा गया। विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा पी० डब्लू० 1 संतोष सिंह एवं पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ल द्वारा दिये गये साक्ष्य पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त दोनो साक्षियो द्वारा भी अभियुक्तगणो को अपराजिता की लाश की बरामदगी के स्थल से भागते हुए देखा गया जो अभियुक्तगणो के पश्चयार्वती आचरण का द्योतक है एवं धारा–8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियुक्तगणो के विरूद्ध सुसंगत साक्ष्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त फूलचन्द की निशांदेही पर स्वयं अभियुक्त फूलचन्द एवं अपराजिता के वस्त्र तथा बीड़ी का बण्डल,माचिस,तम्बाकू की पुड़िया घटना स्थल से बरामद की गयी जो अभियुक्त फूलचन्द के विरूद्ध उत्पन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक अतिरिक्त कड़ी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराजिता की चिकित्सीय परीक्षण एवं उसकी शव विच्छेदन आख्या जो कि चिकित्सीय साक्षी पी०डब्लू० 5 एवं पी०डब्लू० 6 द्वारा साबित की गयी है, से यह स्पष्ट है कि अपराजिता की बलात्कार उपरान्त हत्या कारित कर दी गयी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त आख्या के अनुसार अपराजिता के वस्त्र पर पुरूष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी जिसे अभियुक्तगणो के विरूद्ध उत्पन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियो से जोड़ कर देखा जाये तो यह संदेह से परे साबित है कि अभियुक्तगणो द्वारा ही अपराजिता से बलात्कार कर उसकी हत्या कारित कर दी गयी। याचना की गयी कि अभियुक्तगणो को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाये।अभियोजन की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत विद्वान अधिवक्ता के०एस०तोमर द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं हत्या से सम्बन्धित है।यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पाक्सो अधिनियम 2012 के तहत एवं इस अधिनियम की **धारा 29 एवं 30** के तहत विशेष न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जायेगी कि आरोपित व्यक्ति ने या तो अपराध किया है या तो उस अपराध को करने में दुष्प्रेरण किया है जब तक कि इसके विरूद्ध स्वयं अपराधी अपनी निर्दोषिता साबित न कर दे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा अपने समस्त साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगणो के विरूद्ध उत्पन्न परिस्थितिजन्य साक्ष्य की समस्त कड़ियो को आपस में जोड़ कर अभियुक्तगण की दोषिता को साबित किया गया है,ऐसे में

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था–**मो० साजन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2016(3)JIC 321(All),हरिराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020(3)JIC 764(All),होतीलाल राजपूत एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021(2)JIC 58(All)** एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था– **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश 2005 (2) JIC 27(SC)**, **प्रदीप कुमार बनाम यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ 2007(1)JIC 634(SC), नवाब बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2020(1)JIC 794(SC), राजस्थान राज्य बनाम काशीराम (2007)1 Supreme Court Cases(Cri)688, सुद्रु बनाम छत्तीसगढ राज्य 2019(3)JIC 659(SC), धन्नजय चर्टजी उर्फ धाना बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य,1994 एस०सी०आर०(1),37, अक्षर सिंह बनाम हिमांचल प्रदेश राज्य 2021(3)JIC 119(SC) एवं विष्णु उर्फ उन्दरया बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006(1)JIC 647(SC)** पर बल दिया गया।

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त फूलचन्द निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन कहानी संदेहास्पद है। पी०डब्लू० 8 अरविन्द कुमार मिश्रा,प्रधानाचार्य के साक्ष्य जो इस बावत थे कि घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 पर स्कूल बन्द था को रखते हुए अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह का यह कहना कि अपराजिता स्कूल से वापस आकर दुकान पर गयी थी स्वतः संदेहास्पद हो जाता है। फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा दाखिल आख्या के अनुसार अभियुक्त फूलचन्द से लिया गया नमूना रक्त, अपराजिता से प्राप्त वेजाइनल स्लाइड पर उपस्थित बायोजिकल द्रव्य के समान नहीं पाया गया जो स्वयं अभियुक्त फूलचन्द द्वारा अपराजिता से बलात्कार करने की घटना को झूठा बना देता है। विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त फूलचन्द, पी०डब्लू० 1(वादी मुकदमा) एवं पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह का ट्रैक्टर ड्राइवर था जिसकी विगत कुछ महीनो से वेतन नहीं दिया गया था एवं उसको मांगने पर वादी मुकदमा द्वारा फूलचन्द को झूठा फंसा दिया गया। उपरोक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा याचना की गयी कि अभियुक्त फूलचन्द द्वारा न ही अपराजिता के साथ बलात्कार किया है और न ही उसकी हत्या की गयी है,ऐसे में अभियुक्त फूलचन्द आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त रोशन लाल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रोशन लाल प्रस्तुत घटना से पूर्णतया अनभिज्ञ है एवं वह

WWW.LIVELAW.IN

घटना की तिथि पर अपने गांव में उपस्थित नहीं था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव को अभियोजन द्वारा पेश कर, अभियुक्त रोशनलाल की घटना एवं घटना से पूर्व कथित षड़यन्त्र में संलिप्तता प्रकट की जा रही है,वह साक्षी संयोग साक्षी की श्रेणी में आता है एवं उसके कथन विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 1,पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 4 के साक्ष्य में यह आया है कि उन्होने घटना की रात में ही पीड़िता के लाश की बरामदगी स्थल से अभियुक्तगणो को भागते हुए देखा,परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अपराधियो के विरूद्ध दर्ज करायी गयी जो स्वतः अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देती है।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रोशन लाल की गिरफ्तारी घटना से लगभग डेढ़ माह उपरान्त की गयी जो मात्र इसी तथ्य का द्योतक है कि अभियुक्त रोशनलाल को रंजिशन फंसा दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा पीड़िता की मां उसके भाई को परीक्षित नहीं कराया गया जो एक महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस टार्च की रोशनी में अभियुक्तगणो को भागते हुए देखे जाने का कथन पी०डब्लू० 1,पी०डब्लू० 2 एंव पी०डब्लू० 4 द्वारा किया जा रहा है उस टार्च को विवेचक द्वारा दौरान विवेचना न ही बरामद किया गया और न ही उसकी फर्द तैयार की गयी जो अभियुक्तगणो की पहचान को ही संदेहास्पद बना देता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथ्य के परीक्षित सभी अभियोजन साक्षियो के मौखिक साक्ष्य एवं उनके बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में अन्तर्विरोध है जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रोशनलाल एवं पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह में जमीन को लेकर विवाद था,एवं इसी विवाद के कारण घटना के इतने दिन बाद अभियुक्त रोशनलाल को फर्जी फंसा दिया गया है।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षियो के बयान में पीड़िता के साथ हुई घटना के समय को लेकर आपस में अन्तर्विरोध है जो सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना स्थल एवं घटना का समय स्पष्ट नहीं किया गया है जो अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है। उपरोक्त सम्पूर्ण बहस पेश करते हुए अभियुक्त रोशन लाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अन्तिम तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रोशन लाल द्वारा न तो घटना कारित की गयी है और न ही उसकी घटना में संलिप्तता थी,ऐसे में अभियुक्त रोशनलाल आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अपने बहस के समर्थन में अभियुक्त रोशन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाओ पर बल दिया गया–(1) **नवीन धनीराम बैराई बनाम महाराष्ट्र राज्य** 2018 **CRI.L.J**.3393(**बाम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेन्च**) (2) **श्यामल दास बनाम असम राज्य** 2017 **CRI.L.J**.3135 (**गुहाटी हाईकोर्ट**) (3) **आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2021(1)**JIC** 651(**All**)(4)**देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं बाबू लाल बनाम राजस्थान राज्य** 2019(1)**JIC** 629(**SC**)(5)**हरबीर सिंह बनाम शीषपाल एवं अन्य व**

WWW.LIVELAW.IN

राजस्थान राज्य बनाम शीषपाल एवं अन्य 2017 CRI. L.J. 169 SC ।

12– अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र/विद्वान अधिवक्ता एवं उपस्थित विशेष अभियोजक (दाण्डिक) एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

13–**विशेष टिप्पणी–**प्रश्नगत मामला एक ऐसा अपराध है जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष विधायन किया गया है। सामान्य दण्ड विधिशास्त्र के अनुसार अभियोजनपक्ष को अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की कमियो का कोई लाभ अभियोजनपक्ष को नहीं दिया जा सकता,अर्थात विचारण प्रारम्भ होने के साथ ही न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है जब कि पाक्सो अधिनियम 2012 , सामान्य दण्ड विधि शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है और पाक्सो अधिनियम की **धारा –29** अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त को दोषी होने की उपधारणा किये जाने एवं **धारा–30** अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

धारा–29 इस प्रकार है।

29–कतिपय अपराधो के बारे में उपधारणा– जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा–3,धारा–5,धारा–9 के अधीन किसी अपराध को करने,करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक की इसके विरूद्ध साबित नहीं हो जाता।

धारा–30 इस प्रकार हैः–

30–**आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा** –(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है,न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा,किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उनकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनो के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

इस प्रकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना एवं अभियुक्त की आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा करने हेतु न्यायालय बाध्य है। अधिनियम के प्रावधान,आज्ञापक है, किन्तु यह उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है। अभियुक्त अपने स्वयं के साक्ष्य से अथवा प्रस्तुत साक्षियो के आधार पर इस उपधारणा का खण्डन कर सकता है।

WWW.LIVELAW.IN

14– अभियोजन द्वारा प्रकरण के तथ्यात्मक विन्यास *(Factual Matrix)* इस प्रकार रखे गये है कि अपराजिता दिनांक 10–04–2021 के दोपहर में स्कूल से लौटने के उपरान्त अपने चचेरे भाई अर्थात पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह के मकान में स्थित अपनी परचून की दुकान खोलने गयी। यह दुकान वह इसलिए खोलने गयी क्योकि उसके पिता पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह गेहूं काटने गये थे। खेती के साथ–साथ परचून की दुकान ही उसके घर के कमाई का स्रोत था। अपराजिता ने दुकान पर बैठकर बिक्री करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसके गांव के ही निवासी फूलचन्द जो कि उसके परिवार का ट्रैक्टर ड्राइवर था एवं एक अन्य व्यक्ति रोशनलाल दिनांक 10–04–2021 की शाम 06.00 बजे के करीब सगरा शराब भट्ठी पर गये एवं शराब पी। उनके मध्य अपराजिता को लेकर वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप किसी भी तरीके से अपराजिता के साथ अपनी कामवासना की पूर्ति करने का था। इस वार्तालाप में अपराजिता को प्रलोभन देकर या उसके न मानने पर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना शामिल था। उक्त वार्तालाप का एक चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव भी है। फूलचन्द एवं रोशनलाल ने मिलकर अपराजिता के साथ बलात्कार करने का षड़यन्त्र रचा एवं इस षड़यन्त्र के निष्पादन में दोनो सगरा शराब भट्ठी से चले तथा वे अपराजिता की परचून की दुकान जो पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिहं के आवासीय परिसर में स्थित थी पर लगभग 08.30 बजे रात में पहुंचे। इस षड़यन्त्र से पूर्व फूलचन्द, पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह के साथ बहराइच से ट्रैक्टर बनवाकर गांव वापस आ चुका था। परचून की दुकान पर पहुंचने के उपरान्त फूलचन्द एवं रोशनलाल द्वारा अपराजिता से वार्तालाप शुरू की गयी। अपराजिता से वार्तालाप के दौरान दोनो व्यक्तियो द्वारा उसे घर छोड़ने को कहा गया एवं दोनो व्यक्तियो द्वारा उसे घर छोड़ने जाने के लिए मना लिया गया। दुकान बंद करवायी गयी और दोनो व्यक्ति अपराजिता को साथ लेकर उसके घर की तरफ चले। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह जिनके आवासीय परिसर में ही यह परचून की दुकान स्थित थी,ने उपरोक्त व्यक्तियो की वार्तालाप सुनी तथा उनको अपराजिता को घर ले जाते स्वयं देखा गया। इसी बीच लगभग 09.00 बजे रात में अपराजिता के पिता पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह का फोन पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह के पास आया एवं उन्होनें अपनी पुत्री की जानकारी ली। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह ने उनसे बताया कि अपराजिता दुकान बन्द करके घर जा चुकी है। पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह द्वारा पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र से यह कहा गया कि अपराजिता अभी घर नहीं पहुंची है, इस पर भूपेन्द्र अपने घर से टार्च लेकर तथा संतोष सिंह अपने घर से अन्य लोगो को साथ लेकर अपराजिता को ढूढ़ने निकले। गांव में ढूढ़ते हुए जब वह गांव में स्थित नाले के पास पहुंचे तो टार्च की रोशनी में फूलचन्द व रोशनलाल को भागते हुए देखा एवं उसी नाले में अपराजिता नग्न अवस्था में मृत पायी गयी। अपराजिता को उठाया गया एवं उसे घर लाया गया तथा सुबह अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध अपहरण एवं हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया एवं जैसे–जैसे विवेचना आगे बढ़ी एवं जैसे–जैसे अपराध में कारित कड़िया आपस में मिली, फूलचन्द व रोशनलाल के द्वारा कारित कृत्य प्रकाश में आये एवं उनकी गिरफ्तारी

WWW.LIVELAW.IN

हुई।अभियोजन द्वारा पेश किये गये तथ्य के मौखिक साक्षियो ने दोनो अभियुक्तगणो पर अपराजिता का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार कर,उसकी हत्या कारित किये जाने के कथन किये गये है। **दौरान विवेचना तथ्य के इन साक्षियो के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० दर्ज हुए। अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में उक्त साक्षीगण द्वारा इस अपराध में अभियुक्तगणो के कृत्य के बावत उनकी पृथक–पृथक भूमिका का उल्लेख किया गया है,जिसका उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये मौखिक साक्ष्य से तुलनात्मक अध्ययन किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। इस तुलनात्मक अध्ययन को मैं टिप्पणी सहित निम्नरूप में रखना चाहता हूँ।**

<u>तुलनात्मक सारिणी</u>

तथ्यात्मक साक्षी	*कथन अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स०*	*कथन जरिए मुख्य परीक्षा*	*टिप्पणी*
पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव	इस साक्षी ने उपरोक्त कथन में अभियुक्त रोशनलाल द्वारा फूलचन्द को उकसाने अथवा दुष्प्रेरित करने के कथन किये गये।	इस साक्षी ने उपरोक्त कथन में अभियुक्त रोशनलाल द्वारा फूलचन्द को उकसाने अथवा दुष्प्रेरित करने के कथन किये गये।	दोनो बयानो में समानता है।
पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह (*अपराजिता को अभियुक्तगणो के साथ अन्तिम बार देखे जाने वाला साक्षी*)	इस साक्षी ने अभियुक्त फूलचन्द के साथ घटना के दिन बहराइच आकर ट्रैक्टर बनवाकर वापस गांव आने के कथन किये गये। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 10-04-2021 की रात्रि फूलचन्द व रोशनलाल परचून की दुकान पर खड़े थे, कुछ देर बाद रोशन लाल चला गया एवं फूलचन्द रूका रहा तथा अन्य कथनो के साथ यह भी कहा कि अपराजिता को फूलचन्द लेकर घर की तरफ गया। यह भी कथन किया गया कि नाले के पास से अभियुक्त फूलचन्द को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा गया।	इस साक्षी ने अभियुक्त फूलचन्द के साथ घटना के दिन बहराइच आकर ट्रैक्टर बनवाकर वापस गांव आने के कथन किये गये। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 10-04-2021 की रात्रि फूलचन्द व रोशनलाल परचून की दुकान पर खड़े थे एवं अन्य कथनो के साथ यह कथन किया कि दोनो अपराजिता को लेकर घर की ओर गये एवं यह भी कथन किया कि नाले के पास दोनो अभियुक्तगणो को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा गया।	दोनो बयानो में अभि. फूलचन्द की भूमिका के बावत किये गये कथन पूर्णरूप से समान है परन्तु अभियुक्त रोश्नलाल की भूमिका के बावत कुछ समानता नहीं है।
पी.डब्लू.1 संतोष सिंह	अपने बयान में अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० में इस साक्षी द्वारा अन्य कथनो के साथ यह कथन किया गया कि बाद में हुई जानकारी के अनुसार उसे विश्वास है कि अभि० फूलचन्द द्वारा ही उसकी बेटी का व्यपहरण कर बलात्कार कर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी गयी।	अपने मौखिक साक्ष्य में दोनो अभियुक्तगणो द्वारा अपराजिता की बलात्कार कर हत्या कारित किये जाने के कथन किये गये एवं यह भी कथन किया गया कि दोनो मुल्जिमानो को रात में टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा गया।	अभियुक्त फूलचंद के कृत्य के बावत दोनो बयानो में समानता है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त रोशनलाल के कृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख अपने मौखिक साक्ष्य में किया गया है तथादोनो अभियुक्तगणो को नाले के पास टार्च की रोशनी से भागे जाने को देखे जाने का भी सर्वप्रथम कथन अपने मौखिक साक्ष्य में ही किया जा रहा है।

WWW.LIVELAW.IN

पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ला	अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० में अन्य कथनो के साथ अभियुक्त फूलचन्द को नाले की तरफ टार्च जलाकर देखे जाने पर भागते हुए देखे जाने का कथन किया जा रहा है।	अपने मौखिक साक्ष्य में अन्य कथनो के साथ अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल दोनो को नाले की तरफ टार्च जलाकर देखे जाने पर भागते हुए देखे जाने का कथन किया जा रहा है।	अभियुक्त फूलचन्द को भागते देखने का कथन दोनो बयानो में किया गया है परन्तु अभि० रोशनलाल के बावत प्रथम उल्लेख अपने मुख्य परीक्षा में ही किया जा रहा है। इसी तथ्य को लेकर इस साक्षी के दोनो बयानो में असमानता है।

उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रकरण एक संवेदनशील प्रकरण है जो कि एक नाबालिग लड़की के व्यपहरण,बलात्कार एवं हत्या से सम्बन्धित है।आरोप उसी लड़की के गांव के दो व्यक्तियो के ऊपर लगाये गये है।इस प्रकरण के दो महत्वपूर्ण साक्षी है जिन्होनें क्रमशः अभियुक्तगणो के षड़यन्त्र एवं अभियुक्तगणो को अपराजिता के साथ अन्तिम बार देखे जाने के साक्ष्य दिये है।प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य के अन्यत्र दो परीक्षित साक्षियो ने अभियुक्तगण के पश्चयावर्ती आचरण के बावत साक्ष्य दिये है। उपरोक्त तुलनात्मक सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि अपराध में अभियुक्त फूलचन्द एवं अभियुक्त रोशनलाल की भूमिका के बावत बड़ी ही संवेदना से उनके विरूद्ध आये साक्ष्यो का सम्प्रेक्षण करना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था–**उ०प्र० राज्य बनाम अनिल सिंह,ए०आई०आर० 1988 में** पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यो का विश्लेषण करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि–

"It is the duty of the Court to cull out the nuggets of truth from the evidence unless there is reason to believe that the inconsistencies or falsehood are so glaring as utterly to destroy confidence in the witnesses. It is necessary to remember that a Judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also preside to see that a guilty man does not escape. One is as important as the other. Both are public duties which the Judge has to perform."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि प्रस्तुत प्रकरण एक संवेदनशील प्रकरण है जो मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर ही आधारित है,ऐसे में मुझ पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षित है कि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगणो के विरूद्ध आये साक्ष्य का उच्चतम मूल्यांकन/सम्प्रेक्षण किया जाये जिससे कि न्याय सम्भव हो।

धारा 354(1) (b) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत तर्को के सापेक्ष में प्रकरण में अभियुक्तगणो के

WWW.LIVELAW.IN

विरूद्ध आये साक्ष्य के सुलभ सम्प्रेक्षण हेतु तथा अभियुक्तगणो की अपराध में भूमिका क्या थी, को विनिश्चित करने हेतु, निम्नलिखित **विनिश्चयात्मक बिन्दु (मुख्य अवधारित बिन्दु)** विरचित किये जाते है–

1– क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट का घटना के लगभग आठ घण्टे बाद दर्ज होना विलम्ब दर्शाता है एवं क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी परिस्थितियो के रहते हुए भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज होना अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है?

2– इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराध का हेतुक क्या था?

3– क्या अभियुक्तगण फूलचन्द व रोशनलाल द्वारा दिनांक 10–04–2021 समय 08.30 बजे शाम,स्थान दुकान, ग्राम रेहुवा खास,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच को, अभियुक्त रोशनलाल के सुनियोजित षड़यन्त्र के निष्पादन में, वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री अपराजिता को बलात्कार करने के आशय से उसका व्यपहरण/ अपहरण किया गया एवं क्या अभियुक्तगण फूलचन्द व रोशनलाल, दोनो ने अपराजिता को व्यपहरित करने के उपरान्त उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए बलात्कार कारित करने के उपरान्त उसे गम्भीर चोटे पहुंचाते हुए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी **या** क्या उपरोक्त घटना **मात्र एक ही व्यक्ति** द्वारा कारित की गयी है?या क्या दोनो अभियुक्तगण निर्दोष है?

<u>विनिश्चयात्मक बिन्दुओ का निस्तारण/साक्ष्यो का सम्प्रेक्षण/विमर्श/निष्कर्ष</u>

15- <u>विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण</u>

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट का घटना के लगभग आठ घण्टे बाद दर्ज होना विलम्ब दर्शाता है एवं क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी परिस्थितियो के रहते हुए भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज होना अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है?

उपरोक्त विनिश्चयात्मक बिन्दु का निस्तारण करने हेतु मैं इसे खण्डो में विभाजित करना समीचीन पाता हूँ।

<u>खण्ड (a)</u> **<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>**–

प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह जो कि अपराजिता के पिता है, द्वारा प्रेषित करनी बतायी जा रही है। अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू० 1 द्वारा यह कथन किया गया कि सुबह घटना के बारे में एक तहरीर गांव के ही **बालमुकुन्द** से लिखवायी थी,एवं तहरीर लिखने के बाद उन्होनें तहरीर पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। इस साक्षी को शामिल मिसिल तहरीर पढ़कर सुनायी व दिखायी गयी तो इस साक्षी द्वारा **तहरीर** पर बने अपने **हस्ताक्षर** की **पुष्टि** की गयी एवं इस आधार पर प्रकरण से सम्बन्धित **तहरीर** पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पी०डब्लू० 1 द्वारा पुनः अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि इस तहरीर प्रदर्श क–1 को थाने पर ले जाकर दिया

WWW.LIVELAW.IN

था जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना की तहरीर उसने बाल मुकुन्द सिंह से लिखायी थी। यह भी कथन किया गया कि बाल मुकुन्द सिंह से उसने दिनांक 11–04–2021 को सुबह 04 बजे घटना की तहरीर अपने दरवाजे पर लिखवाया था एवं तहरीर लिखे जाने के बाद करीब 05.00–05.30 बजे हम लोग तहरीर लेकर थाना बौण्ड़ी गये थे। यह भी कथन किया गया कि उसके साथ बाल मुकुन्द सिंह मोटर साइकिल से गये थे और बाद में अशोक,सरोज और अमरेन्दर सिंह प्रधान तथा गांव के अन्य लोग भी थाना गये थे। यह भी कथन किया गया कि तहरीर को उसने थाने पर गांव के प्रधान अमरेन्द्र को दिया था और अमरेन्द्र प्रधान उसे साथ लेकर गये और तहरीर दरोगाजी को दे दिया। यह भी कथन किया गया कि तहरीर पर उसने हस्ताक्षर बनाया था एवं तहरीर उसे बाल मुकुन्द सिंह ने लिखकर उसको पढकर सुनाया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि तहरीर के आधार पर उसे चिक रिपोर्ट मिली थी। अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि रात में तहरीर सादे कागज पर लिखी गयी थी। उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा प्रेषित एवं हस्ताक्षरित तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। उसके साक्ष्य से यह भी साबित है कि यह तहरीर दिनांक 11–04–2021 की सुबह 05.00 से 05.30 बजे थाने पर दी गयी थी। पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं अपनी प्रतिपरीक्षा में भी तहरीर लेखक बालमुकुन्द सिंह के नाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए तथ्यो को और स्पष्ट किया गया है।अभियोजन द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित एफ०आई०आर०लेखक को पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित कराया गया। पी० डब्लू० 7 कान्सटेबिल राकेश कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि दिनांक 11–04–2021 को वह थाना बौण्ड़ी में इसी पद पर कार्यरत था एवं उसी दिन वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 67/2021 समय 05.45 बजे उसके द्वारा कम्प्यूटर पर अंकित किया गया था। यह भी कथन किया गया कि जो तहरीर पर लिखा था उसे उसने अक्षरशः अंकित किया था। उपरोक्त साक्षी द्वारा पुनः यह भी कथन किया गया कि मुकदमा उपरोक्त का इन्द्राज कायमी जी०डी० में रपट संख्या–7 पर दिनांक 11–04–2021 को समय 05.45 बजे उसके द्वारा कम्प्यूटर से किया गया था। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर यह भी कथन किया गया कि इस मुकदमें की तहरीर वादी मुकदमा संतोष सिंह लेकर आये थे। उपरोक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के माध्यम से प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम **सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है एवं **प्रकरण से सम्बन्धित जी०डी०को भी प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है। पी०डब्लू० 7 द्वारा पी०डब्लू० 1 के कथनो का समर्थन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि एवं उसके समय की भी पुष्टि की गयी है। पत्रावली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मूल रूप से प्रदर्श क–6 के रूप में उपलब्ध है जिसमें

WWW.LIVELAW.IN

उपरोक्त तिथि एवं समय का इन्द्राज है। पी०डब्लू० 7 द्वारा यह भी साबित किया गया कि तहरीर वादी मुकदमा संतोष कुमार सिंह थाने पर लेकर आये थे जैसा कि स्वयं पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा द्वारा अभिवचित किया गया है। पत्रावली पर तहरीर प्रदर्श क–1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 मूल रूप से उपलब्ध है जिनके तुलनात्मक अध्ययन से यह पाया जाता है कि दोनो प्रपत्रो में घटना के बावत एक ही तथ्य अंकित है एवं कोई भिन्नता नहीं है,ऐसे में अभियोजन द्वारा उपरोक्त दोनो साक्षियो के माध्यम से प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की विश्वसनीयता को साबित किया गया है। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग आठ घण्टे के बाद दर्ज करायी गयी है जो कि बलात्कार एवं हत्या से सम्बन्धित प्रकरण में स्पष्टतया विलम्ब प्रदर्शित करता है जो स्वतः ही अभियोजन कहानी को कमजोर बना देता है। इसके विपरीत विशेष अभियोजक दाण्डिक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण एक अवयस्क लड़की के बलात्कार एवं हत्या से सम्बन्धित है,ऐसे में यह स्वाभाविक है कि अपनी पुत्री के साथ कारित अपराध से एक पिता को गम्भीर सदमा लगा होगा एवं इस सदमें से बाहर निकलने में कुछ घण्टो का समय लेना स्वाभाविक है,ऐसे में यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। तर्को के परिप्रेक्ष्य में इस बिन्दु पर आये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना आवश्यक है। पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया गया कि वह बेटी के शव को देखकर बहुत ही असहाय हो गया था। इसीलिए घटना की सूचना वह रात में नहीं दे पाया था। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर पी०डब्लू० 1 द्वारा यह कथन किया गया कि मृत अवस्था में अपनी पुत्री को देखने के उपरान्त उसे सदमा लगा था। पी०डब्लू० 1 अपराजिता का पिता है। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को मृत अवस्था में देखने के उपरान्त सदमा आना एवं व्यथित होना स्वाभाविक है। पी०डब्लू० 1 के साक्ष्य में यह भी आया कि मृतका का शव नग्न अवस्था में नाले के कीचड़ में पड़ा हुआ था,ऐसे में पुत्री को मृत देखना एवं मृत होने के साथ–साथ उसको नग्न अवस्था में देखना एक पिता के लिए वृहद सदमे की पराकाष्ठा होगी एवं इस सदमे से बाहर निकलने में कुछ घण्टे लेना स्वाभाविक है।प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियां ऐसी है जो प्रकरण से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट को आठ घण्टे बाद दर्ज होना स्वाभाविक बनाती है एवं ऐसी परिस्थिति में आठ घण्टे के समय को विलम्ब की दृष्टि से देखना न्यायसंगत एवं तर्क संगत नहीं है। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते है।

खण्ड (b) क्या प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यो का समावेश है एवं क्या अभियोजन द्वारा पेश की गयी परिस्थितियो के उपरान्त तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व देना/दर्ज होना अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है।

सुस्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई एनसाइक्लोपीडिया

WWW.LIVELAW.IN

नहीं है। विधि व्यवस्था– ***बब्ले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य AIR** 2012 **SC** 2621* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य की श्रेणी मे नहीं आता है।सुस्थापित विधि व्यवस्थाओ के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट का मात्र यही महत्व होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण से सम्बन्धित फौजदारी प्रक्रिया के क्रियान्वयन का प्रारम्भ करती है एवं यह अपेक्षित है कि उसमे अपराध से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य समाहित हो। पत्रावली पर प्रकरण से सम्बन्धित तहरीर प्रदर्श क–1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के रूप में मूल रूप से उपलब्ध है जिनके प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह विदित है कि उन प्रपत्रो में,अपराजिता (मृतका का काल्पनिक नाम)का दुकान जाना,दुकान से घर वापस आने के लिए दिनांक 10–04–2021 की रात 08.30 बजे चलना,अपराजिता का घर न पहुंचना,ढूढ़ने पर नाले में नग्न अवस्था में अपराजिता की लाश देखा जाना ,अपराजिता के शरीर पर चोट के निशान देखना एवं उसके साथ गैंगरेप की सम्भावना व्यक्त करना आदि सभी महत्वपूर्ण तथ्यो का समावेश है। निर्णय के उपरोक्त खण्ड (a) में किये गये सम्प्रेक्षण से यह साबित है कि इसी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ अथवा फौजदारी प्रक्रिया का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपराजिता के चचेरे भाई पी०डब्लू० 2 तथा उसके पिता वादी मुकदमा पी० डब्लू० 1 के द्वारा कहे गये वो कथन, कि दोनो ने अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल को नाले के पास से टार्च की रोशनी में भागते देखा पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराकर यह तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षियो द्वारा अपराजिता की लाश को देखने से पूर्व मौके पर ही अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल को भागते हुए देखे जाने का कथन किया गया,इसके उपरान्त भी जब प्रथम सूचना रिपोर्ट सुबह दर्ज करवायी गयी तो वह किन परिस्थितियो में अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी,यह समझ से परे है,जो स्वतः अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणो के विरूद्ध पेश की गयी कहानी को संदेहास्पद बना देती है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि जब हमलोग बेटी को तलाश करते हुए नाले के पास पहुंचे थे तब उसी समय नाले के किनारे से फूलचन्द व रोशनलाल को टार्च की रोशनी में हम सभी लोगो ने भागते हुए देखा था।अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने गांव के लोगो से जानकारी की तो लोगो ने बताया कि उसके ही ट्रैक्टर का ड्राइवर फूलचन्द कनौजिया व उसके दोस्त रोशनलाल रात में दुकान बन्द कराने के बाद लड़की को घर छोड़ने के बहाने ले गये थे और बाद में उसको जबरदस्ती पकड़ कर उसके साथ बलात्कार करके तथा पकड़े जाने की डर से उसकी गला दबाकर हत्या करके उसके शव को नाले में फेंक दिया। उपरोक्त साक्षी द्वारा कहे गये उपरोक्त कथन को अगर एक साथ पढ़ा जाये तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे अभियुक्तगणो की कृत्य की जानकारी मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद गांव के लोगो के बताने पर हुई। जहां तक उसका यह कथन कि उसने मृतका की लाश को

WWW.LIVELAW.IN

देखने से पूर्व अभियुक्तगण फूलचन्द व रोशनलाल को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा था एक (*Improvement*)अभिवृद्धि है जो उसके द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में नहीं लिया गया था। अभिवृद्धि होने के कारण उसका मुख्य परीक्षा में यह कथन कि उसने फूलचन्द व रोशनलाल को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा साक्ष्य की दृष्टि से महत्वहीन है,ऐसे में अगर उपरोक्त साक्षी के द्वारा दिये गये यह साक्ष्य कि अभियुक्तगणो को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखना अभिवृद्धि होने के कारण महत्वहीन मान लिये गये है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध प्रेषित करना भी प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियो में उचित माना जायेगा । पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिह जो कि अपराजिता का चचेरा भाई है एवं जो उसे खुद भी ढूढ़ने निकला था,ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि अभियुक्त फूलचन्द ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करते है, उसका ट्रैक्टर उसके चाचा व फूलचन्द ही चलाता है। अपराजिता के विषय में यह भी कथन किया कि जब वह दुकान बन्द कर रही थी तब मौके पर फूलचन्द व रोशनलाल भी थे। यह भी कथन किया कि नाले के पास पहुंचने पर उसने टार्च जलाया तो देखा कि फूलचन्द व रोशनलाल उस जगह से भाग रहे थे एवं यह भी कथन किया कि उसने टार्च की रोशनी अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल को उसी जगह से भागते हुए देखा था जहां पर अपराजिता की लाश मिली थी। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13–07–2021 को इस साक्षी से पूछे गये प्रश्न के उत्तर में इस साक्षी द्वारा यह कहा गया कि पकड़ने की कोशिश इसलिए भी नहीं किया क्योकि उस समय इन लोगो पर कोई संदेह नहीं था। इस साक्षी का बयान विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अंकित किया गया जिसमें इस साक्षी द्वारा फूलचन्द को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखे जाने का कथन किया गया है परन्तु रोशनलाल के बावत मात्र यही कथन किया गया कि वह दुकान पर खड़ा था एवं कुछ देर बाद चला गया,फूलचन्द के बावत यथावत वही कथन किये गये जैसा कि मुख्य परीक्षा में किया जा रहा है। अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स०में मात्र फूलचन्द को टार्च की रोशनी में नाले के पास से भागते हुए देखने का कथन किया जा रहा है एवं रोशनलाल के बावत इस बिन्दु पर कोई कथन नहीं किये गये,ऐसे में इस साक्षी द्वारा रोशनलाल के विषय में मौखिक परीक्षा में यह कहना कि उसने रोशनलाल को फूलचन्द के साथ भागते हुए देखा एक (*Improvement*) अभिवृद्धि है जो साक्ष्य की दृष्टि से महत्वहीन हो जाती है, परन्तु अभियुक्त फूलचन्द के बावत कहे गये कथन समान है,ऐसे में रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में किये गये कथनो को अभिवृद्धि मान लेने से उसका कोई प्रभाव अभियुक्त फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में कहे गये समान कथनो पर नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न यहां यह है कि यदि पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त फूलचन्द को टार्च की रोशनी में नाले के पास से भागते हुए देखा गया कि तो उसे क्यों नहीं पकड़ा गया एवं क्यों उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिया गया। पी०डब्लू० 2 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में यह कहा गया कि अभियुक्त फूलचन्द उसका ट्रैक्टर ड्राइवर था एवं उसे पकड़ने की कोशिश भी इसलिए नहीं किया कि जहां से उसको देखा गया वहां से वह लगभग तीस हाथ की दूरी पर था एवं उस

WWW.LIVELAW.IN

समय तक इन लोगो पर कोई संदेह नहीं था। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह से पूछने पर इस साक्षी द्वारा भी यह कथन किया गया कि अभियुक्त फूलचन्द उसके यहां ड्राइवर का काम करते थे।फूलचन्द द्वारा स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं०में खुद को पी०डब्लू० 1 एवं पी० डब्लू० 2 के ट्रैक्टर चलाने का कथन किया गया है,ऐसे में यह साबित है कि फूलचन्द, पी०डब्लू० 1 एवं पी० डब्लू० 2 के परिवार का ट्रैक्टर ड्राइवर था। स्वाभाविक है कि ट्रैक्टर ड्राइवर होने के कारण वह विश्वसनीय रहा होगा एवं अचानक बिना परिस्थितियो को जाने या बिना परिस्थितियो पर विचार किये साक्षियो द्वारा उस पर संदेह करना उस समय उचित नहीं रहा होगा। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं कथन किया गया कि उस समय तक इन लोगो पर संदेह नहीं था जो न्याय एवं तथ्यो की दृष्टि से भी मुकदमा अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराये जाने का उचित स्पष्टीकरण है। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते है एवं प्रकरण की साबित परिस्थितियो में अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाना संदेहास्पद होना नहीं पाया जाता है। **<u>उपरोक्त सम्पूर्ण विमर्श उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभी तक के साक्ष्य सम्प्रेक्षण उपरान्त अभियोजन द्वारा निम्नलिखित तथ्यो को साबित किया गया है।</u>**

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा संतोष सिंह द्वारा प्रेषित तहरीर के आधार पर ही दिनांक 11-04-2021 समय 05.45 बजें सुबह पंजीकृत हुई।

(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने में जो समय लगा वह स्वाभाविक था जो प्रकरण की परिस्थितियो में विलम्ब से दर्ज करवाये जाने की परिधि में नहीं आता ।

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण तथ्य समाहित थे।

(4) अभियुक्त फूलचन्द, अपराजिता के लाश के बरामदगी स्थल पर देखा गया।

तद्नुसार विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या -1 निस्तारित किया जाता है।

16- <u>विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या -2 का निस्तारण</u>

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराध का हेतुक क्या था?

निर्विवाद रूप से यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसमें अभियोजन को अपराध का हेतुक*(Motive)* साबित करना आवश्यक है।अपराधिक विधिक शास्त्र का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो तो ऐसे मामले में हेतुक महत्वपूर्ण हो जाता है। विधि व्यवस्था -**बाबू बनाम केरला राज्य,(2010)9 SCC 189, रविन्दर कुमार बनाम पंजाब राज्य , 2001(2)JIC 981(SC) तथा नुपूर तलवार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 (102) ACC 524 में** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलो में अभियोजन पर अपराध का हेतुक साबित करने का दायित्व है। **उपरोक्त विधि सिद्धान्त रहते हुए भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा-जी० पारसवानाथ बनाम कर्नाटका राज्य AIR**

WWW.LIVELAW.IN

2010 SC 2914–में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि–" *It is true that in a case of circumstantial evidence motive does have extreme significance but to say that in the absence of motive, the conviction based on circumstantial evidence cannot, in principle, be made is not correct. Absence of motive in case based on circumstantial evidence is not of much consequence when chain of proved circumstances is complete.* "

उपरोक्त विधि सिद्धान्तो के आलोक में एवं प्रकरण से सम्बन्धित कालानुक्रम परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत प्रकरण में कारित अपराध की गम्भीरता को भी दृष्टिगत रखते हुए ,अभियुक्तगणो के विरूद्ध आये साक्ष्य के मूल्यांकन से पूर्व मैं प्रस्तुत प्रकरण के हेतुक पर विमर्श करना समीचीन समझता हूँ।

उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था के अनुसार अभियोजन को इस प्रकरण का हेतुक साबित करना है,ऐसे में इस विनिश्चयात्मक बिन्दु के निस्तारण में अभियुक्तगणो के विरूद्ध आये उन्ही साक्ष्यो का सम्प्रेक्षण किया जायेगा जो इस प्रकरण के हेतुक से सम्बन्धित है।

अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 3 के रूप में सुरेश यादव को परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा दिये गये साक्ष्य का विश्लेषण/सम्प्रेक्षण, निर्णय के अग्रेतर भाग में किया जायेगा। निर्णय के इस भाग में मात्र उनके द्वारा दिये गये साक्ष्य का उपयोग उतने ही सीमा तक किया जायेगा जितनी सीमा तक निर्णय के इस भाग के लिए आवश्यक है। अभियोजन द्वारा हेतुक को साबित करने हेतु पी०डब्लू० 3 को परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि– ''जब वह भट्टी पर पहुंचा था तो वहां पर फूलचन्द और रोशनलाल को बेंच पर बैठकर दारू पीते हुए देखा था। यह भी कथन किया कि यह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। यह भी कथन किया कि उसने वहां पर रोशनलाल द्वारा फूलचन्द से यह कहते हुए सुना था कि अपराजिता को घर ले जाने के लिए लेकर आये और उसे पैसे का लालच देना,और अगर वह नहीं मानती है तो फिर **उसके साथ जबरदस्ती करके काम कर लिया जायेगा।** यह भी कथन किया कि यह बात उसने अपने कान से रोशनलाल के द्वारा फूलचन्द से कहते हुए सुना था।'' अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर भी उसके द्वारा यही कथन किया गया कि दरोगाजी ने पूछा था कि यह घटना कैसे हुई,तब उसने बताया कि शराब की दुकान पर उसने फूलचन्द व रोशनलाल को बात करते सुना था। उपरोक्त साक्षी, रोशनलाल द्वारा फूलचन्द से कही गयी बातो का चक्षुदर्शी साक्षी है एवं उसके द्वारा इस वार्तालाप के बावत दिये गये कथन अक्षुण है जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस अपराध को कारित करने का हेतुक अभियुक्तगणो द्वारा अपनी कामवासना की पूर्ति करना था। यह पूर्ति सहमति अथवा जबरदस्ती से कारित करनी थी। अब यहां यह भी देखना है कि क्या अपराजिता से इस कामवासना की पूर्ति की गयी अथवा नहीं। पी० डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मृतका का शव

WWW.LIVELAW.IN

नग्न अवस्था में उसी नाले के कीचड़ में पड़ा हुआ था। लाश नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर खरोच के निशान थे और गले पर गला दबाने के निशान थे। उसकी बेटी के पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था। अपराजिता के शरीर पर आयी चोटो के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से कोई भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी,ऐसे में इस साक्षी के बयान से यह साबित है कि अपराजिता के साथ दुष्कर्म अर्थात बलात्कार हुआ। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि अपराजिता के पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था। यह भी कथन किया गया कि उसके गले पर भी दबाने के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गयी थी। इस बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा इस साक्षी से कोई भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी,ऐसे में इस साक्षी का यह बयान कि अपराजिता की पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था भी अक्षुण है एवं प्रकरण के हेतुक की ओर ही इंगित करता है। अपराजिता के शव का पंचायतनामा भी हुआ जिसको स्वयं पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से साबित किया गया है। पी०डब्लू० 11 वरिष्ठ उप–निरीक्षक, रघुवीर गौतम भी पंचायतनामा के गवाह है जिनको अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया गया कि'' दिनांक 11–04–2021 को वह इसी थाने पर इसी पद पर तैनात था। उस दिन मृतका (काल्पनिक नाम अपराजिता) पुत्री संतोष कुमार सिंह निवासी राजा रेहुवा,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही समक्ष गवाहान समय 06.20 ए०एम० से 7.00 ए० एम० तक की थी।''अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से पंचायतनामा की कार्यवाही के बावत कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे गये जो अपराजिता के बावत किये गये पंचायतनामा एवं उसकी कार्यवाही पर किसी भी प्रकार का प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करते हो। पत्रावली पर **पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह** द्वारा साबित किया गया पंचायतनामा प्रदर्श क–3 के रूप में उपलब्ध है जिसमें मृतका के शरीर पर आयी चोटो का उल्लेख है तथा यह भी उल्लेख है कि पेशाब की जगह से खून बह रहा था। पंचो की राय में मृतका की हत्या गला दबाकर कारित किये जाने का उल्लेख है,ऐसे में **पंचायतनामा प्रदर्श क–3** से भी साबित है कि अपराध का हेतुक कामवासना की पूर्ति करना था जिसके फलस्वरूप अपराजिता के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गयी। अभियोजन द्वारा अपराजिता की शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सक को **पी०डब्लू० 5** के रूप में परीक्षित कराया गया जिनके द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता की **शव विच्छेदन आख्या** को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित करते हुए उसके शरीर पर लगभग **14 चोटो** का उल्लेख किया गया। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के **गुप्तांगो से खून रिस रहा था और चारो तरफ खून जमा हुआ था।** अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की मृत्यु का कारण **एन्टीमार्टम स्ट्रांगुलेशन** था। अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 19–08–2021 में अपराजिता से सम्बन्धित पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या को **प्रदर्श क–8** के रूप में साबित करते हुए इस साक्षी

WWW.LIVELAW.IN

पी०डब्लू० 5 तलहा शमसी द्वारा यह कथन किया गया कि यह सारी बाते अपराजिता के साथ हुई **बलात्कार** को **दर्शाती है।** एक अन्य चिकित्साधिकारी पी०डब्लू० 6 डा० राबिया सुल्ताना को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया।उक्त साक्षी द्वारा अपराजिता से सम्बन्धित वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड का परीक्षण किया गया था। अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा प्रेषित चिकित्सीय आख्या को **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित करते हुए इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि जांच के दौरान देखने पर– Broken head of spermatozoa और well Recognized Dead spermatozoa भी दिखा। उपरोक्त दोनो चिकित्सीय साक्षियो के साक्ष्य तथा उनके द्वारा प्रेषित सभी चिकित्सीय आख्याओ से यह साबित है कि अपराजिता के साथ दुष्कर्म हुआ एवं तदोपरान्त उसकी हत्या कर दी गयी। प्रकरण के हेतुक के परिप्रेक्ष्य में आये सभी उपरोक्त साक्ष्यो से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगणो के मध्य अपराजिता से कामवासना की पूर्ति हेतु एक वार्तालाप हुआ एवं इसी के निष्पादन में अपराजिता के साथ दुष्कर्म हुआ। अपराजिता की बलात्कार उपरान्त हत्या गला दबाकर कारित की गयी,इसी तथ्य की ओर इंगित करता है कि यह हत्या भी इस बलात्कार की घटना को छुपाने हेतु की गयी थी। उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्यो के माध्यम से अभियोजन द्वारा निःसंदेह यह साबित किया गया है कि प्रकरण के अपराध का **प्राथमिक हेतुक** अपराजिता से **कामवासना की पूर्ति** करना था जिसके फलस्वरूप अपराजिता के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या कारित हुई। इस खण्ड के निस्तारण उपरान्त अभियोजन द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्य साबित किया गया है।

1– प्रकरण का प्राथमिक हेतुक अपराजिता के साथ बलात्कार करना था।

2– प्रकरण के इस हेतुक के फलस्वरूप बलात्कार एवं हत्या कारित हुई।

तद्नुसार विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

17– विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या–3 का निस्तारण–

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्तगण फूलचन्द व रोशनलाल द्वारा दिनांक 10–04–2021 समय 08.30 बजे शाम,स्थान दुकान ग्राम रेहुवा खास,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच को,अभियुक्त रोशनलाल के सुनियोजित षड़यन्त्र के निष्पादन में, वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री अपराजिता को बलात्कार करने के आशय से उसका व्यपहरण/अपहरण किया गया एवं क्या अभियुक्तगण फूलचन्द व रोशनलाल,दोनो ने अपराजिता को व्यपहरित करने के उपरान्त उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए बलात्कार कारित करने के उपरान्त उसे गम्भीर चोटे पहुंचाते हुए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी **या** क्या उपरोक्त घटना **मात्र एक ही व्यक्ति** द्वारा कारित की गयी है?या क्या दोनो अभियुक्तगण निर्दोष है?

उपरोक्त विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या–3 के सुलभ निस्तारण हेतु उसे खण्डो में विभाजित करना समीचीन पाता हूँ।

खण्ड(a)–घटना की तिथि/घटना की तिथि पर मृतका अपराजिता की आयु।

अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक 10–04–2021 की है। बचाव पक्ष द्वारा

WWW.LIVELAW.IN

यद्यपि घटना एवं घटना की तिथि पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है और न ही घटना की तिथि पर कोई आपत्ति प्रकट की गयी है,इसके रहते हुए भी क्योंकि प्रकरण एक अवयस्क लड़की के बलात्कार एवं हत्या से सम्बन्धित है,मैं प्रत्येक बिन्दु पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण एवं मूल्यांकन करना समीचीन समझता हूँ। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रेषित तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना दिनांक 10–04–2021 की है। पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह परीक्षित हुए एवं अपनी मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा यह कथन किया गया कि घटना दिनांक 10–04–2021 की है। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 10–04–2021 की है ,का होने का कथन किया गया है। पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि घटना दिनांक 10–04–2021 की है। तथ्य के एक अन्य साक्षी पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ला ने भी यह कथन किया कि घटना दिनांक 10–04–2021 की रात्रि की है। अपराजिता की शव का शव विच्छेदन करने वाले डाक्टर तलहा शमशी द्वारा दिनांक 11–04–2021 को अपराजिता की शव का शव विच्छेदन किया गया। पी०डब्लू० 5 के रूप में चिकित्साधिकारी डा० तलहा शमशी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि अपराजिता की मृत्यु एक दिन के अन्दर की थी जो स्वतः घटना की तिथि को दिनांक 10–04–2021 के होने को स्पष्ट करता है। पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय जो प्रकरण के प्रथम विवेचक है ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना की सूचना दिनांक 10–04–2021 को रात्रि करीब 09.00 बजे उसको मिली थी। वह करीब रात्रि में 10.40 बजे पहुंचा था।अभियुक्त फूल चन्द की ओर से उपस्थित न्यायमित्र/ विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना की सूचना उसको पूर्व प्रधान अनिरूद्ध द्वारा समय करीब 09.00 बजे रात्रि दिनांक 10–04–2021 को दी गयी थी। उपरोक्त समस्त साक्षियो द्वारा घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 के होने का स्पष्ट कथन किया जा रहा है। घटना की तिथि को लेकर बचाव पक्ष के किसी भी अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे गये और न ही वास्तविक घटना से ही इन्कार किया जा रहा है,ऐसे में यह निष्कर्ष देना उचित है कि अभियोजन द्वारा अपने मौखिक साक्षियो के माध्यम से घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 के होने को साबित किया गया है। घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 साबित हो चुकी है,ऐसे में अब यह देखना है कि घटना की तिथि पर अपराजिता की आयु क्या थी।

उपखण्ड–घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 पर अपराजिता की आयु।

अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओ के साथ, धारा 3/4 लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में भी विचारण किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अपराजिता की आयु घटना की तिथि पर 12 वर्ष बतायी गयी है अतः अपराजिता की आयु के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रेषित साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह

WWW.LIVELAW.IN

द्वारा प्रेषित तहरीर प्रदर्श क–1 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह विदित है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री अपराजिता (मृतका का काल्पनिक नाम) की आयु 12 वर्ष होना अभिवचित किया गया है। अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह द्वारा यह कथन किया गया कि घटना के समय अपराजिता की आयु 12 साल थी। सुस्थापित विधि व्यवस्था–**(2013) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 637, महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य तथा (2015)7 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 773, मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह** के अनुसार पीड़िता की घटना की तिथि पर आयु के निर्धारण में उन्ही सिद्धान्तो का अनुसरण किया जायेगा जिनका अनुसरण बाल अपचारी की आयु के निर्धारण के समय किया जाता है अर्थात घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र का निर्धारण उसी प्रक्रिया के तहत किया जायेगा जैसा कि *–Juvenile Justice(Care & Protection of Children) Rules 2007* के नियम **12(3)** मे दिया गया है। अभियोजन द्वारा घटना की तिथि पर अपराजिता की आयु का निर्धारण एवं उसको साबित कराने हेतु अपराजिता के विद्यालय के प्रधानाचार्य को पी०डब्लू० 8 के रूप में परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 8 अरविन्द कुमार मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि अपराजिता उनके विद्यालय सरस्वती शिशु मन्दिर की कक्षा 8 की छात्रा थी। इस विद्यालय में अपराजिता का कक्षा 6 में दिनांक 09–04–2018 को प्रवेश हुआ था। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता कक्षा–5 प्राथमिक विद्यालय रेहुआ खास से उत्तीर्ण होकर इस विद्यालय में आयी थी और उसी के आधार पर उसका प्रवेश इस विद्यालय में हुआ था। यह भी कथन किया गया कि प्राथमिक विद्यालय रेहुआ खास के द्वारा निर्गत टी०सी० में **अपराजिता** की अंकित **जन्मतिथि 12–04–2006** थी एवं उसी आधार पर इस विद्यालय में भी अपराजिता की जन्म तिथि कक्षा–6 में प्रवेश के समय अंकित की गयी थी। यह भी कथन किया गया कि विद्यालय अभिलेख के अनुसार अपराजिता पुत्री संतोष कुमार सिंह,माता श्रीमती सुषमा सिंह,ग्राम रानी रेहुआ, पोस्ट जौहरा, जिला बहराइच की जन्मतिथि 12–04–2006 जाति हिन्दू,धर्म क्षत्रिय,पेशा कृषि अंकित है। उपरोक्त साक्षी द्वारा पत्रावली पर दाखिल अपराजिता की छात्र लेखा पत्रक की छाया प्रति प्रमाणित कर प्रदर्श क–9 के रूप मे साबित किया गया तथा प्रवेश विवरण पंजिका को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। पत्रावली पर उपरोक्त दोनो प्रपत्र उपलब्ध है जिसमें अपराजिता के वास्तविक नाम का उल्लेख है एवं उसके वास्तविक नाम के आगे पंजीयन क्रमांक संख्या–381 पर उसकी जन्मतिथि 12–04–2006 दर्ज है। अपनी प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू० 8 द्वारा यह कथन किया गया कि अपराजिता के प्रथम प्रवेश प्राथमिक विद्यालय रेहुवा की टी०सी० आज उनके सामने नहीं है। यहां यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि पी० डब्लू० 8 से यह अपेक्षित भी नहीं था कि वह उस विद्यालय की टी०सी० लेकर आये जिस विद्यालय के वह प्रधानाचार्य नही है। अपने पदीय कर्तव्यो के दायित्व के निर्वहन में पी०डब्लू० 8 द्वारा अपराजिता की जन्मतिथि से सम्बन्धित विद्यालय की पंजिका तथा

WWW.LIVELAW.IN

विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लाकर न्यायालय के समक्ष रखा गया एवं अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उपरोक्त दोनो प्रपत्रो को साबित किया गया जो कि उपरोक्त वर्णित प्रावधान के अनुपालन में किया गया है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पी०डब्लू० 8 द्वारा अपराजिता की आयु के सम्बन्ध में न्यायालय पर ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर उसकी जन्मतिथि दिनांक 12-04-2006 होने के तथ्य को साबित किया गया है। पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय जो कि प्रकरण के प्रथम विवेचक है ने दौरान विवेचना अपराजिता की आयु के निर्धारण के सम्बन्ध में उसके विद्यालय सरस्वती विद्या मन्दिर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय परीक्षित हुए एवं उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि- अपराजिता के शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 12-04-2006 है। यह भी कथन किया गया कि जन्मतिथि के अनुसार घटना की तिथि को अपराजिता की उम्र 14 साल 11 माह 28 दिन थी। यह भी कथन किया गया कि अपराजिता (मृतका का काल्पनिक नाम)से सम्बंधित जन्मतिथि प्रमाण पत्र जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया था, वह जन्मतिथि प्रमाण पत्र उसके सामने है, जिसकी वह पुष्टि करता है। पत्रावली पर विवेचक पी०डबलू० 9 द्वारा दाखिल अपराजिता से सम्बन्धित उसकी उम्र के बावत प्रमाण पत्र उपलब्ध है जिसमें अपराजिता के वास्तविक नाम के साथ-साथ उसकी जन्मतिथि दिनांक 12-04-2006 होना अंकित है। उक्त प्रपत्र को पी०डब्लू० 9 द्वारा **प्रदर्श क-12** के रूप में साबित किया गया है,ऐसे में पी०डब्लू० 9 के साक्ष्य के अनुसार भी अपराजिता की जन्मतिथि दिनांक 12-04-2006 होना साबित है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी पी०डब्लू० 8 एवं पी०डब्लू० 9 द्वारा अपराजिता की जन्मतिथि 12-04-2006 होना साबित किया गया है,ऐसे में जबकि अपराजिता की जन्मतिथि 12-04-2006 होना साबित है,घटना की तिथि दिनांकित 10-04-2021 पर उसकी आयु 14 वर्ष 11 माह 28 दिन होना स्वतः प्रमाणित हो जाता है। अपराजिता की आयु 14 वर्ष 11 माह 28 दिन प्रमाणित होना उसे घटना की तिथि पर अवयस्क होना भी प्रमाणित करता है।

इस विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-3 में किये गये अब तक के साक्ष्य सम्प्रेक्षण से अभियोजन द्वारा निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण तथ्य साबित किये गये है।

(1) अपराजिता के साथ घटित घटना दिनांक 10-04-2021 की है।

(2) घटना की तिथि दिनांक 10-04-2021 पर अपराजिता अवयस्क थी।

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणो के विरूद्ध अपराजिता की बलात्कार एवं हत्या से पूर्व एक षड़यन्त्र रचने का आरोप लगाया गया है। यहां यह देखना है कि क्या घटना दिनांकित 10-04-2021 से पूर्व अभियुक्तगणो द्वारा अपराजिता की बलात्कार एवं हत्या को लेकर कोई षड़यन्त्र रचा गया,ऐसे में खण्ड b निम्न आशय का विरचित करते हुए उस पर आये अभियोजन साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना समीचीन पाता हूँ।

खण्ड (b)- घटना दिनांक 10-04-2021 के पूर्व क्या अभियुक्तगणो द्वारा कोई षड़यन्त्र रचा गया एवं क्या इस षड़यन्त्र के निष्पादन में कोई व्यक्त कार्य किया गया।

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त फूलचन्द पर एक आरोप यह भी है कि उसने दिनांक 10–04–2021 को समय 8.30 बजे वहद स्थान दुकान, ग्राम रेहुवा खास,थाना बौण्ड़ी जनपद बहराइच में एक अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की लड़की का व्यपहरण हत्या के लिए किया। इसी तरह अभियुक्त रोशनलाल पर एक आरोप यह भी है कि उसने वादी मुकदमा की अवयस्क लड़की की हत्या व उसके साथ बलात्संग करने का एक अपराधिक षड़यन्त्र रचा। अभियोजन पर दौरान विचारण परीक्षित साक्षियो के माध्यम से अभियुक्तगणो के विरूद्ध उपरोक्त आरोप को साबित करने का दायित्व था अर्थात अभियोजन को षड़यन्त्र एवं उसके निष्पादन में व्यक्त कार्य को साबित करना है।

उपखण्ड–प्रकरण का षड़यन्त्र

प्रकरण में रचे गये षड़यन्त्र को साबित करने हेतु दौरान विचारण अभियोजन द्वारा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षी **पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव** को परीक्षित कराया गया। अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू० 3 द्वारा यह कथन किया गया कि वह अभियुक्त फूलचन्द व अभियुक्त रोशनलाल को जानता पहचानता है। हाजिर अदालत मुल्जिमान को देखकर इस साक्षी ने यह कहा कि यही फूलचन्द व रोशनलाल है। यह उसके ही गांवसभा के निवासी हैं। घटना में संतोष सिंह की लड़की अपराजिता की हत्या हुई थी। घटना दिनांक 10–04–2021 की है। घटना लगभग 08.45–9.00 बजे रात की होने के सम्बन्ध में उसने सुना था। यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन 10–04–2021 को लगभग 06 बजे सांयकाल को वह सगरा भट्टी पर शराब लेने गया था। जब वह भट्टी पर पहुंचा था तो वहां पर फूलचन्द और रोशनलाल को बेंच पर बैठकर दारू पीते हुए देखा था। यह भी कथन किया कि यह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। यह भी कथन किया कि **उसने वहां पर रोशनलाल द्वारा फूलचन्द से यह कहते हुए सुना था कि अपराजिता को घर ले जाने के लिए लेकर आये और उसे पैसे का लालच देना,और अगर वह नहीं मानती है तो फिर उसके साथ जबरदस्ती करके काम कर लिया जायेगा।** यह भी कथन किया कि यह बात उसने अपने कान से रोशनलाल के द्वारा फूलचन्द से कहते हुए सुना था। यह भी कथन किया कि वह उसके बाद भट्ठी से शराब लेकर करीब 07.00 बजे अपने घर वापस आ गया। यह भी कथन किया कि उसने घटना के बारे में दरोगाजी को बताया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह शराब नहीं पीता है। घर में मेहमान आये थे। उनके लिए शराब लेने गया था। यह भी कथन किया कि शराब की दुकान पर भीड़ नहीं थी।शराब खरीदने में दो चार मिनट लगा था। इसी दो चार मिनट में उसने फूलचन्द व रोशन लाल की बात सुनी और घर चल दिये थे। अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि उस समय की बातचीत के आधार पर वह यह जानता था कि लड़की कौन सी है। यह भी कथन किया कि दरोगाजी उसे रेहुवा गांव में घटना के लगभग 23–24 दिन बाद मिले थे। यह भी कथन किया कि उसे रोक कर दरोगाजी ने उससे पूछा था। पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि दरोगाजी से उससे शराब की दुकान पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह भी

WWW.LIVELAW.IN

कथन किया कि दरोगाजी ने पूछा था कि, घटना कैसे हुई तब उसने बताया कि शराब की दुकान पर उसने फूलचन्द व रोशनलाल को बात करते सुना था फिर वह अपने घर चला गया। यह भी कथन किया कि उस दिन के पहले या दरोगाजी को बताने के बाद उसने किसी और को यह बात नहीं बतायी थी। यह भी कथन किया कि उसने संतोष सिंह व उनके घर वालो को यह बात कभी नहीं बतायी थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः पूछने पर यह कथन किया कि दरोगाजी से शराब की दुकान पर कोई बातचीत उससे नहीं हुई थी। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता /न्यायमित्र द्वारा पूछने पर उसने यह कथन किया कि संतोष सिंह से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी कथन किया कि उसने झूम ब्रान्ड की शराब खरीदी थी। यह भी कथन किया कि शराब भट्ठी पर चार-पांच मिनट लगा था। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से दिनांक 10-04-2021 की शाम 06.00 बजे स्थान सगरा शराब भट्ठी पर अभियुक्तगणो की बातचीत के बावत महत्वपूर्ण साक्ष्य दिये गये है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त रोशनलाल द्वारा अभियुक्त फूलचन्द से अपराजिता को घर ले जाने के बहाने मनाकर,या लालच देकर,या जबरदस्ती करके ले जाने एवं उसके उपरान्त उसके साथ काम कर लेने को कहा गया, को न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। एक लड़की के साथ धोखा कर उसके साथ काम करने का अभिप्राय मात्र उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का ही होता है। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से इस बातचीत के मुख्य किरदार के रूप में अभियुक्त रोशनलाल का स्पष्ट नाम लिया गया है एवं यह बातचीत अभियुक्त फूलचन्द से की गयी, का भी स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है। दौरान विवेचना प्रकरण के द्वितीय विवेचक रविन्द्र नाथ सिंह जिनके द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अपराधिक षड़यन्त्र को प्रकाश में लाया गया को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 10 के रूप में परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 10 निरीक्षक रविन्द्र नाथ सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि दिनांक 30-05-2021 को मुकदमें में अब तक की विवेचना से पाये जाने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रोशनलाल द्वारा घटना का अपराधिक षड़यन्त्र पाया गया।अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि संतोष सिंह ने दिनांक 30-04-2021 को मजीद बयान में यह कहा कि घटना में फूलचन्द के अलावा और कोई भी शामिल है, आप छानबीन कर ले और न्याय दिलाये।अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि दिनांक 28-05-2021 को ग्राम रेहुवा गांव के कस्बा में घूम कर मामले की सत्यता जानने का प्रयास कर रहा था जिस समय पता चला कि अभियुक्त फूलचन्द का एक दोस्त है जिसका नाम रोशनलाल है एवं यह दोनो शराब पीने के आदी है एवं इसीलिए वह शराब भट्ठी पर गया था जहां उसे सुरेश यादव गवाह मिला था एवं इसी समय उसको प्रश्नगत मामले के षड़यन्त्र में रोशनलाल का नाम प्रकाश में आया। उपरोक्त साक्षी जो कि घटना के द्वितीय विवेचक है ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साक्षी सुरेश यादव द्वारा घटना के अपराधिक षड़यन्त्र को प्रकाश में लाने के साक्ष्य दिये गये है जो स्वयं साक्षी

WWW.LIVELAW.IN

पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव के कथनो की पुष्टि करता है। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 3 एक संयोग साक्षी है जिसको अभियोजन द्वारा बाद में अवतरित किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० में खुद शराब पीने का कथन किया जा रहा है एवं केस डायरी के अनुसार दरोगाजी से उसकी बातचीत सगरा भट्ठी पर हुई,परन्तु अपने मौखिक साक्ष्य में खुद का शराब न पीना तथा सगरा भट्ठी पर मेहमानो के लिए शराब लेने जाना एवं दरोगाजी से उसकी पूछतांछ शराब भट्ठी पर न होकर रेहुवा गाव में होना के कथन किये गये है जो उसके साक्ष्य में अन्तर्विरोध प्रकट करते है। उपरोक्त तर्क रखते हुए अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह याचना की गयी कि इस संयोग साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। **संयोग साक्षियो** के साक्ष्य के बावत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था– **कल्लू बनाम हरियाणा राज्य AIR** 2012 **SC** 3212 **एवं रमेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2010(68) **ACC** 219 (**SC**) में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–" *It is not the rule of law that chance witness cannot be believed. The reason for a chance witness being present on the spot and his testimony requires close scrutiny and if the same is otherwise found reliable,his testimony cannot be discarded merely on the ground of his being a chance witness. Evidence of chance witness requires very cautious and close scrutiny."*

उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव के द्वारा दिये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना समीचीन पाता हूँ। पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव ने अपने मौखिक साक्ष्य में सगरा शराब भट्ठी पर अपनी उपस्थिति का कारण दर्शाते हुए मेहमानो के लिए शराब लेने जाने का कथन किया है। शराब लेने जाने की तिथि दिनांक 10–04–2021 समय सांय 06.00 बजे होने का कथन किया जा रहा है एवं इसी शराब लेने के दौरान अभियुक्तगणो द्वारा की गयी वार्तालाप को अपनी कान से सुनने के स्पष्ट अभिवचन किये जा रहे है। केस डायरी के अवलोकनार्थ यह विदित है कि इस साक्षी का बयान विवेचक द्वारा दिनांक 08–05–2021 को लिया गया। घटना दिनांक 10–04–2021 की है,ऐसे में इस साक्षी का अपने मौखिक साक्ष्य में यह कथन कि उसका बयान घटना के 23–24 दिन बाद विवेचक द्वारा लिया गया था , लगभग पुष्ट होता है। '' उपरोक्त साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० के अवलोकन से यह विदित है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि फूलचन्द व रोशनलाल शराब पीने आये और मेरे बेन्च के बगल में बैठकर दारू पी रहे थे और दोनो आपस में बड़ी देर तक बात कर रहे थे। बातचीत में मैने बहुत ध्यान नहीं दिया लेकिन इतना जरूर सुना कि रोशन लाल, फूल चन्द कनौजिया से यह कह रहा था कि आज ही उस लडकी को घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले आओ और पहले उसे पैसा आदि का प्रलोभन देना, अगर मान जाये तो ठीक है नहीं तो जबरदस्ती ही उसके साथ अपनी इच्छा पूरी कर लेना, जो होगा वह देखा जायेगा।अगर

WWW.LIVELAW.IN

जरूरत होगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। बस लड़की को तुम दुकान से घर लाने पहुचाने के लिए किसी तरह से तैयार कर लेना ताकि तुम्हारे ऊपर कोई शक न हो और तमाम तरह की बाते करते रहे। मैं लगभग साढ़े सात बजे अपने घर चला गया,इसके बाद वह दोनो कब गये मुझे जानकारी नहीं है।'' पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० में रोशनलाल द्वारा फूलचन्द से कहे गये उसी वार्तालाप का उल्लेख है जिस वार्तालाप का उल्लेख पी० डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में किया गया है एवं इस वार्तालाप के बावत दोनो बयानो में कोई अन्तर्विरोध नहीं है। जहां तक पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव का अपने मौखिक साक्ष्य में यह कहना कि वह शराब नहीं पीता है एवं अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० में उसका यह कहना कि वह शराब पीने सगरा शराब भट्ठी पर गया था, उसकी सगरा शराब भट्ठी पर उपस्थिति को संदेहास्पद नहीं बनाता। न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान कोई भी व्यक्ति बहुत सजग हो जाता है एवं वह अपने से संदर्भित कोई अनुचित तथ्य प्रकट करने में सचेत रहता है। यह अभियुक्त एवं साक्षी दोनो पर लागू होता है। अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पी०डब्लू० 3 द्वारा सगरा शराब भट्ठी पर मेहमानो के लिए शराब लेने जाने का कथन कर सगरा शराब भट्ठी पर अपनी उपस्थिति के प्रयोजन को स्पष्ट किया गया है एवं इससे इतना तो साबित ही होता है कि पी०डब्लू० 3 सगरा शराब भट्ठी पर शराब के प्रयोजन हेतु गया था। शराब उसको खुद पीनी थी या वह अपने मेहमानो के लिए लेने गया था, यह तथ्य साक्ष्य की दृष्टि से महत्वहीन है। उसके बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० एवं उसके मौखिक साक्ष्य में यह भी समानता है कि दोनो बयानो में उसने स्पष्ट कथन किया कि अभियुक्तगणो के मध्य हुई वार्तालाप को उसने ज्यादा नहीं सुना परन्तु उसने जितना सुना उतने वार्तालाप का हू-बहू वर्णन दोनो बयानो में उसके द्वारा किये गये है। जहां तक पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० का सगरा शराब भट्ठी पर दर्ज होना एवं उसके मौखिक साक्ष्य के अनुसार यह बयान रेहुआ खास गांव में दर्ज होने के बावत अन्तर्विरोध है, यह ऐसा सूक्ष्म अन्तर्विरोध है जो किसी भी दशा में पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव की घटना की तिथि पर सगरा शराब भट्ठी पर उपस्थिति एवं अभियुक्तगणो के मध्य हुई वार्तालाप के सुनने के तथ्य को संदेहास्पद नहीं बनाता। दोनो बयानो में पी०डब्लू० 3 द्वारा स्पष्ट रूप से रोशनलाल को ही फूलचन्द से घटना के पहले,घटना से सम्बन्धित कृत्य के बावत निर्देश देने के स्पष्ट अभिवचन कर पी०डब्लू० 3 द्वारा अपने साक्ष्य को और सार्थक एवं महत्वपूर्ण बना लिया गया है अर्थात तात्पर्य यह है कि दोनो बयानो में पी०डब्लू० 3 द्वारा यह नहीं कहा गया कि फूलचन्द, रोशनलाल से घटना कारित करने को निर्देशित कर रहा था अपितु दोनो बयानो में यह कहा गया कि रोशनलाल, फूलचन्द को घटना के बावत निर्देश दे रहा था जो पी०डब्लू० 3 को संयोग साक्षी के साथ-साथ विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में भी लाता है। पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव वादी मुकदमा का न ही रिश्तेदार है और न ही सगा सम्बन्धी,ऐसे में बचाव पक्ष यह नहीं कह सकता कि वह वादी मुकदमा का सगा सम्बन्धी होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान

WWW.LIVELAW.IN

बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव के बयान में यह आया है कि वह जानता था कि किस लड़की के विषय में अभियुक्तगणो के मध्य वार्तालाप हो रही है,इसके रहते हुए भी इस वार्तालाप की सूचना न तो लड़की को दी और न ही उसके पिता को जो समस्त परिस्थितियो को संदेहास्पद बना देता है। उपरोक्त पर न्यायालय का यह मत है कि स्वयं पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया गया है कि उसने वादी मुकदमा संतोष सिंह से व उनके घर वालो को यह बात कभी नहीं बतायी थी अर्थात पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा खुद स्वीकार किया जा रहा है कि उसने वार्तालाप के बावत किसी से कुछ नहीं कहा जो इस साक्षी की सत्यता को प्रमाणित करता है। यह भी कहना समीचीन प्रतीत होता है कि सामान्य मनुष्य भी सामान्यतः यह अपेक्षा नहीं करेगा कि उसी के गांव से सम्बन्धित व्यक्ति उसी गांव में रहने वाली किसी अवयस्क लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना कारित कर देंगें,ऐसे में जब वो नागरिक विधिक रूप से सचेत न हो या एक नागरिक होने के कारण उसे अपने कर्तव्यो का बोध न हो, वह ऐसी किसी भी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति से न तो कहेगा और न ही ऐसी किसी भी वार्तालाप को इतनी गम्भीरता से लेगा। हमारे भारतीय परिवेश में अभी भी नागरिक अपने अधिकारो के प्रति तो सचेत है,परन्तु समाज के लिए अपने कर्तव्यो के प्रति सचेत नहीं है। निश्चित रूप से यदि पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा अपनी सुनी हुई वार्तालाप को अपराजिता या उसके परिवार को जाकर बता दिया गया होता तो इतनी बड़ी घटना कारित होने से रोकी जा सकती थी,परन्तु पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव का इस वार्तालाप को किसी से न बताना,ऐसे में जबकि उसकी पृष्टभूमि गांव की है एवं वह उतना पढ़ा लिखा नहीं है उससे, अपने नागरिक कर्तव्यो के प्रति सचेत रहना उतना अपेक्षित नहीं है जैसा कि एक पढ़े लिखे समाजिक व्यक्ति से अपेक्षित है। उपरोक्त विमर्श उपरान्त यह निष्कर्ष देना उचित है कि यद्यपि पी०डब्लू० 3 पर यह **नैतिक** दायित्व था कि वह इस षड़यन्त्र को जाकर अपराजिता या उसके घर वालो से बताता, परन्तु यह दायित्व मात्र **नैतिक** था एवं अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो वह प्रकरण की परिस्थितियो में इस वार्तालाप को या पी०डब्लू० 3 का इस वार्तालाप को सुनने के तथ्य को किसी भी दशा में संदेहास्पद नहीं बनाता है। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पंचायत चुनाव में सुरेश यादव किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे जिसका समर्थन अभियुक्त रोशनलाल ने नहीं किया एवं इसी कारणवश पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव रोशनलाल के विरूद्ध झूठी गवाही दे रहे है। मेरे मत से यह तर्क बलहीन है क्योंकि पंचायत चुनाव में एक ही प्रत्याशी नहीं लड़ता अपितु बहुत प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहते है। प्रत्येक प्रत्याशी का अपना अपना समर्थन होता है,ऐसा नहीं हो सकता कि पी०डब्लू० 3 द्वारा समर्थित प्रत्याशी का विरोध या उसको वोट न देना पूरे गांव में मात्र रोशनलाल द्वारा ही किया गया हो, पी०डब्लू० 3 के प्रत्याशी का विरोध गांव के कई लोग किये होगें,ऐसे में मात्र रोशनलाल को इस कारणवश झूठा फंसाना या उसके विरूद्ध झूठी गवाही देना, सामान्य मनुष्य की सोच के विपरीत है एवं उचित तर्क नहीं है।उपरोक्त विमर्श के आलोक में

WWW.LIVELAW.IN

अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त सभी तर्क बलहीन हो जाते है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से घटना के पूर्व अभियुक्तगणो के मध्य हुई वार्तालाप को संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्तगणो के मध्य हुई वार्तालाप एवं उसमें उपयोग किये गये शब्दो से स्पष्ट है कि यह वार्तालाप दो व्यक्तियो द्वारा अवैध कार्य करने की सहमति के बावत था जो इस **वार्तालाप को धारा 120क भारतीय दण्ड संहिता की परिधि में** लाता है,साथ ही साथ रोशनलाल का फूल चन्द से यह कहना कि– ***अपराजिता को घर ले जाने के लिए लेकर आये और उसे पैसे का लालच देना,और अगर वह नहीं मानती है तो फिर उसके साथ जबरदस्ती करके काम कर लिया जायेगा।*** **रोशनलाल को धारा 108 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दुष्प्रेरक की भूमिका** में भी लाता है एवं यह भी साबित करता है कि रोशनलाल फूलचन्द को उकसा रहा था। रोशनलाल का फूलचन्द को उकसाना अथवा यह दुष्प्रेरण करना, घटना के ठीक पूर्व शराब के भट्ठी पर की गयी वार्तालाप में उत्पन्न हुआ जो इस दुष्प्रेरण को और गम्भीर बना देता है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10** के अनुसार सामान्य परिकल्पना के बारे में षड़यन्त्रकारी द्वारा कही गयी बाते एक सुसंगत तथ्य है,जब इसका युक्तियुक्त आधार हो कि दो व्यक्तियो द्वारा अपराध करने के लिए मिलकर षड़यन्त्र किया गया है। पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा अभियुक्तगणो के मध्य हुई वार्तालाप को सुनना एवं उसको हू–बहू न्यायालय के समक्ष बताना, अभियुक्तगणो के अपराध करने के षड़यन्त्र को साबित करता है। वार्तालाप में प्रयोग किये गये शब्द एक अवयस्क लड़की के बावत थे जो मात्र यही इंगित करते है कि यह षड़यन्त्र उस लड़की के साथ बलात्कार करने के बावत था,ऐसे में क्योंकि यह न्यायालय अब तक के साक्ष्य सम्प्रेक्षण उपरान्त यह विश्वास करने पर विवश है कि अभियुक्तगणो द्वारा बलात्कार जैसे अपराध को कारित करने हेतु एक षड़यन्त्र रचा गया,अभियुक्तगणो द्वारा उस षड़यन्त्र में प्रयोग किये गये शब्द जो उनके समान आशय को दर्शाते है, वह शब्द प्रत्येक षड़यन्त्रकारी अभियुक्त के विरूद्व सुसंगत तथ्य माने जाते है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह साबित है कि अभियुक्तगण रोशनलाल एवं फूलचन्द द्वारा घटना कारित करने हेतु घटना से ठीक पूर्व एक षड़यन्त्र रचा गया,ऐसे में **अभियोजन** द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से निम्नलिखित **अतिरिक्त तथ्य** भी **साबित** किया गया है।

(1)- प्रकरण में एक षड़यन्त्र रचा गया।

(2)-यह षड़यन्त्र अभियुक्त रोशनलाल एवं फूलचन्द द्वारा ही रचा गया।

खण्ड (c)– षड़यन्त्र के निष्पादन में व्यक्त कार्य –

निर्णय के उपरोक्त भाग में यह निष्कर्ष दिया जा चुका है कि इस घटना के कारित होने से पूर्व षड़यन्त्र एवं दुष्प्रेरण किया गया। षड़यन्त्र धारा 120-ख भा०द०स० के अन्तर्गत सारभूत (*Substantive*)अपराध है। दुष्प्रेरण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। धारा 120–ख भा०द०स० आपराधिक षड़यन्त्र की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करती है जिसके अन्तर्गत वे कार्य सम्मिलित है जो धारा 107 भा०द०स० के अन्तर्गत षड़यन्त्र के

WWW.LIVELAW.IN

माध्यम से दुष्प्रेरण के समतुल्य है। जहां आपराधिक षड़यन्त्र धारा 107 भा०द०स०के अन्तर्गत दुष्प्रेरण के समतुल्य है,वहां धारा 120–क भा०द०स० अथवा 120–ख भा०द०स० के उपबन्धो की सहायता लेना आवश्यक है क्योंकि संहिता में ऐसे षड़यन्त्रो को दण्डित करने के लिए विशिष्ट उपबन्ध बनाये गये है। धारा 107 भा०द०स० के अन्तर्गत किसी षड़यन्त्र के लिए मात्र समुच्चय अथवा सहमति पर्याप्त नहीं है। कोई कार्य अथवा अवैध लोप षड़यन्त्र के अनुसरण में होना चाहिए तथा षड़यन्त्रित वस्तु को सम्पादित करने के उद्देश्य से होना चाहिए। धारा 120–क भा०द०स० के अन्तर्गत सहमति पर्याप्त है यदि यह अपराध करने के उद्देश्य से है। जहां तक षड़यन्त्र के माध्यम से दुष्प्रेरण का सम्बन्ध है,दुष्प्रेरक धारा 108 भा०द०स० से 117 भा०द०स०तक वर्णित विभिन्न परिस्थितियो के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। धारा 120 क भा०द०स० मे वर्णित आपराधिक षड़यन्त्र का अपराध धारा 120–ख भा०द०स० के अन्तर्गत दण्डनीय है।

उपरोक्त वैधानिक प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय के अग्रेतर विवेचना में यह देखना है कि क्या इस षड़यन्त्र/दुष्प्रेरण के निष्पादन में व्यक्त कार्य किया गया।अभियोजन पर यह दायित्व है कि वह इस व्यक्त कार्य को साबित करे।प्रकरण मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। बलात्कार एवं हत्या के मामलो में अपराधी हमेशा अपराध गोपनीयता से कारित करता है,ऐसे मामलो में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित कड़िया आपस में जुड़ी है कि नहीं एवं क्या उन कड़ियो के आधार पर अभियुक्तगणो के दोषिता का निर्धारण किया जा सकता है अथवा नहीं,यही सुनिश्चित करना न्यायालय का दायित्व है। न्यायालय का यह भी दायित्व है कि वह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उच्चतम मूल्यांकन करे। इसी क्रम में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विषय में प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना समीचीन समझता हूँ।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उमेद भाई बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 1978 एस०सी० 424** में यह मत व्यक्त किया गया है कि–

'' ***जब कोई मामला केवल परिस्थितियो के साक्ष्य पर निर्भर हो,तो यह आवश्यक है कि जो भी परिस्थितियां अभियोजन सामने लाया है,उसकी दिशा एक मात्र रूप से अभियुक्त को दोषी साबित करने की ओर होनी चाहिए और कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए ,जो अभियुक्त के दोषी होने से मेल न खाती हो। परिस्थितियो के साक्ष्य पर निर्भर होने वाले मामले में न्यायालय को कुल परिस्थितियो के प्रभाव को देखना होता है। परिस्थितियो की जंजीर की एक भी कड़ी टूट जाने पर अभियोजन की सारी बात नष्ट हो सकती है।*** ''

सम्मानित विधि व्यवस्था– **शरद चन्द्र विरधी चन्द्र सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ए०आई०आर० 1984 एस०सी० 1622** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विन्दुओ को निष्कर्षित करते हुए यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

" ***Therein while dealing with circumstantial evidence, it***

WWW.LIVELAW.IN

has been held that onus was on the prosecution to prove that the chain is complete and the infirmity or lacuna in prosecution can not be cured by false defence or plea. The condition precedent in the words of this court, before conviction could be based on circumstantial evidence must be fully established. They are–

1– ***The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.The circumstances concerned "must" or" should" be and not merely " may be" Fully established .***

2– ***The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.***

3– ***The circumstances should be of a conclusive nature and tendency.***

4– ***They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved,and***

5– ***There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the Innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused".***

इसी बिन्दु पर सम्मानित विधि व्यवस्था– **विजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य** (2104) 3 **SCC** 412 में माननीय उच्चतम न्यायालय नें यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

" ***Circumstantial evidence and requirement for conviction.***

Circumstantial evidence in order to be relied on, must satisfy the following tests.

(1) ***Circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cogently and firmly established.***

(2) ***Those circumstances must be of a definite tendency unerringly pointing towards guilt of the accused.***

(3) ***The circumstances, taken cumulatively, should form chain so complete that there is no escape from conclusion that within all human probability the crime was committed***

WWW.LIVELAW.IN

by the accused and none else.

(4) ***The circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation of any other hypothesis than that of the guilt of the accused but should be inconsistent with his innocence –In other words,the circumstance should exclude every possible hypothesis except the one to be proved,"***

सम्मानित विधि व्यवस्था– **नवीनथकृण्णन बनाम स्टेट आफ इन्सपेक्टर पुलिस AIR** 2018 **SC** 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –***Prosecution must place and prove all necessary circumstances constituting complete chain without a snap and pointing to hypothesis except accused no one had committed the offence."***

<u>अतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते समय निम्न बिन्दुओ पर ध्यान देना होगाः</u>–

1– दोषसिद्धि के समर्थन में जिन परिस्थितियो में निर्भर होना है,उन्हें संदेह से परे पूर्ण रूप से साबित किया जाना चाहिए तथा तथ्य को निर्मित करने वाली परिस्थितियो की श्रंखला इस प्रकार अटूट होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता से सुसंगत कोई युक्तियुक्त आधार शेष न हो।

2– परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसा होना चाहिए,जिससे यह अकाट्य निष्कर्ष निकलता हो कि समस्त मानव अधिसम्भाव्यता के अनुसार अपराध अभियुक्त के द्वारा ही किया गया है, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं।

3– यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दो मत निकलते हो तो उन्ही अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए,जिनके सन्दर्भ में स्पष्ट मत हो। शेष को संदेह का लाभ देना चाहिए।

4– यह आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त द्वारा सुझायी गयी प्रत्येक परिकल्पना का खण्डन कर सके,चाहे परिकल्पना कितनी भी काल्पनिक हो।

5– परिस्थितिजन्य साक्ष्य न सिर्फ अभियुक्त की दोषिता से सुसंगत हो,अपितु यह अभियुक्त की निर्दोषिता के प्रतिकूल हो।

6– परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामलो में न्यायालय को इस खतरे से बचना है कि कल्पना या संदेह वैध सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा इस व्यक्त कार्य को साबित करने हेतु अन्य साक्षियो के अतिरिक्त,अपराजिता के साथ अभियुक्तगणो को अन्तिमबार देखे जाने वाले साक्षी को भी परीक्षित कराया गया। प्रकरण से सम्बन्धित अन्तिमबार देखे जाने वाले साक्षी के साक्ष्य की विवेचना करने से पूर्व मैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिमबार देखे जाने वाले साक्षी के साक्ष्य के सम्बन्ध में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना समीचीन समझता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा–**गोवा राज्य बनाम पांडुरंग**

WWW.LIVELAW.IN

मोहिते, AIR 2009 **SC** 1066, **रामारेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य,** 2006 (10) **SCC** 172 **में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि** **–***Circumstances of " Last seen together" do not by themselves and necessarily lead to the inference that it was accused who committed the crime. There must be something more establishing connectivity between the accused and the crime .The time gap between last seen alive and the recovery of dead body must be so small that the possibility of any person other then the accused being the author of the crime becomes impossible.*

उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओ में पारित विधि सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए इस खण्ड से सम्बन्धित पेश किये गये समस्त साक्ष्यो का सम्प्रेक्षण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकरण की समस्त तथ्य एवं परिस्थितियो तथा विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस खण्ड से सम्बन्धित तर्को के परिप्रेक्ष्य में इस खण्ड को निम्नलिखित उपखण्डो में विभाजित कर प्रत्येक उपखण्डो पर आये उनसे संदर्भित साक्ष्य का सम्प्रेक्षण किया जाना समीचीन समझता हूँ।

उपखण्ड-

(a) षड़यन्त्र के निष्पादन में किया गया प्रथम व्यक्त कार्य

(b) अपराजिता से बलात्कार एवं उसकी हत्या तथा इसके परिप्रेक्ष्य में आये मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल द्वारा कारित कृत्य की विवेचना/अपराध का घटना स्थल/शव की बरामदगी का स्थल/अभियुक्त फूलचन्द की निशांदेही पर की गयी बरामदगी एवं साक्ष्य में उसकी उपयोगिता।

निस्तारण उपखण्ड (a)-

षड़यन्त्र के निष्पादन में किया गया प्रथम व्यक्त कार्य।

अभियोजन द्वारा अपराजिता को अभियुक्तगण के साथ अन्तिमबार देखे जाने वाले साक्षी पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया। अपने मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा यह कथन किया गया कि– ''घटना दिनांक–10–04–2021 की है। समय लगभग 8.30 बजे रात की घटना है। फूलचन्द कनौजिया व रोशनलाल, अभियुक्तगण को वह जानता– पहचानता है। वह लोग उसके गांव के ही रहने वाले हैं। हाजिर अदालत मुल्जिमान फूलचन्द कनौजिया व रोशनलाल को देखकर गवाह ने पहचान करते हुए कहा कि वह यही लोग है। अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करते हैं। स्थायी रूप से किसी के यहां काम नहीं करते है। उसका ट्रैक्टर उसे व,उसके चाचा व फूलचन्द ही चलाता है। फूलचन्द को जब जरूरत होती है तो वे लोग उसे बुला लेते हैं और उसे ट्रैक्टर जुताई का कार्य कराते है। उसके घर का ट्रैक्टर उसका पुस्तैनी ट्रैक्टर है जिससे पूरे परिवार के लोगो का कृषि कार्य होता है। फूलचन्द व रोशलाल आपस में घनिष्ट मित्र है। घटना वाले दिन उसका ट्रैक्टर सुबह बनवाने के लिए फूलचन्द कनौजिया उसे बहराइच ले गये थे। वह भी ट्रैक्टर बनवाने के लिए बहराइच मोटर साइकिल से गया था। ट्रैक्टर उसी दिन दोपहर

WWW.LIVELAW.IN

के करीब बन गया था। ट्रैक्टर ठीक कराने के बाद उसे फूलचन्द के साथ वापस घर भेज दिया था और वह भी सांयकाल करीब 6.30–7.00 बजे मोटर साइकिल से घर वापस आ गया था। बहराइच से वापस आने के बाद वह अपने घर पर ही था कहीं बाहर नहीं गया था। बहराइच से आने के बाद वह कपड़े निकालकर आराम से बाहर अपने दरवाजे पर चारपाई पर लेट गया जहां से उसके चाचा सन्तोष कुमार सिंह की परचून की दुकान लगभग 5–6 कदम पर है। संतोष की परचून की दुकान उसके दरवाजे पर ही है। परचून की दुकान पर बिक्री हेतु उसके चाचा बैठते थे और लगभग 8.30 बजे रात में रोजाना दुकान बंद कर देते थे। अपराजिता कभी–कभी दुकान पर आती रहती थी और अपने पिता के लिए दोपहर का खाना भी लाती थी और दुकान पर थोडी देर रूकने के बाद वापस घर चली जाती थी। घटना वाले दिन जब वह बहराइच से वापस अपने घर आया था तो उस समय दुकान पर उसकी बहन को बिक्री करते हुए देखा था। उस दिन उसी ने दुकान खोली थी। बहराइच से वापस आकर वह आराम करने के लिए परचून की दुकान से 5–6 कदम पर चारपायी पर लेट गया था। घटना वाले दिन उसकी आँखो के सामने ही उसकी बहन ने 08:30 बजे दुकान बंद किया था। जब वह दुकान बंद कर रही थी तो उस समय **मौके पर फूलचन्द व रोशनलाल भी थे**। फूलचन्द व रोशनलाल ने अपराजिता से कहा कि चलो तुमको घर भेज आये और तुम्हारे डैडी की तबियत खराब है उनको भी देख आवे। यह बात उसने अपने कानो से सुनी थी। इसके पश्चात उसकी आँखों के सामने ही उसकी बहन फूलचन्द व रोशनलाल के साथ दुकान बंद करके घर के लिए चली गयी थी।''अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया कि उसके मकान के उत्तर दिशा में मिली हुई दुकान है।उसके मकान पर दरवाजा उत्तर दिशा में है,उसी दिशा में चारपाई पड़ी हुई थी जिसपर वह लेटा हुआ था। यह भी कथन किया कि उसने इस दुकान को अपने चाचा संतोष को परचून की दुकान खोलकर बिक्री करने के लिए वैसे ही दिया है। यह भी कथन किया कि बहराइच से वह सांयकाल 06.00 –07.00 बजे को वापस घर पहुंचा था। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के पूछने पर स्पष्ट रूप से कथन किया कि लड़की के साथ वह नहीं गया क्योंकि वह लोग बराबर आते जाते रहते थे और गांव घर के थे।अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में पूछे गये प्रश्न के बावत इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि यह कहना गलत है कि उसने उसे दुकान के सामने खड़ा होना नहीं देखा। अभियोजन द्वारा इस साक्षी के माध्यम से यह साबित करना चाहा गया है कि इस साक्षी द्वारा अपराजिता को अन्तिमबार अभियुक्तगणो के साथ बात करते देखा गया। पी०डब्लू० 2 द्वारा दिये गये साक्ष्य जरिए मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के अनुसार अपराजिता दुकान पर थी,अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल दुकान पर आये एवं उससे चलने के लिए कहा,इस साक्षी द्वारा इस सभी दृश्य को नजदीक दूरी से देखा गया। इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य का अगर पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह द्वारा दिये गये साक्ष्य से तुलना किया जाये तो दोनो साक्षियो द्वारा कुछ समानान्तर तथ्य रखे गये है। पी०डब्लू० 1 द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया

WWW.LIVELAW.IN

गया कि दिनांक 10–04–2021 को ही जब उसकी बेटी दोहपर स्कूल से पढ़कर वापस आयी तो उसने परचून की दुकान पर जाकर खुद दुकान खोली। यह भी कथन किया कि घटना वाले दिन वह अपनी परचून की दुकान खोलने नहीं गया था,क्योकि सुबह जब वह गेहूं काट कर आया था तो बुखार आ जाने के कारण वह दुकान खोलने नहीं जा पाया था। इससे पूर्व उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 10–04–2021 की है। वह अपनी परचून की दुकान रोजाना साढ़े आठ बजे बन्द कर देता था। अपनी मुख्य परीक्षा में आगे उसके द्वारा यह भी कथन किया गया कि घटना वाले दिन दिनांक 10–04–2021 को जब उसकी बेटी दुकान साढ़े आठ बजे बन्द करने के बाद वापस नहीं पहुंची तब उसे इस बात की चिन्ता हुई कि उसकी बेटी घर वापस नहीं आयी है।दोनो साक्षियो के बयानो में समानान्तर तथ्य यह है कि घटना दिनांक 10–04–2021 की है,अपराजिता ही दुकान पर उपस्थित थी, उसके पिता उस दिन दुकान पर नहीं गये थें,साढ़े आठ बजे के उपरान्त भी अपराजिता घर नहीं पहुंची। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र द्वारा पी०डब्लू० 8 अरविन्द कुमार मिश्रा,प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर,राजा बौण्ड़ी,जनपद बहराइच के द्वारा प्रतिपरीक्षा में कहे गये यह कथन कि घटना के समय लाकडाउन का दौर था, विद्यालय बंद था,कोई शैक्षिक कार्य नहीं हो रहा था,इसलिए अपराजिता न तो स्कूल गयी थी और न ही इसके पहले से स्कूल आ रही थी,पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अपराजिता के प्रधानाचार्य के अनुसार स्कूल बन्द था तो पी०डब्लू० 1 द्वारा कहे गये यह कथन कि अपराजिता स्कूल से आने के बाद दुकान खोलने गयी थी स्वतः झूठे साबित हो जाते है। उपरोक्त पर न्यायालय का यह मत है कि इस प्रकरण के लिए यह आवश्यक तथ्य नहीं है कि अपराजिता घटना के दिन स्कूल गयी थी अथवा नहीं। आवश्यक तथ्य यह है कि क्या अपराजिता ने दुकान खोला एवं वह रात तक दुकान पर थी अथवा नहीं। तथ्य के उपरोक्त दोनो साक्षियो के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपराजिता द्वारा दुकान खुद जाकर खोली गयी एवं दुकान पर वह रात साढ़े आठ बजे तक रही,ऐसे में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ताओ के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते है।

पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह के साक्ष्य से निम्नलिखित तथ्य निकलकर आते है–

(1) घटना की तिथि दिनांक 10–04–2021 पर यह साक्षी अभियुक्त फूलचन्द के साथ बहराइच ट्रैक्टर बनवाने आया।

(2) ट्रैक्टर बनवाने के उपरान्त फूलचन्द उसे वापस लेकर गांव आया।

(3) यह साक्षी भी वापस मोटर साइकिल से 06.30– 07.00 बजे घर वापस आ गया।

(4) यह साक्षी घर के बाहर चारपाई पर लेट गया।

(5) अपराजिता दुकान पर बैठी थी जो साक्षी से पांच–छः कदम की दूरी पर स्थित थी।

(6) अपराजिता ने 08.30 बजे दुकान बन्द की एवं मौके पर फूलचन्द व रोशनलाल भी थे जिन्हें इन साक्षी द्वारा यह कहते हुए सुना गया कि चलो तुम्हे घर छोड़ आये, तुम्हारे डैडी

WWW.LIVELAW.IN

की तबियत खराब है एवं उनको भी देख आवें।

(7) अपराजिता फूलचन्द एव रोशनलाल के साथ दुकान बन्द करके चली गयी।

(8) यह साक्षी अपराजिता के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि उपरोक्त लोग बराबर आते जाते थे एवं उसके गांव घर के थे अर्थात विश्वसनीय व्यक्ति थे।

विवेचक द्वारा इस साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० अंकित किया गया जिसमें इस साक्षी द्वारा उपरोक्त मौखिक साक्ष्य में कही गयी समस्त तथ्यो का उल्लेख किया गया है,मात्र अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में उसका फूलचन्द के साथ दुकान पर आना कहा जाता है,दुकान पर कुछ देर खड़ा होना कहा जाता है एवं इसके उपरान्त अभियुक्त रोशनलाल का चला जाना कहा जा रहा है।अभियुक्त फूलचन्द के विषय में वहां रूकना,अपराजिता से घर छोड़ने के लिए कहना तथा उसको लेकर जाना कहा गया है। तात्पर्य यह है कि अभियुक्त फूलचन्द के बावत उपरोक्त साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० एवं उसके बयान जरिए मुख्य परीक्षा में कोई मतभेद नहीं है। मात्र अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में मतभेद है, ऐसे में अभियुक्त रोशनलाल के विषय में इस साक्षी द्वारा मौखिक परीक्षा में कहे गये अतिरिक्त कथन अभिवृद्धि (*Improvement*)की श्रेणी में आते है।अभियोजन की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था–**मोहम्मद साजन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य,2016(3)JIC 321(All)**पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार अभियोजन का वह कथानक जो विचारण के समय रखा जाता है वह उस कथानक पर प्रभावी होगा जो धारा 161 द०प्र०सं० में लिया गया हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा–**रोहताश बनाम हरियाणा राज्य,(2012)6 SCC 589 एव सुनील कुमार शम्भू दयाल गुप्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य,2011 (72) ACC 699(SC) में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि –**"*If the Prosecution witness had failed to mention in their statements u/s161 Cr.P.C. about the involvement of an accused, their subsequent statement before court during trial regards i**nvolvement** of **that particular accused cannot** be **relied** upon .Prosecution cannot seek to prove a fact during trial through a witness which such witness had not stated to police during investigation. The **evidence** of that **witness** regarding the **said improved fact** is of **no significance**.*"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गये तर्क बलहीन हो जाते है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह के उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त यह कहना समीचीन है कि उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में अक्षुण बयान दिये गये है। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से अपराजिता के साथ फूलचन्द

WWW.LIVELAW.IN

को, इस साक्षी द्वारा अन्तिमबार देखे जाने वाले तथ्य पर ऐसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे गये जो इस साक्षी के अभियुक्त फूलचन्द के बावत दिये गये बयानो में कोई अन्तर्विरोध प्रकट करते हो। अभियुक्त फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में इस साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० एवं उसके न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में समानता है,जो विश्वास किये जाने योग्य है। जहां तक अभियुक्त रोशनलाल का प्रश्न है,इस साक्षी के साक्ष्य अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में उतने ही हद तक महत्वपूर्ण है जहां तक इस साक्षी द्वारा अभिवृद्धि नहीं की गयी है अर्थात इस साक्षी का अभियुक्त रोशनलाल के बावत दिया गया यह साक्ष्य कि वह फूलचन्द के साथ आया था,दुकान पर खड़ा था ही विश्वसनीय माना जायेगा।

उपरोक्त साक्षी द्वारा दिये गये उपरोक्त मौखिक साक्ष्य में से अगर उसके द्वारा की गयी अभिवृद्धि को हटा दिया जाये तो यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता का दुकान खोलना,अभियुक्त रोशनलाल का दुकान पर अभियुक्त फूलचन्द के साथ आना,फूलचन्द का रूका रहना एवं अपराजिता को घर छोड़ने के लिए कहना, अपराजिता का साढ़े आठ बजे दुकान बन्द करके फूलचन्द के साथ जाना तथा इस समस्त प्रक्रिया को इस साक्षी द्वारा देखना एवं वार्तालाप को सुनना साबित किया गया है।साक्ष्यो के उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त इस साक्षी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त रोशनलाल दुकान पर आने के बाद रूका रहा एवं वह भी फूलचन्द के साथ अपराजिता को लेकर गया। **उपरोक्त खण्डो में दिये गये निष्कर्ष एवं इस उपखण्ड में किये गये उपरोक्त विमर्श के उपरान्त अभियोजन द्वारा तथ्य के परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 के उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्यो को भी साबित किया गया है।**

(1) अभियुक्तगणो के षड़यन्त्र के निष्पादन में अभियुक्तगणो द्वारा प्रथम व्यक्त कार्य किया गया।

(2) अपराजिता दिनांक 10-04-2021 को दुकान पर अकेली थी। उस समय प्रथम व्यक्त कार्य यह था कि अभियुक्तगण फूलचन्द एवं रोशनलाल अपराजिता की दुकान पर आये, अर्थात अभियुक्त रोशनलाल अपने दुष्प्रेरण के निष्पादन में अभियुक्त फूलचन्द के साथ अपराजिता के दुकान पर आया।

(3) अभियुक्त फूलचन्द रूका रहा एवं अपराजिता को दुकान बन्द करवाकर अपने साथ लेकर गया अर्थात उपरोक्त साबित षड़यन्त्र(**दुष्कर्म के आशय से ले जाना**) के निष्पादन में अभियुक्त फूलचन्द द्वारा अपराजिता को **समय 08.30 बजे** साथ लेकर जाया गया जो अपराजिता की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए उसके साथ किया गया अपहरण/ व्यपहरण था।

(4) इस सभी प्रक्रिया को पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा अपनी आंख से तथा नजदीक दूरी से देखा गया अर्थात पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा अपराजिता को दुकान बन्द करने के समय अन्तिमबार अभियुक्त फूलचन्द के साथ देखा गया।

तद्नुसार यह उप-खण्ड भी निस्तारित किया जाता है।

WWW.LIVELAW.IN

निस्तारण उपखण्ड(b)

अपराजिता से बलात्कार एवं उसकी हत्या तथा इसके परिप्रेक्ष्य में आये मौखिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल द्वारा कारित कृत्य की विवेचना/अपराध का घटना स्थल/शव की बरामदगी का स्थल/अभियुक्त फूलचन्द की निशांदेही पर की गयी बरामदगी एवं साक्ष्य में उसकी उपयोगिता।

पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह जो कि अपराजिता के पिता है एवं प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा है,ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि–'' बेटी के घर न पहुंचने पर वह अपनी बेटी की तलाश में अपने घर से निकला और उसके परिवार के भाई व भतीजे जो अलग मकान में रहते है,वह लोग भी उसके द्वारा सूचना पाकर उसकी बेटी को ढूढ़ने घर से निकले थे और हम सभी लोग साथ में मिलकर रात में ही अपनी बेटी को तलाश करने लगे। तलाश करते समय उसके साथ उसका भतीजा भूपेन्द्र, भाई मुलुकराज तथा अन्य लोग भी थे। यह भी कथन किया कि हम लोग अपनी बेटी को ढूढ़ते गांव के पास स्थित नाले के पास पहुंचे। नाले के किनारे नरकुल की झाड़ी लगी हुई थी। जब हम लोग नाले के पास पहुंचे और टार्च लगाकर देखा गया तो बेटी की लाश नाले में पड़ी थी। नाले में कीचड़ था, पानी नहीं था। मृतका का शव नग्न अवस्था में उसी नाले के कीचड़ में पड़ा हुआ था। जब हम लोग बेटी को तलाश करते हुए नाले के पास पहुंचे थे तो उसी समय नाले के किनारे से फूलचन्द व रोशनलाल को टार्च की रोशनी में हम सभी लोगो ने भागते हुए देखा था। बेटी की लाश को हम लोगो ने नाले से बाहर निकाला। लाश नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर खरोच के निशान थे और गले पर गला दबाने के निशान थे। उसकी बेटी मृतका के पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था। ''

अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि घटना के दिन लड़की की परीक्षा थी, वह परीक्षा देने गयी थी। यह भी कथन किया कि उसको यह ज्ञान नही कि उस दिन परीक्षा हुई थी या नहीं। अपने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि जब वह गेहूं काट कर घर वापस आया था तब उसकी बेटी दुकान जा चुकी थी। यह भी कथन किया कि उसकी बेटी घर से दुकान कितने बजे गयी थी, वह नहीं बता सकता।अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि रात को 08:30 बजे तक जब उसकी लड़की घर वापस नहीं आयी थी, तब उसने अपने भतीजे भूपेन्द्र सिंह को फोन किया था। उस समय लगभग 9.00 बज रहे थे। भूपेन्द्र सिंह ने उसको फोन पर ही बताया था कि उसकी लड़की करीब 08.30 बजे दुकान से घर के लिये चली गयी है। उपरोक्त साक्षी ने अपने द्वारा दिये गये साक्ष्य जरिए मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अपनी पुत्री को नग्न मृत अवस्था में नाले में देखे जाने का कथन किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया गया कि मृत्यु की अवस्था में पहलीबार उसने **दस बजे** के आस–पास अपनी **लड़की को देखा था**। उसके साक्ष्य जरिए मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि वह दिनांक 10–04–2021 को दुकान खोलने नहीं गया था एवं उसकी पुत्री अपराजिता दुकान गयी थी।

WWW.LIVELAW.IN

उसके दोनो बयानो से यह भी स्पष्ट है कि जब अपराजिता घर पर साढ़े आठ बजे तक नहीं पहुंची तो उसने पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र को फोन किया जिसने उसे यह बताया कि अपराजिता साढ़े आठ बजे दुकान से घर चली गयी है एवं इसी बताने पर वह अन्य लोगो के साथ बेटी को ढूढ़ने निकला एवं इसी ढूढ़ने में उसे अपनी बेटी की लाश नाले में नग्न अवस्था में लगभग दस बजे के आस पास मिली। अपने साक्ष्य के माध्यम से उसके द्वारा अपराजिता के शरीर पर खरोच के निशान,उसके गुप्तांगो से खून का रिसाव होना एवं उसके गले पर दबाने के निशान होने के कथन किये जा रहे है अर्थात इस साक्षी द्वारा अपराजिता के चोटो के बावत स्पष्ट उल्लेख करते हुए उसके साथ हुई बलात्कार एवं हत्या के अपराध की पुष्टि की जा रही है। साक्षी पी०डब्लू० 1 द्वारा अपराजिता को मृत अवस्था में पहली बार देखे जाने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साक्षी के अनुसार उसने अपराजिता को मृत अवस्था में सर्वप्रथम दस बजे के आस पास देखा जो कि अपराजिता को अभियुक्त फूलचन्द के साथ पी०डब्लू० 2 द्वारा समय 08.30 बजे अन्तिमबार देखे जाने वाले समय से लगभग डेढ़ घण्टे बाद का समय है। जहां तक इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य आया है कि अपराजिता घटना वाले तिथि पर स्कूल परीक्षा देने गयी थी,इस बिन्दु पर निर्णय के उपरोक्त भाग में यह मत दिया जा चुका है कि अपराजिता घटना के दिन स्कूल गयी थी अथवा नहीं,यह तथ्य इस प्रकरण हेतु आवश्यक तथ्य नहीं है। आवश्यक तथ्य यह था कि अपराजिता ने घटना की तिथि पर स्वयं दुकान खोला अथवा नहीं एवं क्या वह दुकान पर घटना की तिथि पर उपस्थित थी। पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह के साक्ष्य के अनुसार यह साबित है कि अपराजिता ने दुकान खोली एवं वह उस दिन दुकान पर उपस्थित थी। अवलोकनीय यह भी है कि पी०डब्लू० 1 संतोष कुमार सिंह अपराजिता का पिता है एवं पिता होने के नाते उसे यह जानाकारी होना स्वाभाविक है कि उसकी बेटी दुकान गयी अथवा नहीं। जिस पिता की पुत्री के साथ बलात्कार एवं हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया हो वह इस बिन्दु पर असत्य कथन कहे, इसकी अवधारणा करना न्यायसंगत एवं उचित नहीं है,ऐसे में पी०डब्लू० 1 द्वारा दिये गये उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य से दिनांक 10-04-2021 की रात्रि 08.30 से 10.00 बजे के बीच अपराजिता के साथ बलात्कार एवं हत्या की घटना तथा उसकी लाश की नाले से बरामदगी का तथ्य साबित है।जहां तक पी०डब्लू० 1 द्वारा अभियुक्तगणो के बावत दिया गया यह साक्ष्य कि अभियुक्तगणो को नाले के पास से टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा गया, यह साक्ष्य एक (*Improvement*) अभिवृद्धि है,क्योकि उपरोक्त कथन उसके द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र० सं० में विवेचक से नहीं कहे गये,ऐसे में उसके मौखिक साक्ष्य में यह कथन कि उसने अभियुक्तगणो को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा,साक्ष्य की दृष्टि से एक अभिवृद्धि है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था -**रोहताश बनाम हरियाणा राज्य 2012 6 SCC 589 में** प्रतिपादित विधि सिद्धान्त(जिसका विवरण निर्णय के ऊपरी भाग में दिया गया है) एक महत्वहीन साक्ष्य है।

पी०डब्लू० 2 के रूप में अभियोजन द्वारा भूपेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया।

WWW.LIVELAW.IN

पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह अपराजिता का चचेरा भाई है,जिसने अपराजिता को फूलचन्द के साथ अन्तिमबार 08.30 बजे देखे जाने वाले तथ्य को साबित किया है। उसके साक्ष्य के किये गये पूर्ववत सम्प्रेक्षण से यह भी साबित है कि फूलचन्द के साथ रोशनलाल भी अपराजिता की दुकान पर आया। निर्णय के इस भाग के सम्प्रेक्षण में यह देखना है कि क्या पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा भी अपराजिता के साथ हुई बलात्कार एवं हत्या की घटना से सम्बन्धित तथ्य के बावत तथा उसकी लाश की बरामदगी के बावत वही कथन किये गये है जैसा कि पी०डब्लू० 1 द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी देखना है कि क्या इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगणो की घटना में संलिप्तता के बावत कोई अतिरिक्त साक्ष्य दिया गया है अथवा नहीं। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह ने अपने मौखिक साक्ष्य जरिए मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि ''उसकी बहन के फूलचन्द व रोशलाल के साथ जाने के करीब आधे घंटे के बाद उसके चाचा संतोष का फोन आया और पूछा कि उसकी बेटी क्या दुकान पर ही रूक गयी है तब उसने उन्हें फोन पर बताया कि बिटिया यहां नहीं है, वह दुकान बंद करके फूलचन्द व रोशनलाल के साथ घर गयी है,तब उसके चाचा ने बताया कि बिटिया अभी घर नहीं आयी है, तब वह टार्च लेकर अपने चाचा संतोष के घर की तरफ चल दिया।यह भी कथन किया कि जब वह टार्च लेकर अपने चाचा के घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में बिटिया को ढूढ़ने निकले परिवार के अन्य सदस्यो से उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद वे सभी लोग अपराजिता को ढूंढ़ने लगे। कई जगह गांव में ही अगल–बगल लड़की को ढूंढ़ा गया। जब वे उसे ढूंढ़ते हुए गांव के पास नाले पर पहुंचे, नाले के किनारे नरकुल लगी हुई थी। नाले में कीचड़ था। नाले के करीब पहुंचने पर उसने टार्च जलाया तो देखा कि फूलचन्द व रोशनलाल उस जगह से भाग रहे थे। उसने इन लोगो को भागते हुए देखा था। उन लोगो ने नाले में टार्च जलाकर देखा तो अपराजिता की लाश नाले के कीचड़ में पड़ी हुई थी। तब अपराजिता के शव को नाले से निकाला गया तो उसका शव बिलकुल नग्न अवस्था में था। उसके शरीर पर खरोच के निशान थे। उसके गले पर भी दबाने के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गयी थी। अपराजिता के पेशाब की जगह से खून का रिसाव हो रहा था। उसने टार्च की रोशनी में अभियुक्त फूलचन्द व रोशनलाल को उसी जगह के पास से भागते हुए देखा था जहां पर अपराजिता की लाश मिली थी।'' अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अभियुक्त रोशनलाल को अपराजिता के साथ बलात्कार करते हुए या उसकी हत्या करते हुए अपनी आंखो से नहीं देखा।यह भी कथन किया कि वह अपनी चाची व दादी से बताने के लिए कि अपराजिता की लाश नाले में पड़ी है, 08.30 –09.00 बजे गया।यहां इस साक्षी द्वारा अपराजिता की लाश देखने के समय के बावत जिस समय का उल्लेख किया जा रहा है वह पी०डब्लू० 1 द्वारा बताये गये समय से लगभग एक घण्टा पहले का है। अवलोकनीय यह है कि इस साक्षी की उपरोक्त प्रतिपरीक्षा घटना के लगभग तीन माह बाद हुई। एक गांव के व्यक्ति से जो कभी न्यायालय में गवाही

WWW.LIVELAW.IN

देने न आया हो एवं अचानक उसे न्यायालय में अपनी बहन से सम्बन्धित इतनी वीभत्स घटना के बावत गवाही देने आना पड़े एवं प्रतिपरीक्षा में तीखे प्रश्नो का सामना करना पड़े, उसके साक्ष्य में कुछ अन्तर्विरोध आना स्वाभाविक है,ऐसे में जबकि उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं यह कथन किया जा रहा है कि फूलचन्द एवं रोशनलाल के साथ जाने के करीब आधा घण्टा बाद उसके चाचा संतोष का फोन आया और पूछा कि उसकी बेटी क्या दुकान पर रूक गयी है तब उसने फोन पर बताया कि बिटिया यहां नहीं है,से स्पष्ट है कि घटना की तिथि के 09.00 बजे तक उसे मृतका की लाश नही दिखी थी।अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि दरोगाजी को उसने यह बयान कि'' परचून की दुकान के पास खड़े थे, कुछ देर बाद रोशनलाल कहीं चला गया,नहीं दिया था।''उपरोक्त साक्षी का यह कहना कि उसने यह बयान नहीं दिया था तथा उसका अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त रोशनलाल एवं फूलचन्द दोनो को टार्च की रोशनी में नाले के पास से भागते हुए देखना के कथन करना एक अभिवृद्धि है। अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में उसके द्वारा मात्र फूलचन्द को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखे जाने के कथन किये जा रहे है।अभियुक्त रोशनलाल को भागते हुए देखे जाने के कोई कथन नहीं किये गये थे,ऐसे में रोशनलाल को भागते हुए देखे जाने का कथन एक अभिवृद्धि है जो अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध साक्ष्य की दृष्टि से महत्वहीन है।अभियुक्त फूलचन्द के बावत दिये गये प्रत्येक कथन अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० समान रूप से पी०डब्लू० 2 द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य से सम्पुष्ट होते है,ऐसे में अभियुक्त फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में पी०डब्लू० 2 द्वारा दिये गये साक्ष्य महत्वपूर्ण है एवं विश्वास किये जाने योग्य है।पी०डब्लू० 2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता के पूछने पर संतोष सिंह द्वारा उसे 08.30 – 09.00 बजे फोन करने के कथन किये गये है जो पी०डब्लू० 1 द्वारा कहे गये साक्ष्य के सामान है। पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा भी अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता के शरीर पर खरोच के निशान, नग्न अवस्था में उसकी लाश नाले में पड़े होना,गले पर दबाने के निशान देखना तथा गला दबाकर उसकी हत्या कारित होने की सम्भावना तथा उसके पेशाब की जगह से खून के रिसाव होने, जैसे महत्वपूर्ण तथ्यो को साबित किया गया है। पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 दोनो साक्षियो द्वारा अपराजिता के शरीर पर उन्हीं चोटो का विवरण किया गया है जो बलात्कार जैसे अपराध के समय आ सकती है। इन साक्षियो द्वारा पीड़िता के गुप्तांगो से खून का रिसाव देखा जाना एवं उसका मृत शरीर पूर्ण नग्न अवस्था में नाले में पाया जाना,अपराजिता के साथ मात्र बलात्कार एवं हत्या के अपराध की पुष्टि करता है।पी०डब्लू० 2 द्वारा फूलचन्द को टार्च की रोशनी में भागते देखा जाना तथा उसी स्थान से भागते देखा जाना जहां पर अपराजिता की लाश पड़ी हुई थी,अभियुक्त फूलचन्द का घटना उपरान्त उसके पश्चयावर्ती आचरण को इंगित करता है जो **धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के तहत उसके विरूद्ध सुसंगत साक्ष्य है एवं यह आचरण अब तक के निर्णय में अभियुक्त **फूलचन्द** के विरूद्ध साबित अन्यत्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अतिरिक्त

WWW.LIVELAW.IN

एक अन्यत्र साक्ष्य है,जो इस अभियुक्त फूलचन्द को अपराजिता के साथ हुई बलात्कार एवं हत्या की घटना से सीधा संलिप्त/जोड़ता है। अभियोजन द्वारा तथ्य के एक अन्यत्र साक्षी पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया गया जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में हाजिर अदालत अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल की पहचान की गयी एवं यह कथन किया गया कि ''वह रात्रि में करीब 10.00 –10.30 बजे लैट्रिन करके वापस अपने घर आ रहा था तो नाले की तरफ से पकड़ो–पकड़ो की उसे आवाज सुनायी पड़ी, तब उसने अपने हाथ में लिये हुए तीन सेल की टार्च को जलाया तो जिस तरफ से आवाज आ रही थी, उस तरफ उसने टार्च की रोशनी में रोशनलाल व फूलचन्द को भागते हुए देखा, तब उसने इन दोनो लोगो से रूकने के लिए कहा लेकिन वह नहीं रूके और भाग गये। इसके बाद वह हल्ला वाली जगह पर नाले के पास आया तो वहां देखा कि काफी लोगों की भीड़ थी।यह भी कथन किया कि उसने मौके पर संतोष सिंह की लड़की को नग्न अवस्था में देखा। यह भी कथन किया कि लड़की के चेहरे पर व शरीर पर खरोच के निशान थे, उसके गले पर भी दबाने जैसा निशान था, लड़की के गुप्तांग से खून बहा था।''अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर यह कथन किया कि पहली बार वह करीब सांयकाल 04.00 बजे अपने खेत में और दूसरी बार रात में 10.00 बजे शौच के लिए गया था। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर उसने यह कथन किया कि दरोगाजी को वह स्थान जहां पर वह रात्रि में लैट्रिन करने गया था,वह दिखाया था। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता की नग्न अवस्था में लाश देखना,उसके शरीर पर खरोच के निशान देखना,गले पर दबाने के निशान देखना व अपराजिता के गुप्तांगो से खून बहना देखना जैसे तथ्यो को साबित किया गया है। अभियुक्त फूलचन्द एवं रोशनलाल को हल्ला सुनने पर टार्च की रोशनी में भागते हुए देखे जाने का कथन किया जा रहा है तथा उन्हें रूकने के लिए कहना एवं इसके उपरान्त भी अभियुक्तगणो का भागा जाना जैसे कथन किये जा रहे है। दौरान विवेचना इस साक्षी का भी बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० दर्ज हुआ। विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स०में इस साक्षी द्वारा जितने भी कथन किये गये वह उसके द्वारा मौखिक साक्ष्य में किये गये कथनो के समान है, मात्र अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में इस साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में अभिवृद्धि की गयी है।अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०स० में इस साक्षी द्वारा हल्ला सुनने पर मात्र अभियुक्त फूलचन्द को टार्च की रोशनी में भागते हुए देखा जाना कहा जा रहा है तथा उसे रूकने के लिए भी कहना कहा जा रहा है।अभियुक्त रोशनलाल के बावत उपरोक्त साक्षी द्वारा विवेचक को कोई भी कथन नहीं किये गये,ऐसे में अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में इस साक्षी द्वारा भी अपने साक्ष्य में किये गये कथन एक अभिवृद्धि है जो साक्ष्य की दृष्टि से महत्वहीन है।अभियुक्त फूलचन्द के बावत इस साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य, अभियुक्त फूलचन्द की घटना उपरान्त उसके पश्चयावर्ती आचरण को दर्शाते है एवं उसका अपराजिता के साथ हुई घटना से सीधा सम्बन्ध स्थापित करते है। अभियुक्त रोशनलाल व अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना के दिन

WWW.LIVELAW.IN

अंधेरी रात थी,एवं जिस टार्च से अभियुक्तगणो को देखे जाने का कथन किया जा रहा है उस टार्च की बरामदगी विवेचक द्वारा नहीं की गयी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी०डब्लू० 4 दिनेश शुक्ला का उसी समय लैट्रिन करने जाना एवं अभियुक्तगणो को देखना एक संयोग है जो बनाया गया है। यह तर्क रखते हुए अभियुक्तगणो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ,अभियुक्तगणो की साक्षियो द्वारा की गयी पहचान को संदेहास्पद बताया जा रहा है। अपने तर्क के समर्थन में अभियुक्तगणो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था –**हरबीर सिंह बनाम शीषपाल एवं अन्य 2017 CRI LJ** 169 में इस बिन्दु से सम्बन्धित प्रतिपादित विधि सिद्धान्त पर बल दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि अगर साक्षियो की घटना स्थल पर उपस्थित स्वाभाविक नहीं है एवं अगर यह साबित नहीं है कि साक्षीगणो द्वारा इतनी दूरी से प्रत्येक अभियुक्त को अंधेरे में पहचान लिया गया हो तो यह अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न करेगा। पी०डब्लू० 2 संतोष सिंह अपराजिता का भाई है एवं भाई होने के कारण अपनी बहन का रात में घर न पहुंचने की स्थिति में उसको ढूढ़ने निकलना स्वाभाविक एवं अपेक्षित है।पी०डब्लू० 2 गांव का निवासी है, जहां पर अब भी स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं है,ऐसी स्थिति में उसका रात में टार्च लेकर ढूढ़ने निकलना भी स्वाभाविक है।पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ला भी ग्रामीण परिवेश से है जहां पर लोग शौचालय बने रहने के बावजूद भी खेत अथवा खुले स्थान में शौच करने जाते है। पी०डब्लू० 4 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वह रात में दस बजे के लगभग शौच करने निकला था। पी०डब्लू० 4 का टार्च लेकर रात में शौच पर निकलना भी स्वाभाविक है एवं हल्ला सुनने पर टार्च जलाकर हल्ले की स्थान पर देखना भी स्वाभाविक है।यहां यह भी कहना आवश्यक है कि अभियुक्त फूलचन्द उसी गांव का निवासी है जिस गांव के निवासी उपरोक्त साक्षीगण है।अभियुक्त फूलचन्द पी०डब्लू० 2 का ट्रैक्टर ड्राइवर भी है जो उसे अक्सर मिलता रहता होगा,ऐसे में एक ही गांव के निवासी तथा ट्रैक्टर ड्राइवर होने की स्थिति में सभी लोग एक दूसरे के चेहरे/शरीर की बनावट से भली भांति परिचित होंगे एवं कम रोशनी में भी एक दूसरे को पहचानने में सामर्थ्यवान होगें।निश्चित रूप से विवेचक का यह दायित्व था कि वह टार्च को बरामद करता एवं न्यायालय के समक्ष रखता जो उसके द्वारा नहीं किया गया,किन्तु उसके द्वारा विवेचना में की गयी यह विसंगति का लाभ मामले के उपरोक्त साबित तथ्य एवं परिस्थितियो में अभियुक्त फूलचन्द को किसी भी प्रकार का लाभ देने में सक्षम नहीं है। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते है एवं उनके द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होती है। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य के परीक्षित उपरोक्त साक्षियो ने अपने साक्ष्य के माध्यम से तथा अपराजिता के शरीर पर आयी चोटो का विवरण दे कर,अपराजिता के साथ बलात्कार एवं हत्या जैसे अपराध को साबित किया गया है।पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह एवं पी०डब्लू० 4 दिनेश कुमार शुक्ला द्वारा अभियुक्त फूलचन्द के पश्चयावर्ती आचरण का उल्लेख करते हुए अभियुक्त फूलचन्द के विरूद्ध एक अतिरिक्त

WWW.LIVELAW.IN

साक्ष्य उत्पन्न किया जिसको खण्डित करने का दायित्व मात्र अभियुक्त फूलचन्द पर है।

प्रकरण से सम्बन्धित दोनो विवेचको द्वारा दिये गये मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण/विवेचना में अभियुक्तगणो के विरूद्ध संकलित साक्ष्य का सम्प्रेक्षण/घटना स्थल/शव की बरामदगी का स्थल।

इस प्रकरण की विवेचना दो विवेचको द्वारा की गयी। प्रकरण के प्रथम विवेचक पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया,जिनके द्वारा विवेचना में की गयी कृत कार्यवाही का उल्लेख करते हुए **घटना स्थल की नक्शा नजरी** को प्रदर्श **क–11** के रूप में साबित किया गया है एवं स्पष्ट कथन किया गया कि वादी के निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। पत्रावली पर प्रदर्श क–11 के रूप में घटना स्थल की नक्शा नजरी मूल रूप से उपलब्ध है जो विवेचक पी०डब्लू० 9 द्वारा साबित की गयी है। विवेचक द्वारा → → चिन्ह के माध्यम से अपराजिता का दुकान से घर की तरफ जाने का रास्ता अंकित किया गया है। A स्थान जो खण्डन्जा मार्ग पर स्थित है,अपराजिता को पकड़ कर अपहरण किया जाना अंकित है। अपराजिता के साथ X स्थान पर बलात्कार किया जाना अंकित है। इस X स्थान को खाली प्लाट होना दिखाया गया है। B स्थान पर अपराजिता की दुकान की चाभी का गुच्छा पड़ा होना, C स्थान पर अपराजिता के बाल का एक क्लीप होना ,D स्थान पर अपराजिता का टूटा हुआ क्लेचर प्लास्टिक का पड़ा होना , E स्थान पर दो अदद तम्बाकू गुटका व एक अदद शैम्पू का पैकेट होना, F स्थान पर अपराजिता का एक जोड़ी हवाई चप्पल लाल सफेद रंग का पड़ा होना दर्शाया जा रहा है।**अवलोकनीय यह है कि यह सभी स्थल X स्थान से संलग्न है एवं X स्थान अपराजिता का बलात्कार करने का स्थान दर्शाया गया है।** घटना स्थल की नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 में G स्थान से अपराजिता का अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा होना अंकित है। यह G स्थान नहर के रूप में दिखाया गया है तथा उसमें पानी भरा होना दिखाया जा रहा है जिसकी दूरी X स्थान से 34 कदम होना दर्शाया गया है। नहर के किनारे पेड़ होना भी दर्शाया जा रहा है। अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता/न्यायमित्र द्वारा पूछने पर पी०डब्लू० 9 मनोज राय द्वारा यह कथन किया गया कि घटनास्थल वाला पूरा प्लाट है और यह भी कथन किया गया कि उसके उत्तरी कोने पर ननकऊ का मड़हा बना हुआ है तथा यह भी कथन किया गया कि फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से अपराजिता के चाभी का गुच्छा,अपराजिता के बाल का क्लीप व अपराजिता के बाल में लगाने वाला प्लास्टिक का क्लेचर,दो अदद तम्बाकू गुटका की पुड़िया,एक अदद शैम्पू का पैकेट व एक अदद अपराजिता का हवाई चप्पल उसे सील कवर हालत में प्राप्त कराया था। विवेचक का यह दायित्व था कि वह इन सामग्रियो को न्यायालय के समक्ष पेश करता, परन्तु विवेचक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के दायित्व में इन सामग्रियो को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में पुनः उसके द्वारा यह कथन किया गया कि घटना स्थल X स्थान से अपराजिता के नाले में G स्थान पर शव पड़े होने की दूरी 34 कदम है। यह भी कथन किया गया कि जहां शव नाले में पड़ा था उस नाले में

WWW.LIVELAW.IN

थोड़ा पानी था और कहीं–कही सूखा था।इस साक्षी द्वारा घटनास्थल से शव की बरामदगी के स्थल की दूरी वहीं बतायी जा रही है जैसा कि प्रदर्श क–11 में दर्शित है।अवलोकनीय यह भी है कि इस साक्षी द्वारा भी शव की बरामदगी का स्थल नाला/नहर तथा उसमें पानी होनो तथा कुछ सूखा भी होना बताया गया है। पी०डब्लू० 1,पी०डब्लू० 2 के साक्ष्य के अनुसार भी अपराजिता का शव नाले से बरामद हुआ एवं उसपर कीचड़ लगा हुआ था जो स्वयं पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय के कथनो की पुष्टि करता है।यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि नाले में पानी अथवा कीचड़ होना स्वाभाविक है।यद्यपि विवेचक द्वारा फील्ड यूनिट की घटना स्थल से बरामद किये जाने वाले सामग्रियो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु अगर विवेचक पी०डब्लू० 9 एवं पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह तथा पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा अपराजिता की शव की बरामदगी का स्थल के बावत दिये गये साक्ष्य एवं पी०डब्लू० 9 का यह साक्ष्य कि शव की बरामदगी का स्थल जो कि नाला है,से फील्ड यूनिट द्वारा बरामद किये जाने वाली सामग्री का स्थल जो कि X स्थान से 34 कदम दूर है,को एकरूपता से पढ़ा जाये तो यही निष्कर्ष निकलता है कि घटना स्थल X स्थान ही था जो ननकऊ कहार के खाली प्लाट में स्थित है। शव की बरामदगी के स्थल से X स्थान की दर्शित की जाने वाली न्यूनतम दूरी भी यही इंगित करती है कि **घटना स्थल X स्थान था** जो कि खाली प्लाट था एवं इसी स्थान पर अपराजिता के साथ बलात्कार एवं हत्या जैसा अपराध कारित हुआ। विवेचक के द्वारा साबित प्रपत्र प्रदर्श क–11 के अनुसार घटना स्थल X स्थान है जो कि एक खाली प्लाट के रूप में एवं जिसे ननकऊ कहार का दर्शाया जा रहा है एवं इसी प्लाट के X स्थान से 34 कदम दूर G स्थान (नहर) पर अपराजिता की लाश पाया जाना दर्शाया जा रहा है। अवलोकनीय यह है कि तथ्य के परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1,पी०डब्लू० 2 एवं पी०डब्लू० 4 द्वारा भी नाले में ही मृतका की लाश देखे जाने का ही अभिवचन किया गया है जो कि इस साक्षी द्वारा लाश की बरामदगी के स्थल के बावत दिये गये कथनो की पुष्टि करता है, ऐसे में पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय द्वारा भी अपने साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता के लाश की बरामदगी स्थल को साबित करते हुए, बरामदगी स्थल नाला होना प्रमाणित किया गया है।

विवेचक पी०डब्लू० 9 के साक्ष्य के अब तक सम्प्रेक्षण से निम्नलिखित तथ्य साबित हुए है –

(1) घटना स्थल ननकऊ कहार के खाली प्लाट में स्थित X स्थान है।

(2) इस घटना स्थल से अपराजिता के शव की बरामदगी का स्थल जो कि नाला/नहर है, मात्र 34 कदम की दूरी पर है।

इस खण्ड के निस्तारण में यह भी देखना है कि क्या विवेचक पी०डब्लू० 9 द्वारा अभियुक्तगणो के विरूद्ध दौरान विवेचना कोई साक्ष्य संकलित किया गया,अथवा नहीं अर्थात क्या दौरान विवेचना विवेचक को अभियुक्तगणो के विरूद्ध कोई साक्ष्य मिले अथवा नहीं।

अभियुक्त फूलचन्द के संदर्भ में एकत्रित किये गये साक्ष्य/फर्द बरामदगी/धारा

WWW.LIVELAW.IN

27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इस बरामदगी की साक्ष्य में ग्राहयता/ उपयोगिता।

पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि दिनांक 11-04-2021 को ही अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया को समय 15.30 बजे उसके घर के सामने से गिरफ्तार किया गया। यह भी कथन किया गया कि फूल चन्द कनौजिया की निशादेही पर घटना स्थल के पास से नरकुल की आड़ में छिपाकर रखा हुआ अपराजिता द्वारा पहना हुआ कपड़ा व स्वयं की पहनी हुई पेन्ट व शर्ट व चड्ढी तथा अपराजिता की दुकान से खरीदा गया बीड़ी का बण्डल, माचिस की डिब्बी, पान मसाला, गुटका आदि बरामद हुआ। यह भी कथन किया गया कि दौरान कार्यवाही, बरामदगी की सूचना पाकर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी सुषमा मौके पर आ गयी थी। यह भी कथन किया गया कि इन लोगों ने अपराजिता से बरामद कपड़ों को देखकर पहचाना और बताया कि यह कपड़े उनकी बेटी (अपराजिता) के ही है। -यह भी कथन किया गया कि अभियुक्त की निशांदेही से बरामद सामान को कब्जा पुलिस में लेकर अलग-अलग कपड़ो में रखकर उनको मौके पर सील कर, सर्वमुहर कर, नमूना मुहर बनाकर, समक्ष गवाहान फर्द बरामदगी उनके द्वारा तैयार की गयी। यह भी कथन किया गया कि फर्द बरामदगी तैयार करने के बाद उसे अभियुक्त फूलचन्द, साक्षी संतोष सिंह व सुषमा सिंह को पढ़कर सुनाकर फर्द पर साक्षी के हस्ताक्षर मौके पर ही बनवाये थे। यह भी कथन किया गया कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुए पैन्ट व शर्ट व एक बण्डल बीड़ी,एक माचिस,एक पान मसाला,एक पुड़िया तम्बाकू,एक अदद चडढी व अपराजिता के अण्डर गारमेन्ट, चड्ढी,एक अदद दुपट्टा की फर्द उसके सामने है जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए है। इसकी वह पुष्टि करता है। उपरोक्त फर्द बरामदगी पर पहले से प्रदर्श क-2 पड़ा हुआ है। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा कहे गये उपरोक्त कथनो की ही पुनरावृति की गयी एवं यह भी कथन किया गया कि इस मामले से सम्बन्धित बरामद माल मुकदमा आज वह लेकर नहीं आया है तथा यह भी कथन किया कि माल मुकदमा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया था। अवलोकनीय यह है कि पत्रावली पर दाखिल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को A-23/3 लगायत A 23/4 उपलब्ध है जिनमें उपरोक्त समस्त सामग्रियो का उल्लेख है एवं जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उपरोक्त सामग्री बरामद न की जाती तो उपरोक्त सामग्रियां विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नहीं भेजी जा सकती थी। बरामद सामग्रियो का न्यायालय के समक्ष पेश न करने का कारण यह है कि जब पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय के साक्ष्य अंकित किये जा रहे थे तब तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्राप्त नहीं थी एवं यह समस्त सामग्रियां विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थित गोरखपुर में ही थी।

विवेचक द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त फूलचन्द की निशांदेही से नाले के पास नरकुल की झाड़ी से अभियुक्त फूलचन्द एवं अपराजिता के कपड़ो की

WWW.LIVELAW.IN

बरामदगी होने के कथन किये गये है। फर्द प्रदर्श क–2 पर साक्षी संतोष सिंह के हस्ताक्षर होने का कथन किया जा रहा है। पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि पुलिस ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने हुई पैन्ट, शर्ट, एक बन्डल बीड़ी, एक माचिस, एक पान मसाला व एक पुडिया तम्बाकू व एक अदद चड्डी और मृतका के अन्डर गारमेन्ट, चड्डी व एक अदद दुपट्टा अभियुक्त फूलचन्द कनौजिया की निशानदेही पर घटना स्थल के पास नाले पर लगी नरकुल के अन्दर से बरामद किया था। बरामदगी के समय वह तथा उसकी पत्नी मौके पर थी। बरामदगी के बाद दरोगाजी ने मौके पर ही फर्द बरामदगी तैयार की थी तथा बरामदशुदा माल को अलग–अलग सर्वमुहर कर मौके पर तैयार किया था। फर्द बरामदगी लिखने के बाद मौके पर ही अभियुक्त फूलचन्द व उसे तथा उसकी पत्नी को पढ़कर सुनाकर सभी के हस्ताक्षर फर्द पर दरोगाजी ने बनवाये थे। शामिल मिसिल फर्द बरामदगी सभी को पढ़कर सुनाई व दिखाई गयी तो गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। उपरोक्त साक्षी द्वारा भी अभियुक्त फूलचन्द से उपरोक्त बरामदगी की पुष्टि की जा रही है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार– ''परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से,जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो,प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है,तथा ऐसी जानकारी में से,उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं,जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।''

प्रस्तुत प्रकरण में अपराजिता के साथ बलात्कार हुआ। उसकी लाश नग्न अवस्था में पायी गयी अर्थात उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे।अभियुक्त फूलचन्द पर अपराजिता के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या करने के आरोप है,ऐसे में अभियुक्त की निशांदेही पर बरामद कपड़े जो भले ही संस्वीकृति की श्रेणी में आते है,एक जानकारी है जो उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सुसंगत तथ्य है जिन्हे साबित किया जा सकता है एवं इसी जानकारी की हद तक की गयी संस्वीकृति जो अपराध से सम्बन्धित हो साक्ष्य के रूप में ग्राहय भी की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा–**मोहम्मद इनायत उल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1976 SC 483 में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी के बावत महत्वपूर्ण विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि–** *The conditions necessary for the application of Section–27 are:(1)The fact must have been discovered in the consequence of the information received from the accused.(2)The person giving the information must be accused of an offence. (3) He must be in custody of a police officer.(4) That portion only of the information which relates distinctly to the fact discovered can be proved, The rest is inadmissible.(5) Before the statement is proved,somebody*

WWW.LIVELAW.IN

must depose that some articles were discovered in consequence of the information given by the accused.(6) The fact discovered must be a relevant fact,that is,to say it must relate to the commission of the crime in question.

माानननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि सिद्धान्त का अगर प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य से तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय के साक्ष्य के अनुसार जिस व्यक्ति की निशांदेही से सामग्रियो की बरामदगी हुई वह जानकारी देने से पूर्व गिरफ्तार किया जा चुका था एवं पुलिस अभिरक्षा में था। उपरोक्त विधि सिद्धान्त का अनुपालन इस तरह भी हुआ कि स्वयं पी०डब्लू० 9 जिन्होनें अभियुक्त की निशांदेही से उपरोक्त सामान बरामद किये,ने अपने मौखिक साक्ष्य में इस बरामदगी के बावत अभिवचन किये है। बरामद सामग्री महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह अपराजिता एवं अभियुक्त फूलचन्द के कपड़ो से सम्बन्धित है एवं प्रकरण बलात्कार का होने के कारण तथा प्रकरण की परिस्थितियो मे अपराजिता की नग्न अवस्था में लाश मिलने के कारण इन सामग्रियो की महत्ता और बढ़ जाती है।उपरोक्त विमर्श के आलोक में यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान को लागू करने से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि सिद्धान्तो के माध्यम से दी गयी शर्तो का पालन इस प्रकरण में किया गया है,ऐसे में क्योकि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने से पूर्व सभी शर्ते इस प्रकरण में मौजूद है,दौरान विवेचना अभियुक्त फूलचन्द द्वारा की गयी संस्वीकृति जो बरामदगी की जानकारी से सम्बन्धित है सुसंगत तथ्य है एवं इस तथ्य को साबित किया जा सकता है। केस डायरी के अवलोकनार्थ यह विदित है कि अभियुक्त फूलचन्द का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं०अंकित हुआ।अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र० सं० में अभियुक्त फूलचन्द ने अन्य कथन जो संस्वीकृति की श्रेणी में आते है के साथ–साथ यह भी कथन किया कि ''अपराजिता (मृतका का काल्पनिक नाम) घटना के समय पहने हुआ चड्ढी व दुपट्टा व जो मैं घटना के समय पैन्ट शर्ट व चड्ढी व बीड़ी माचिस,गुटखा लिया था उसे एक प्लाटिक के झोले में रखकर ननकऊ कहार के प्लाट में बने मड़हे के बगल **नरकुल की झाड़ में छिपाकर रख दिया हूँ जिसे चलकर बरामद करा सकता हूँ।''** इस कथन के उपरान्त उपरोक्त कपड़े अभियुक्त फूलचन्द द्वारा नरकुल की झाड़ी से निकाल कर दिये गये,ऐसे में अभियुक्त फूलचन्द के उपरोक्त रेखांकित कथन धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगत तथ्य है जिनको पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय द्वारा साबित भी किया गया है। पत्रावली पर उपरोक्त कपड़ो की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 के रूप में उपलब्ध है जिसे बरामदगी के समय उपस्थित साक्षी पी०डब्लू० 1 संतोष सिहं द्वारा साबित किया गया है,ऐसे में अभियुक्त फूलचन्द की निशांदेही से उसके तथा अपराजिता के कपड़े एक साथ बरामद हुए जो नरकुल में छुपाकर रखे गये थे,यह उसके विरूद्ध एक अतिरिक्त सुसंगत साक्ष्य है एवं यह साक्ष्य ऐसा है जो अभियुक्त फूलचन्द को अपराजिता के साथ हुई बलात्कार एवं हत्या के

WWW.LIVELAW.IN

अपराध से सीधा जोड़ता है एवं जिसके खण्डन करने का दायित्व उस पर ही है। यह भी कहना समीचीन प्रतीत होता है कि अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया जिससे यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बरामदगी उत्पीड़न द्वारा की गयी।बरामदगी उत्पीड़न द्वारा न होने के कारण विधि सम्मत है एवं अभियुक्त फूलचन्द के विरूद्ध एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है।**उपरोक्त विमर्श के आलोक में निम्नलिखित तथ्य भी साबित है।**

(1) धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियुक्त फूलचन्द की निशांदेही से की गयी कपड़ो की बरामदगी साबित है।

(2) फूलचन्द एवं अपराजिता के कपड़े एक साथ एक ही स्थान से मिलना अभियुक्त फूलचन्द की घटना में संलिप्तता के बावत एक अतिरिक्त कड़ी एवं प्रबल साक्ष्य है।

अभियुक्त रोशनलाल के बावत आये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण –

विवेचक पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय द्वारा अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के पूछने पर यह कथन किया कि वादी मुकदमा ने उस समय अभियुक्त रोशनलाल की घटना में संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं बताया था। यह भी कथन किया कि इस मामले की विवेचना जब तक उसके पास थी तब तक अभियुक्त रोशनलाल का प्रश्नगत घटना में संलिप्त होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त रोशनलाल से किसी भी सामग्री की बरामदगी नहीं की गयी और न ही उसे गिरफ्तार ही किया गया,ऐसे में इस साक्षी के साक्ष्य, अभियुक्त रोशनलाल के अपराध में संलिप्तता के बावत नगण्य है।

प्रकरण में द्वितीय विवेचक का आना एवं रोशनलाल के बावत दिये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण।

निर्णय में खण्ड षड़यन्त्र के भाग में यह साबित किया जा चुका है कि अभियुक्त रोशनलाल ने अपराजिता के साथ बलात्कार करने का षड़यन्त्र फूलचन्द के साथ मिलकर रचा । निर्णय के उपरोक्त सम्प्रेक्षण से यह भी साबित हुआ कि इस षडयन्त्र के निष्पादन में अभियुक्त रोशनलाल भी फूलचन्द के साथ अपराजिता की दुकान पर आया। निर्णय के उपरोक्त साक्ष्य सम्प्रेक्षण में यह भी निकलकर आया कि अभियुक्त रोशनलाल की भूमिका एक दुष्प्रेरक की थी। पी०डब्लू० 10 निरीक्षक रविन्द्र नाथ सिंह के मौखिक साक्ष्य के अनुसार जब वह साक्षी सुरेश यादव से मिला तो उसे इस प्रकरण के अपराधिक षड़यन्त्र की जानकारी हुई एवं तद्नुसार प्रथमबार अभियुक्त रोशनलाल का कृत्य पता चला।साक्षी पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा दिये गये साक्ष्य का सम्प्रेक्षण पूर्व में किया जा चुका है एवं उसके साक्ष्य को अगर पी०डब्लू० 10 रविन्द्र नाथ सिंह द्वारा दिये गये साक्ष्य से मिला कर पढ़ा जाये तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त रोशनलाल की भूमिका प्रस्तुत प्रकरण में एक षड़यन्त्रकारी की थी जिसने अपराजिता के साथ बलात्कार की घटना का षड़यन्त्र दुष्प्रेरण द्वारा रचा। निर्णय के उपरोक्त सम्पूर्ण सम्प्रेक्षण से अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध अपराजिता की दुकान पर आने के उपरान्त अन्य कोई प्रबल साक्ष्य ऐसे नहीं मिले जो अब तक यह साबित कर पाये कि अभियुक्त रोशनलाल की वास्तविक घटना में स्वयं संलिप्तता

WWW.LIVELAW.IN

थी अर्थात अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में षड़यन्त्र उपरान्त आयी साक्ष्य की कड़िया अपूर्ण है एवं आपस में मिली नहीं है। जहां तक षड़यन्त्र के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की कड़ियो का प्रश्न है यह कड़िया पूर्ण है जो अभियुक्त रोशनलाल के घटना में कारित किये गये षड़यन्त्र को प्रमाणित करती है।

प्रकरण से सम्बन्धित चिकित्सीय साक्ष्य का सम्प्रेक्षण/ अपराजिता के शरीर पर आयी चोटो पर विमर्श एवं वास्तविक अपराध के बावत निष्कर्ष।

अभियोजन द्वारा अपराजिता की शव विच्छेदन करने वाले चिकित्सक को पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 5 डा०तलहा शमसी द्वारा अपराजिता की शव विच्छेदन दिनांक 11–04–2021 समय 12.30 से 01.30 बजे तक होने का कथन किया जा रहा है। अपनी मौखिक परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि अपराजिता की शव की पहचान उसके चचेरे भाई भूपेन्द्र सिंह द्वारा की गयी थी। अवलोकनीय यह है कि भूपेन्द्र सिंह पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित हुए जिन्हें अपराजिता की लाश नाले में पड़ी हुई भी दिखायी दी,ऐसे में उपरोक्त दोनो साक्षियो के इस साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता के शव की शिनाख्त साबित है। पी०डब्लू० 5 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में अपराजिता के शव पर अकड़न मौजूद होने के कथन किये गये। अवलोकनीय यह है कि शरीर में अकड़न मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर तक रहती है। अपराजिता का पोस्टमार्टम दिनाक 11–04–2021 को दोपहर में 12.30 बजे हुआ एवं पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह के साक्ष्य के अनुसार अपराजिता की लाश दिनांक 10–04–2021 को रात लगभग 10.00 बजे मिली जो अगर पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये यह साक्ष्य की अन्तिमबार अपराजिता को उसने फूलचन्द के साथ दिनांक 10–04–2021 को 08.30 बजे देखा था,के साथ पढ़ा जाये तो घटना का समय रात के नौ से दस बजे के बीच होना भी प्रमाणित हो जाता है। इस चिकित्सक साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया कि अपराजिता के नाखूनो में कीचड़ था तथा उसके गुप्तांगो से खून रिस रहा था, उसके चारो तरफ खून जमा हुआ था। इस साक्षी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर दाखिल अपराजिता की शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित करते हुए उसके **शरीर पर लगभग चौदह चोटे आये** जाने का का विवरण दिया जा रहा है जो निम्नवत है–

(1) पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था।

(2) अब्रेजन 01 x 05cm. मृतका के बांई आँख के भौं के बाई तरफ मौजूद था।

(3) अब्रेजन 05 x 04cm. चेहरे के बाये गाल पर था जो कि मुंह से 02cm. बाई तरफ था।

(4) अब्रेजन 04 x 02cm दाहिनी गाल के ऊपर था जो दाहिनी ओंठ के दाहिनी तरफ सटा हुआ था।

WWW.LIVELAW.IN

*(5) अब्रेजन 02 **x** 03**cm** दाहिने कान से 02**cm** आगे चेहरे पर था।*

(6) मृतका के निचले ओठ पर सूजन मौजूद थी।

*(7) अब्रेजन 02 **x** 02**cm** बाये कन्धे के ठीक पीछे था।*

*(8) अब्रेजन 01 **x** 1/ 2**cm** दाहिने कन्धे के ठीक पीछे था।*

*(9) लिगेचर मार्क 12**cmx5cm** जो गले पर आगे की तरफ मौजूद था जो हाईड बोन को क्रास कर रहा था जिसकी दूरी दोनो कान से 4**cm**. से नीचे की तरफ थी।*

(10) अपराजिता के गुप्तांगो पर निम्न चोटो का विवरण दिया गया– फटा हुआ घाव जो लेबिया माईनोरा (गुप्तांग के अन्दर का भाग) अन्दर तक फटा हुआ था जिसमें हाईमन नामक झिल्ली भी फटी हुई थी जिसमें क्लाटेड खून मौजूद था।

*(11) अब्रेजन 03 **x** 1–1/5 **cm** जो (**Labia Majora**) गुप्तांग के बाये ओर का ऊपरी भाग तथा लेबिया मेजोरा दाहिनी ओर पर भी 1 **x ½ cm** का अब्रेजन था।*

*(12) कन्टयूजन 04 **x** 03**cm** जो गर्दन के पीछे की तरफ था, जिसे गहराई से देखने के बाद सरवाईकल वरडीग्रा (गर्दन की हड्डी) तीसरी एवं चौथी फ्रैक्चर पायी गयी एवं जिसमें ब्लड क्लाटिंग मिला था।*

*(13) अब्रेजन 06 **x** 04**cm** जो कि बटक के बायी तरफ मध्य में था।*

*(14) अब्रेजन 04 **x** 02**cm** जो दाहिनी बटक के बीच में था।*

पत्रावली पर दाखिल शव विच्छेदन आख्या उपरोक्त चोटो को प्रमाणित करती है। अपराजिता के गुप्तांगो का हाइमन फटा हुआ पाया जाना,लेबिया मेजोरा एवं लेबिया माइनोरा एब्रेटेड पाया जाना तथा गुप्तांगो से खून का रिसाव होना तथा गुप्तांगो के चारो ओर खून जमा होना अपराजिता के साथ हुई बलात्कार एवं लैंगिक प्रवेशन हमला की घटना को प्रमाणित करती है।अपराजिता के ओठ पर सूजन,कंधो के पीछे अब्रेजन,चेहरे एवं गाल पर अब्रेजन तथा दोनो बटक पर अब्रेजन की चोटे यह भी प्रमाणित करती है कि यह चोटे उसे बलात्कार के दौरान कारित की गयी है तथा उसे इस स्थिति में लाया गया जिससे उसे अपनी मृत्यु होना सम्भावित लगने लगे। अपराजिता के गर्दन पर लीगेचर मार्क 12x5cm पाया गया तथा उसके गर्दन की हड्डी फ्रेक्चर पायी गयी जिसमें क्लाटिंग भी मौजूद था,जिससे स्पष्ट है कि अपराजिता से बलात्कार उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कारित कर दी गयी। अपराजिता की मृत्यु का कारण उपरोक्त साक्षी द्वारा एन्टीमार्टम स्ट्रागुलेशन बताया गया है। पत्रावली पर अपराजिता की शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–4 के रूप में उपलब्ध है जिसमें हायड बोन का फ्रेक्चर होना पाया गया। मोदी के मेडिकल जुरिसपुडेन्स के अनुसार हायड बोन स्ट्रागुलेशन के प्रकरण में ही टूटा पाया जाता है। उपरोक्त विवेचना से भी स्पष्ट है कि अपराजिता की हत्या गला दबाकर कारित की गयी। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर इस साक्षी पी०डब्लू० 5 द्वारा यह कथन किया गया कि चोटे

WWW.LIVELAW.IN

अधिकतम चार से छः घण्टे की हो सकती है जिस पर बल देते हुए अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि चिकित्सक के इस साक्ष्य के अनुसार अपराजिता की मृत्यु का समय दिनांक 11–04–2021 की सुबह 06.00 बजे का होता है जो अभियोजन द्वारा लिये गये घटना के समय के अनुरूप नहीं है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था–**राम स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2000 (40) ACC432(SC)** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के अनुसार चिकित्सक चोटो के समय के बावत एक निश्चित समय बता पाने में सक्षम नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते है एवं इस बिन्दु पर आये मौखिक साक्षी पी०डब्लू० 1 संतोष सिंह के अपराजिता की लाश के देखे जाने का समय के बावत दिया गया कथन ही प्रमाणिक माना जायेगा। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर इस साक्षी द्वारा अपराजिता की मृत्यु दम घुटने के कारण होना पुनः कहा गया । पुनः अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं द्वारा तैयार की गयी अपराजिता से सम्बन्धित पूरक चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–8 को पुष्ट करते हुए इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया कि इस आख्या में उसने अपराजिता के साथ बलात्कार होना दर्शाया गया है।इस साक्षी द्वारा अपराजिता की वेजाइनल स्लाइड तैयार करने का भी कथन अपने साक्ष्य में किया गया है।अपराजिता की वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड की जांच करने वाले चिकित्सक को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 6 के रूप में परीक्षित कराया गया। पी०डब्लू० 6 राबिया सुल्ताना द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्वयं द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय आख्या को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया एवं अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा करने पर अपराजिता की वेजाइनल स्मेयर में टूटे तथा पूरे शुक्राणु पाये जाने का कथन किया गया। उनका यह साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–5 से भी पुष्ट होता है जो अपराजिता के साथ हुई बलात्कार की घटना को संदेह से परे साबित करता है। अवलोकनीय यह है कि अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। अभियोजन की ओर से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था– **हरिराज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020(3)JIC 764(All)** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अगर मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनो के बावत कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की जाती है तो मुख्य परीक्षा में किये गये कथन पूर्ण रूप से पढ़े जायेगें। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा न करके उपरोक्त साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य को अपने विरूद्ध एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बना लिया गया हैं। जिस लड़की के वेजाइनल स्मेयर में शुक्राणु पाये गये उसका अन्तिबार अभियुक्त फूलचन्द के साथ देखा जाना साबित है एवं जब यह भी साबित हो कि अन्तिमबार देखे जाने वाले समय से अपराजिता की मृत्यु अथवा उसकी लाश की बरामदगी का समय न्यूनतम हो जो इस प्रकरण में लगभग डेढ़ घण्टे का है, इस साक्ष्य को अभियुक्त फूलचन्द के विरूद्ध और प्रबल साक्ष्य की श्रेणी में लाते है।उपरोक्त

WWW.LIVELAW.IN

परीक्षित चिकित्सीय साक्षियो ने अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से अपराजिता के साथ हुई बलात्कार एवं हत्या के अपराध को साबित किया है।विवेचक मनोज राय पी०डब्लू० 9 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त फूलचन्द की निंशादेही से बरामद किये गये उसके एवं अपराजिता के कपड़े तथा अभियुक्त फूलचन्द से प्राप्त सैमपल तथा अपराजिता का वेजाइनल स्मेयर की स्लाइड डी०एन०ए०जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गयी। पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या कागज संख्या A23/3 लगायत A 23/4 उपलब्ध है जिसमें स्रोत प्रदर्श के रूप में अपराजिता के कपड़े जैसे चड्ढी,दुपट्टा, फ्राक,समीज,लैगींग,हेयर बैण्ड,बैण्ड धागा मय मोती का जांच में भेजा जाना पाया जाता है। अभियुक्त फूलचन्द से सम्बन्धित रक्त नमूना,प्यूबिक हेयर,नेल क्लीपिंग,पैन्ट,शर्ट,अण्डर वियर,बीड़ी का बण्डल,माचिस की डिबिया,पान मसाला पाउच,तम्बाकू पाउच स्रोत प्रदर्श के रूप में जांच में भेजा जाना पाया जाता है।डी०एन०ए०परीक्षण की आख्या के अनुसार अपराजिता से सम्बन्धित स्रोत प्रदर्श 11,12 एवं 17 जो क्रमशः उसका समीज, लैगींग एवं वेजाइनल स्लाइड है,पर उपस्थित बायलोजिकल द्रव्य का स्रोत प्रदर्श–1 जो अभियुक्त फूलचन्द का रक्त नमूना है,में समानता नहीं पायी गयी।डी०एन०ए०परीक्षण आख्या के अनुसार अपराजिता की चड्ढी पर पुरूष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी परन्तु आंशिक डी०एन०ए०जनरेट होने के कारण अभियुक्त के स्रोत प्रदर्श–1 से मिलान के बावत कोई अभिमत नहीं दिया जा सका। डी०एन०ए०परीक्षण आख्या के अनुसार स्रोत प्रदर्श 3 व 4 जो कि अभियुक्त का नेल क्लीपिंग तथा पैन्ट है एवं स्रोत प्रदर्श 9 तथा 10 जो कि अपराजिता का दुपट्टा एवं फ्राक है, में आंशिक डी०एन०ए०प्रोफाइल जनरेट हुआ। सुस्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के औपचारिक प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है।डी०एन०ए०जांच आख्या में अपराजिता की चड्ढी पर पुरूष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पाया जाना तथा अभियुक्त की नेल क्लीपिंग एवं उसके पैन्ट तथा अपराजिता के दुपट्टा एवं फ्राक में आंशिक डी०एन० ए० प्रोफाइल जनरेट होना अभियुक्त फूलचन्द को इस बलात्कार की घटना में सीधा संलिप्त करता है। अभियुक्त फूलचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि डी०एन०ए०जांच आख्या के अनुसार अभियुक्त फूलचन्द से लिये गये नमूना रक्त एवं अपराजिता के वेजाइनल स्लाइड में उपस्थित बायोलाजिकल द्रव्य में समानता नहीं पायी गयी जो अभियुक्त फूलचन्द के द्वारा बलात्कार की घटना कारित करना के तथ्य को संदेहास्पद बना देता है। उपरोक्त पर न्यायालय का यह मत है कि भारत में डी०एन०जांच की तकनीक एवं उसके सैम्पल एकत्रित करने की प्रक्रिया उतनी विकसित नहीं हुई है जैसा कि अन्य देशो में हो चुका है।डी०एन०ए०जांच में सटीक आख्या प्राप्त करने से पूर्व यह आवश्यक है कि प्रदर्शो की सैम्पलिंग तथा उसकी सुरक्षा उच्चकोटि की हो।प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 9 मनोज कुमार राय द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि अपराजिता की डी०एन०ए०जांच हेतु वेजाइना की द्वितीय स्लाइड प्राप्त किया जो असुरक्षित हालत में खुली हुई अन्य स्लाइडो के साथ एक डिब्बे में रखा हुआ था। यह भी

WWW.LIVELAW.IN

कथन किया कि उसमें से एक स्लाइड निकाल कर उसके सामने उसको सील मुहर करके उसे दिया गया। विवेचक के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपराजिता से प्राप्त वेजाइनल स्लाइड असुरक्षित रखी गयी थी। डी०एन०ए०टेस्ट के सम्बन्ध में सम्मानित विधि व्यवस्था– ***Pattu Rajan Vs. State of Tamil Nadu**, 2019(109)* ***ACC** 257(**Supreme Court**)–**के पैरा** 33* में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि–*"Like all other opinion evidence , the probative value accorded to DNA evidence also varies from case to case,depending on facts and circumstances and the weight accorded to other evidence on record whether contrary or corroborative. This is all the more important to remember,given that even though the accuracy of DNA evidence may be increasing with the advancement of science and technology with every passing day,thereby making it more and more reliable, we have not yet reached a juncture where it may be said to be infallible. Thus it can not be said that the absence of DNA evidence would lead to an adverse inference against a party,especially in the presence of other cogent and reliable evidence on record in favour of such party."*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में एवं इस प्रकरण में आये साक्ष्यो के आलोक में यह कहना समीचीन है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगणो के विरूद्व उनके कृत्य से सम्बन्धित ठोस साक्ष्य उपलब्ध है।पी०डब्लू० 9 का अपराजिता से सम्बन्धित वेजाइनल स्मेयर स्लाइड का असुरक्षित पाना यह प्रमाण है कि अपराजिता की वेजाइनल स्मेयर स्लाइड की सैम्पलिंग की प्रक्रिया उच्चकोटि की नहीं थी,ऐसे में इस डी०एन०ए०परीक्षण आख्या में कुछ असमानता होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर अभियुक्त फूलचन्द के पैन्ट एवं अपराजिता के दुपट्टा में आंशिक डी०एन०ए० प्रोफाइल जनरेट होना, ऐसे में जबकि अभियुक्त फूलचन्द को अन्तिमबार अपराजिता के साथ देखा जाना साबित हो तथा उसकी निशादेही पर ही उसके एवं अपराजिता के कपड़े एक साथ एक ही स्थान पर पाये जाने के साक्ष्य साबित हो तो यह सम्पूर्ण परिस्थितियां ऐसी है जो अभियुक्त फूलचन्द द्वारा ही अपराजिता के साथ बलात्कार एवं हत्या कारित करने के तथ्य को प्रमाणित करती है।इसकी प्रमाणिकता तब और प्रबल हो जाती है जब अभियुक्तगणो के विरूद्व इस अपराध को कारित करने से पूर्व षड़यन्त्र का अपराध भी साबित हो।

उपरोक्त विमर्श के आलोक में निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्य भी साबित होते है।

(1) अपराजिता के साथ बलात्कार हुआ।

(2) बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गयी।

(3) उसकी हत्या का समय लगभग 09.00 से 10.00 बजे दिनांक 10–04–

WWW.LIVELAW.IN

2021 का है।

(4) अभियुक्त फूलचन्द द्वारा ही अपराजिता के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या की गयी।

तद्‌नुसार इस विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या-3 से सम्बन्धित यह उपखण्ड (b) भी निस्तारित किया जाता है।

18- निर्णय में किये गये उपरोक्त साक्ष्य सम्प्रेक्षण से अभियुक्तगणो के विरूद्ध उनके कृत्य के बावत निम्नलिखित तथ्य साबित है अर्थात अभियेाजन द्वारा अभियुक्तगणो के विरूद्ध निम्नलिखित साक्ष्य की कड़ियो को आपस में जोड़ने में सफलता पायी गयी है।

(1) अभियुक्तगणो द्वारा अपराजिता से कामवासना की पूर्ति हेतु एक षड़यन्त्र रचा गया जिसका मुख्य किरदार अभियुक्त रोशनलाल था तथा इसी अभियुक्त ने,अभियुक्त फूलचन्द को घटना कारित करने हेतु दुष्प्रेरित किया।

(2) इस अपराध को करने के लिए दोनो अभियुक्तगण अपराजिता की दुकान पर एक साथ पहुंचे ।

इसके उपरान्त अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध आये साक्ष्य अभिवृद्धि माने गये जिन्हें उसके विरूद्ध महत्वहीन साक्ष्य होने का मत दिया गया।

(3) अभियुक्त फूलचन्द, अपराजिता को लेकर घर छोड़ने के बहाने, उसके साथ, समय 08.30 बजे दुकान से निकला एवं उसे जाते हुए तथा अपराजिता से बात करते हुए तथा अभियुक्त फूलचन्द को अपराजिता के साथ अन्तिमबार पी०डब्लू० 2 भूपेन्द्र सिंह द्वारा बहुत नजदीकी से देखा गया।

(4) अपराजिता की लाश नग्न अवस्था में दस बजे लगभग नाले के अन्दर मिली,जो घटना स्थल से मात्र 34 कदम की दूरी पर था।अपराजिता को फूलचन्द के साथ पी०डब्लू० 2 द्वारा अन्तिमबार समय 08.30 बजे देखना एवं उसकी लाश 10.00 बजे मिलना,में इतना कम समय है कि फूलचन्द के अतिरिक्त, किसी अन्य व्यक्ति का प्रकरण में अवतरण अथवा संलिप्तता नगण्य बनाता है।

(5) अभियुक्त फूलचन्द को उसी समय उसी स्थान से टार्च की रोशनी में भागते हुए पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 4 द्वारा देखा गया।

(6) अभियुक्त फूलचन्द की निंशादेही पर उसके एवं अपराजिता के कपड़े एक साथ नाले से सटी नरकुल की झाडी से बरामद हुए एवं यह जानकारी साबित की गयी।

(7) अपराजिता से बलात्कार एवं गला दबाकर हत्या की पुष्टि चिकित्सीय साक्षियो द्वारा की गयी।

(8) डी०एन०ए०परीक्षण आख्या में अपराजिता के अण्डर गारमेन्टस पर पुरूष विशिष्ट एलील की उपस्थिति पायी गयी एवं अभियुक्त फूलचन्द की नेल क्लीपिंग तथा पैन्ट तथा अपराजिता के दुपट्टा एवं फ्राक में आंशिक डी०एन०ए० प्रोफाइल जनरेट हुआ जिसे अगर उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियो के साथ जोड़कर देखा जाये तो यह तथ्य भी स्थापित है कि अभियुक्त फूलचन्द द्वारा ही अपराजिता के साथ बलात्कार करने के उपरान्त

WWW.LIVELAW.IN

साक्ष्य को मिटाने हेतु उसकी गला दबाकर हत्या कारित करके उसकी लाश को नाले में फेक दिया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त फूलचन्द के विरूद्ध आरोपित सभी अपराध के तथ्यो को स्थापित करते हुए साबित किया गया है।जहां तक अभियुक्त रोशनलाल का प्रश्न है, अभियोजन द्वारा अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध फूलचन्द द्वारा अपराजिता को व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के षड़यन्त्र करने के अपराध तथा इस षड़यन्त्र का दुष्प्रेरक होने के तथ्य को साबित किया गया है। अभियोजन, अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध यह साबित करने में असफल रहा है कि इस दुष्प्रेरण एवं इस षड़यन्त्र को करने के उपरान्त अभियुक्त रोशनलाल ने खुद अभियुक्त फूलचन्द के साथ मिल कर अपराजिता के साथ स्वयं बलात्कार कर उसकी हत्या कारित कर दी या वह यह जानता था कि फूलचन्द अपराजिता से बलात्कार करने के उपरान्त उसकी हत्या कर देगा अर्थात अभियोजन अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध मात्र अपराजिता को व्यपहरित करते हुए बलात्कार करने के आशय से दुष्प्रेरण द्वारा कारित षड़यन्त्र के अपराध को साबित करने में सफल रहा है।

<u>अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पेश किये गये अतिरिक्त तर्क एवं उस पर इस न्यायालय का मत</u>।

19- अभियुक्त रोशनलाल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस -मुम्बई उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था–**नवीन धनीराम बराईया बनाम महाराष्ट्र राज्य 2018 CRILJ 3393** पर बल दिया गया था। उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित विधि सिद्धान्त के अनुसार मामला अगर बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 से सम्बन्धित हो तो ऐसी दशा में अभियोजन पर यह दायित्व है कि अभियुक्तगणो के विरूद्ध, इस अधिनियम की धारा 29 एवं 30 की उपधारणा से पूर्व,आये समस्त तथ्य स्थापित करे। निर्णय के उपरोक्त साक्ष्य सम्प्रेक्षण उपरान्त यह मत दिया जा चुका है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणो से सम्बन्धित तथ्यो को स्थापित कर साबित किया गया है।अभियुक्त रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था –**आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021(1) JIC 651(All) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था –देवी लाल बनाम राजस्थान राज्य 2019(1)JIC 629(SC) पर बल देते हुए यह कथन किया कि** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलो में दोषसिद्धि करने से पूर्व न्यायालय को इस मत पर निश्चित होना चाहिए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे है जो अभियुक्त की दोषिता को प्रमाणित करते हो।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अभियुक्त के विषय में दो मत हो तो न्यायालय को उसी मत पर विचार करना चाहिए जो अभियुक्त को संदेह का लाभ दें। अभियुक्त रोशनलाल के कृत्य के बावत ठोस साक्ष्य उपलब्ध है जिनका खण्डन करने का दायित्व मात्र अभियुक्त रोशनलाल पर ही है और निर्णय में अबतक किये गये साक्ष्य सम्प्रेक्षण से अभियुक्त रोशनलाल द्वारा कारित षड़यन्त्र साबित है जिसकी निश्चित्ता इस

WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय द्वारा मानी जाती है,ऐसे में अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते है एवं उनके द्वारा बल दिये गये विधि सिद्धान्त इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो से भिन्न होने के कारण आकर्षित नहीं होते है। अभियुक्त रोशनलाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था–**हरबीर सिंह बनाम शीषपाल एवं अन्य** 2017 **CRI. L.J.** 169(**Supreme Court**) में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त पर बल दिया गया एवं यह कथन किया गया कि विवेचना में साक्षियो के बयान बिलम्ब से दर्ज करना एक विसंगति है जो अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाती है। यह तर्क उन्होनें पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव के बावत दी है जिसका बयान विवेचना में घटना के लगभग 28 दिन बाद हुआ। उपरोक्त तर्क पर न्यायालय का यह मत है कि पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव का बयान द्वितीय विवेचक द्वारा लिया गया। यद्यपि उसका बयान घटना के कुछ दिन बाद लिया गया है परन्तु मौखिक साक्ष्य में उसके बयान जो घटना से सम्बन्धित षड़यन्त्र के बावत है एवं जिससे अभियुक्त रोशनलाल का कृत्य प्रकाश में आया अक्षुण है एवं उन परिस्थितियों में उसकी महत्ता एवं प्रमाणिकता और भी पुष्ट हो जाती है,जब जिस कार्य हेतु षड़यन्त्र रचा गया वह कार्य वास्तविक रूप में हो गया हो।साबित साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस कार्य को करने के षड़यन्त्र का उल्लेख पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव द्वारा किया गया वह कार्य वास्तविक रूप में सम्पादित हुआ एवं अपराजिता के साथ बलात्कार हुआ। उपरोक्त विमर्श के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क भी बलहीन हो जाते है।

अभियुक्त फूलचन्द द्वारा लिया गया बचाव ।

20– अभियुक्त फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में यह साबित है कि वह षड़यन्त्र का भाग था,उसे अन्तिमबार अपराजिता के साथ देखा गया एवं वह लाश की बरामदगी के स्थल से भागता हुआ दिखायी दिया।यह भी साबित है कि अन्तिमबार देखे जाने वाले समय एवं मृतका की लाश की बरामदगी के समय में बहुत ही कम अन्तर है,ऐसे में अभियुक्त फूलचन्द पर यह दायित्व है कि वह उपरोक्त सभी बिन्दुओ अथवा अपने विरूद्ध आये साक्ष्य का उचित स्पष्टीकरण दें। अभियुक्त फूलचन्द द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में घटना को गलत बताया गया ,उसे गलत तरीके से रंजिशन फंसाया जाना बताया गया एवं यह भी कहा गया कि वह भूपेन्द्र के यहां ट्रैक्टर ड्राइवर का काम करता है एवं उसकी तनख्वाह नही दी गयी थी इसलिए उसे रंजिशन फंसा दिया गया है।उसके द्वारा अपने बचाव में न तो खुद को परीक्षित कराया गया और न ही अपने गांव के किसी अन्यत्र साक्षी को। अभियोजन साक्षियो के विषय में उनसे जमीनी विवाद होने का कथन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा अपराजिता के साथ अन्तिमबार देखे जाने के बावत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और न ही अपनी निशांदेही पर बरामद किये गये सामग्रियो के बावत ही कोई उचित स्पष्टीकरण ही दिया गया है जो इस दशा में उसके विरूद्ध एक सुसंगत तथ्य है।यह भी आश्चर्यजनक है कि उसका तथ्य के परीक्षित सभी साक्षियो से जमीनी विवाद है जिनमें से दो अपराजिता के परिवार से भी सम्बन्धित नहीं है।यह भी

WWW.LIVELAW.IN

आश्चर्यजनक है कि जिस व्यक्ति ने उसकी तनख्वाह नहीं दी एवं जिस व्यक्ति से उसका जमीनी विवाद है उसी व्यक्ति का वह ट्रैक्टर ड्राइवर है एवं इन परिस्थितियो के रहते हुए वह घटना के दिन भी उसी व्यक्ति का ट्रैक्टर बनवाने गया था।यह परिस्थितियां उसके कथन को स्वतः झूठा होना साबित करती है। उपरोक्त परिस्थितियो पर विमर्श के उपरान्त मैं इस निश्चित मत का हूँ कि अभियुक्त फूलचन्द अपनी निर्दोषिता साबित करने में असफल रहा है। विधि व्यवस्था–**विजयराय कवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य** 2019(4) **SCC** 210 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर अभियुक्त को घटना के तुरन्त पूर्व मृतक के साथ देखा गया तथा अभियुक्त के साथ पीड़िता को देखे जाने के उपरान्त मृतका की मृत्यु हो जाती है एवं अभियुक्त अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में अभियोगात्मक परिस्थितियो में स्पष्टीकरण देने में असफल रहा है,वहां पर घटना के तुरन्त पहले अभियुक्त को पीडिता के साथ देखा जाना एक सुसंगत तथ्य है। प्रस्तुत मामले में भी उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित विधि सिद्धान्त आकर्षित होते है। अभियोजन की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था–**उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश** 2005(2) **JIC** 27 **SC** में पारित विधि सिद्धान्त पर बल देते हुए यह कथन किया कि अन्तिमबार देखे जाने वाला सिद्धान्त तब आकर्षित होता है जब अभियुक्त को पीड़िता के साथ अन्तिमबार जीवित देखे जाने वाले समय एवं पीड़िता का मृत पाये जाने वाले समय में बहुत कम अन्तर हो, तब यह असम्भव हो जाता है कि अभियुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति अपराध का रचयिता हो। इस प्रकरण में भी अभियुक्त फूलचन्द को अपराजिता के साथ अन्तिमबार देखे जाने वाला समय एवं अपराजिता की लाश की बरामदगी के समय में न्यूनतम अन्तर है जो अभियुक्त फूलचन्द को ही अपराजिता के साथ हुए बलात्कार एवं हत्या का दोषी होना संदेह से परे साबित करता है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुदरू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** 2019(3)**JIC** 659(**SC**) में पारित विधि सिद्धान्त पर बल देते हुए यह कथन किया गया कि जहां अभियुक्त द्वारा झूठा बचाव किया गया हो, यह तथ्य उसके विरूद्ध अतिरिक्त साक्ष्य होगा जो उसकी दोषिता को निश्चित कर देगा। प्रस्तुत मामले में भी उपरोक्त सम्प्रेक्षण द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त फूलचन्द ने जिन परिस्थितियो का उल्लेख किया है वह अन्य परिस्थितियो के रहते हुए झूठी है,ऐसे में यह तथ्य उसके विरूद्ध एक अतिरिक्त साक्ष्य है जो उसकी दोषिता का और प्रबल निर्धारण करता है।

अभियुक्त रोशनलाल द्वारा लिया गया बचाव।

अभियुक्त रोशनलाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स०मे तथ्य के साक्षियो से खेत की रंजिश होने का उल्लेख किया गया है तथा भूपेन्द्र से स्पष्ट रूप से इस रंजिश के होने का कथन किया गया है।साक्षी सुरेश के विषय में चुनावी रंजिश होने का कथन किया गया है। अभियोजन कहानी को इस अभियुक्त द्वारा गलत बताया जा रहा है

WWW.LIVELAW.IN

तथा घटना के दिन अपने मौसी के घर जाना बताया जा रहा है। अपने कथन के समर्थन में इस अभियुक्त द्वारा दो साक्षियो को परीक्षित कराया गया। डी०डब्लू० 1 के रूप में पेशकार जो उसका सगा भाई है परीक्षित हुआ एवं जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त रोशनलाल का घटना के दिन सुबह 11 बजे अपनी मौसी की पोती के जन्मदिन के अवसर पर रायपुर गांव जाने का कथन किया जा रहा है एवं दूसरे दिन सुबह 09.00 से 10.00 बजे आने का कथन किया जा रहा है। बीरेन्द्र सिंह जो पी०डब्लू० 2 के पिता एवं पी०डब्लू० 1 के भाई है,से जमीनी रंजिश तथा पी०डब्लू० 3 सुरेश यादव से चुनावी रंजिश होने का कथन किया गया है। पी०डब्लू० 4 दिनेश शुक्ला के बावत यह कथन किया गया कि वह पी०डब्लू० 1 के करीबी है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारा गया कि वह रोशनलाल का भाई है तथा यह भी स्वीकारा गया कि भूपेन्द्र व उसके परिवार से किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। रायपुर गांव से अपने गांव की दूरी छः से सात कि०मी०होने के कथन किये गये है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त फूलचन्द के अन्यत्र उपस्थिति के साक्ष्य दिये गये है। उसका यह कहना कि साक्षी भूपेन्द्र कुमार से किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, उसके जमीनी विवाद के बावत दिये गये कथनो को सोचा समझा कथन की श्रेणी में लाते है जो साक्ष्य की दृष्टि से महत्वहीन है।अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धान्त के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा–**राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1977 SCC(Cri) 591** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि अन्यत्र उपस्थिति के अभिवाक को पूर्ण रूप से तथा निश्चितता से साबित किया जाना चाहिए जो घटना के समय तथा स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को विवर्जित करें। अभियुक्त रोशनलाल द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में अपनी मौसी के घर जाने का कथन किया जा रहा है परन्तु किसी विशिष्ट समय का उल्लेख नहीं किया गया है,ऐसे में रायपुर गांव का उसके गांव से मात्र छः से सात कि०मी०पर स्थित होना उसकी सगरा शराब भटठी पर षड़यन्त्र रचने की भूमिका को असम्भाव्य नहीं करता। यह दूरी इतनी कम है जो अभियुक्त रोशनलाल की घटना की तिथि पर सगरा शराब भट्ठी पर उपस्थिति तथा उसका फूलचन्द के साथ अपराजिता के दुकान पर समय 08.30 पर आना को निश्चितता से असम्भाव्य नहीं करती। डी०डब्लू० 2 के रूप में अभियुक्त रोशनलाल द्वारा अपने मौसी के लड़के संतोष को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 10–04–2021 को अपनी पुत्री के जन्मदिन होने का कथन किया गया है और उसी जन्मदिन में अभियुक्त रोशनलाल का उसके गांव रायपुर में ही दोपहर 12 बजे उपस्थित होने का कथन किया जा रहा है अर्थात इस साक्षी द्वारा भी अभियुक्त रोशनलाल के बावत अन्यत्र उपस्थिति के बचाव लिये गये है। इस साक्षी से जब प्रतिपरीक्षा की गयी तो उसके द्वारा यह कथन किया गया कि उसकी लड़की की जन्मतिथि उसको याद नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी पुत्री का जन्मतिथि नहीं मालूम वह अपनी पुत्री का दिनांक 10–04–2021 को जन्मदिन मना रहा हो और अभियुक्त रोशनलाल उसमें उपस्थित हो, यह आश्चर्यजनक है एवं समझ से परे है। यह परिस्थिति इस साक्षी के साक्ष्य को स्वतः झूठा

WWW.LIVELAW.IN

साबित करती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विमर्श उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण अपने कृत्य से सम्बन्धित, अभियोजन साक्षियो द्वारा साबित साक्ष्यो का खण्डन कर पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहे है,ऐसे में अभियुक्तगणो के विरूद्व अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से साबित किये गये तथ्य प्रमाणित है जो उनकी दोषिता को साबित करते है।

21–अन्तिम निष्कर्ष–

उपरोक्त सम्पूर्ण विमर्श उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियोजन द्वारा अपने समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य,चिकित्सीय साक्ष्य,षड़यन्त्र की घटना के साक्षी के माध्यम से यह संदेह से परे साबित किया गया है कि अभियुक्त फूलचन्द द्वारा ही अपराजिता जो कि एक अवयस्क लड़की थी,को व्यपहरित कर उसके साथ लैंगिक प्रवेशन हमला करते हुए बलात्कार कारित करने के उपरान्त उसको इतनी चोटे पहुंचायी कि अपराजिता अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाये तथा वास्तविकता में भी इस अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को छुपाने हेतु उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी,ऐसे में अभियुक्त फूलचन्द धारा 364, 376(3),302 भा०द०स० एवं धारा ¾ लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोष सिद्व किये जाने योग्य है।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्व अपराजिता जो कि एक अवयस्क लड़की थी,से फूलचन्द के साथ मिलकर बलात्कार करने का एक षड़यन्त्र रचा गया के तथ्य को साबित किया गया है।यह भी साबित है कि इस षड़यन्त्र के निष्पादन में उसके द्वारा फूलचन्द के साथ अपराजिता की दुकान पर जाकर एक व्यक्त कार्य किया गया। अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से यह भी साबित है कि यह षड़यन्त्र अभियुक्त फूलचन्द को दुष्प्रेरित करते हुए रचा गया। षड़यन्त्र में अभियुक्त रोशनलाल की मंशा, मात्र अपराजिता के साथ बलात्कार करने की थी एवं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया, जिससे कि यह साबित हो जाये कि अभियुक्त रोशनलाल यह जानता था कि बलात्कार के उपरान्त अपराजिता की हत्या भी हो जायेगी। अभियोजन, अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्व यह भी साबित करने में असफल रहा है कि क्या अभियुक्त रोशनलाल द्वारा अपराजिता के साथ खुद भी बलात्कार किया गया एवं क्या वह अभियुक्त फूलचन्द के साथ अपराजिता की हत्या में शामिल था। अभियुक्त रोशनलाल की मंशा एवं उसके दुष्प्रेरण द्वारा किये गये षड़यन्त्र के क्रियान्वयन मे अभियुक्त फूलचन्द द्वारा अवयस्क लड़की अपराजिता के साथ बलात्कार किया गया,ऐसे में अभियुक्त रोशनलाल मात्र अपनी मंशा के अनुरूप अभियुक्त फूलचन्द द्वारा निष्पादित व्यक्त कार्य के लिए उसी तरह दोषी होगा, जैसे कि उसने वह अपराध खुद किया हो।

उपरोक्त विमर्श उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त रोशनलाल धारा 364 सपठित धारा 109 भा०द०स०,376(3)सपठित धारा 109 भा०द०स०,धारा 120 बी भा०द०स० एवं धारा ¾ लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो का बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषसिद्व किये जाने योग्य है। धारा 302 भा०द०सं० के अपराध में अभियुक्त रोशनलाल

WWW.LIVELAW.IN

दोषमुक्त किये जो योग्य है,तद्नुसार निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

22- मुकदमा अपराध संख्या-67/2021,सत्र परीक्षण संख्या-643/2021 थाना बौण्डी जनपद बहाइच में अभियुक्त फूलचन्द को धारा 364,376(3),302 भा०द०स० एवं धारा ¾ लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध किया जाता है।अभियुक्त रोशनलाल को धारा 364 सपठित धारा 109 भा०द०स०, 376(3)सपठित धारा 109 भा०द०स०,धारा 120 बी भा०द०स० एवं धारा ¾ लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो का बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषसिद्ध किया जाता है। धारा 302 भा०द०सं० के अपराध में अभियुक्त रोशनलाल को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु एवं समुचित दण्डादेश पारित करने हेतु पत्रावली दिनांक 02–11–2021 को पेश हो।अभियुक्तगण/अभियोजन अगर दण्ड के प्रश्न पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है तो वह इसके लिए स्वतन्त्र है।पीडित पक्ष को भी सम्बन्धित थानाध्यक्ष के माध्यम से दण्ड की सुनवायी की तिथि से अवगत कराया जायें। अभियुक्तगण कल दिनांक 02–11–2021 को जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय के समक्ष पेश किये जाये।

(नितिन पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो ऐक्ट प्रथम
बहराइच।

दिनांकः01–11–2021

WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट-प्रथम, बहराइच

उपस्थित– नितिन पाण्डेय (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J. O. Code No.– UP1585}

सत्र परीक्षण संख्या- 643/2021

सरकार---अभियोगी
प्रति
1–फूलचन्द्र कनौजिया पुत्र स्व० ननकऊ
2– रोशनलाल पुत्र दुलारे,निवासीगण रेहुआ खास, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच
---अभियुक्तगण

अपराध संख्या- *67/2021*
धारा-*364, 376(3), 302, 120B* भा०द०सं०
एवं *धारा– 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012*
थाना- बौण्डी, जनपद-बहराइच

अभियोजन की ओर से उपस्थित- विशेष अभियोजक (दाण्डिक) संत प्रताप सिंह एवं सन्तोष सिंह एवं व्यक्तिगत अधिवक्ता के०एस० तोमर

अभियुक्त फूलचन्द की ओर से उपस्थित- विद्वान (न्यायमित्र)/ अधिवक्ता राज कुमार श्रीवास्तव

अभियुक्त रोशन लाल की ओर से उपस्थित- विद्वान अधिवक्ता राम छबीले शुक्ल लगातार

02–11–2021

23- **दण्ड** के बिन्दु पर **सुनवायी** हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई। सिद्ध दोष फूलचन्द व रोशनलाल न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर विद्वान विशेष अभियोजक (दाण्डिक)द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिद्ध दोष फूलचन्द द्वारा एक पन्द्रह वर्ष से कम बालिका का षड़यन्त्र उपरान्त बलात्कार करते हुए एवं उसके शरीर पर लगभग चौदह चोटे पहुंचाने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कारित कर दी गयी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराजिता के शरीर पर लगभग चौदह चोटे पायी गयी तथा उसके गुप्तांग भी खून से सने पाये गये। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराजिता की लाश पूर्ण नग्न अवस्था में पायी गयी जो अपराध कारित करने के तरीके को विरल से विरलतम की श्रेणी में लाता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस बलात्कार के षड़यन्त्र में सिद्धादोष रोशनलाल मुख्य किरदार था जिसके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप अपराजिता के साथ बलात्कार एवं हत्या कारित की गयी।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस अपराध से अपराजिता के गांव में दहशत हो गयी थी एवं ग्रामवासी डर गये थे। यह भी

WWW.LIVELAW.IN

तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराजिता की जिस तरीके से षड़यन्त्र उपरान्त बलात्कार करके हत्या कारित की गयी वह इस प्रकरण को विरल से विरलतम प्रकरण की श्रेणी में लाता है तथा सिद्धादोष को अपराजिता के साथ बलात्कार एवं हत्या के अधिकतम सजा का भागीदार बनाता है।याचना की गयी कि सिद्धादोष को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाये। पीड़ित पक्ष से अपराजिता के पिता उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उनकी लड़की सभी भाईयो में अकेली थी एवं सिद्धादोष द्वारा उसके साथ ऐसी वीभत्स घटना कारित कर पूरे परिवार को मृत्युपरान्त तक का दुख दे दिया गया है। याचना की गयी कि सिद्धादोष को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाये।

सिद्धादोष फूलचन्द की ओर से स्वयं यह तर्क रखा गया कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसकी पत्नी एवं बच्चे छोटे है,ऐसे में उसे क्षमा किया जाये। सिद्धादोष फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में नियुक्त न्यायमित्र/अधिवक्ता के निर्देश पर सिद्धादोष फूलचन्द का पक्ष रखने हेतु एक अन्य अधिवक्ता उपस्थित आये एवं न्यायालय की अनुमति से उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि फूलचन्द का यह प्रथम अपराध है,अतः उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

सिद्धादोष रोशनलाल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिद्धादोष रोशनलाल को अपराजिता की हत्या का दोषी नहीं माना गया है, उसे मात्र दुष्प्रेरणा एवं षड़यन्त्र के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सिद्धदोष का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है,ऐसे में उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

सिद्धादोष रोशनलाल द्वारा स्वयं यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने लड़की को छुआ तक नहीं,ऐसे में उसे क्षमा किया जाये।

उपरोक्त सभी को दण्ड के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक सुना गया ।

सिद्धदोष रोशनलाल को धारा 364 सपठित धारा 109 भा०द०स०, 376(3) सपठित धारा 109 भा०द०स०,धारा 120 बी भा०द०स० एवं धारा ¾ लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो का बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषसिद्ध किया गया है।उसे धारा 302 भा०द०स० के अपराध में दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध साबित अपराधो में कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जिसमें अधिकतम दण्ड, मृत्यु दण्ड हो।उसके विरूद्ध निर्णय में यह पाया गया कि उसके द्वारा फूलचन्द को दुष्प्रेरित किया गया तथा अपराजिता की बलात्कार की मंशा से षड़यन्त्र रचा गया।उसके विरूद्ध आये साक्ष्य के अभाव में उसका खुद घटना कारित करना एवं अपराजिता की हत्या करना साबित होना नहीं पाया गया,ऐसे में सिद्धदोष रोशनलाल का प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है।

सिद्धदोष फूलचन्द को अपराजिता का षड़यन्त्र उपरान्त बलात्कार कर हत्या कारित करने का दोषी पाया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार हत्या जैसे अपराध में अधिकतम दण्ड मृत्यु दण्ड है।प्रकरण एक पन्द्रह वर्ष से कम लड़की से सम्बन्धित है जिसे

WWW.LIVELAW.IN

सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा लगभग चौदह चोटे पहुंचाने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी। इस बलात्कार एवं हत्या के पूर्व किया गया षड़यन्त्र अभियुक्त फूलचन्द के कृत्य को गम्भीर बना देता है।

उपरोक्त तर्को को दृष्टिगत रखते हुए सिद्ध दोष फूलचन्द को उसके विरूद्ध साबित अपराध के परिप्रेक्ष्य में उचित दण्डादेश दिये जाने हेतु निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना समीचीन पाता हूँ।

विधि व्यवस्था **बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR** 1980 **SC** 898 में माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशो की पीठ द्वारा अपने निर्णय के निम्नलिखित प्रस्तरो में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि–

***151**. Section 354 (3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, marks a significant shift in the legislative policy underlying the Code of 1894 as in force immediately before April 1,1974, according to which both the alternative sentences of death or imprisonment for life provided for murder and for certain other capital offences under the Penal Code,were normal sentences. Now according to this changed legislative policy which is patent on the face of Section 354 (3), the normal punishment for murder and six other capital offence under the Penal Code, is imprisonment for life (or imprisonment for a term of years) and death penalty is exception.*

***152.** In the context, we may also notice Section 235 (2) of the Code of 1973,because it makes not only explicit, what according to the decision in Jagmohan's case was implicit in the scheme of the Code, but also bifurcates the trial by providing for two hearing , one at the pre- conviction stage and another at the pre-sentence stage. Although sub-section (2) of Section 235 does not contain a specific provision as to evidence and provides only for hearing of the accused as to sentence,yet it is implicit in this provision that if a request is made in that behalf by either the prosecution or the accused, or by both, the Judge should give the party or parties concerned an opportunity of producing evidence or material relating to the various bearing on the question of sentence. "Of course ", as was pointed out by this Court in-**Santa Singh Vs. State of Punjab ,AIR** 1976 **SC** 2386" care would have to be taken by the Court to See that this hearing on the*

WWW.LIVELAW.IN

question of sentence is not turned into an instrument for unduly protracting the proceedings. The claim of due and proper hearing would have to be harmonized with the requirement of expeditious disposal of proceedings."

***164**. Now,Section 235(2) provides for a bifurcated trial and specifically gives the accused person a right of pre-sentence hearing , at which stage,he can bring on record material or evidence , which may not be strictly relevant to or connected with the particular crime under inquiry, but nevertheless, have consistently with the policy underlined in Section 354(3), a bearing on the choice of sentence. The present legislative policy discernible from Section 235(2) read with Sec. 354(3) is that in fixing the degree of punishment or making the choice of sentence for various offences, including one under Section 302 Penal Code ,the Court should not confine its consideration " principally" or merely to the circumstances connected with particular crime, but also give due consideration to the circumstances of the criminal.*

***195**. In Jagmohan , this Court had held this sentencing discretion is to be exercised judicially on well-recognised principles, after **balancing all the aggravating and mitigating circumstances of the crime**. By "Well- recognised principles" the Court obviously meant the principles crystallised by judicial decisions illustrating as to what were regarded as aggravating or mitigating circumstances in those cases. The legislative changes since Jagmohan- as we have discussed already – do not have the effect of abrogating or nullifying those principles. The only efect is that the application of those principles is now to be guided by the paramount beacons of legislative policy discernible from Sections 354 (3) and 235(2), namely :*

*(1) **The extreme penalty can be inflicted only in gravest cases of extreme culpability**.*

*(2) **In making choice of the sentence, in addition to the circumstances of the offence, due regard must be paid to the circumstances of the offender also**.*

*197. **Pre-planned, calculated, cold-blooded murder** has always been regarded as one of an **aggravated kind.** In Jagmohan, it was reiterated by this Court that if a murder is **"diabolically conceived and cruelly***

WWW.LIVELAW.IN

***executed"**, it would justify the imposition of the death penalty on the murderer.*

The same principle was substantially reiterated by V.R. Krishna Iyer, J., speaking for the Bench, in Ediga Anamma, in these terms: " The weapons used and the manner of their use, the horrendous features of the crime and helpless state of the victim, and the like, steel the heart of the law for a sterner sentence."

***199.** With great respect, we find ourselves unable to agree to this enunciation. As we read Sectons 354(3) and 235 (2) and other related provisions of the Code of 1973, it is quite clear to us that for making the choice of punishment or for ascertaining the existence or absence of " special reasons", in that context, the Court must pay due regard both to the crime and the criminal. What is the **relative weight to be given to the aggravating and mitigating factors, depends on the facts and circumstances of the particular case**. More often than not, these two aspects are so intertwined that it is difficult to give a separate treatment to each of them. This is so because 'style is the man'. In many cases, the extremely cruel or beastly manner of the commission of murder is itself a demonstrated index of the depraved character of the perpetrator. That is why, it is not desirable to consider the circumstances of the crime and the circumstances of the criminal in two separate water- tight compratments. In a sense, to kill is to be cruel and therefore all murders are cruel. But such cruelty may very in its degree of culpability. And it is only when the culpability assumes the proportion of extreme depravity that "special reasons" can legitimately be said to exist.*

200. Drawing upon the penal statutes of the States in U.S.A. framed after Furman v. Georgia, in general, and clauses 2 (a), (b), (c) and (d) of the Indian Penal Code (Amendment) Bill passed in 1978 by the Rajya Sabha, in particular, Dr. Chitale has suggested these "aggravating circumstances ".

Aggravating circumstances :

A Court may, however, in the following cases impose the penlty of death in its discretion :

(a) if the murder has been committed after previous planning and involves extreme brutality; or

(b) if the murder involves exceptional depravity; or

(c) if the murder is of a member of any of the armed forces of the Union or of a member of any police force or of any public servant and was

WWW.LIVELAW.IN

committed–

(i) while such member or public servant was on duty; or

(ii) in consequence of anything done or attempted to be dome by such member or public servant in the lawful discharge of his duty as such member or public servant whether at the time of murder he was such member or public servant, as the case may be, or had ceased to be such member or public servant; or

(d) if the murder is of a person who had acted in the lawful discharge of his duty under Section 43 of the Code of Criminal procedure, 1973 or who had rendered assistance to a Magistrate or a police ofcer demanding his aid or requiring his assistance under Section 37 and section 129 of the said Code."

204. Dr. Chitaley has suggested these mitigating factors:

***Mitigating circumstances**:–*

In the exercise of its discretion in the above cases, the Court shall take into account the following circumstances:–

(1) That the offence was committed under the influence of extreme mental or emotional disturbance.

(2) The age of the accused. If the accuesd is young or old , he shall not be sentenced to death.

(3) The probability that the accused would not commit criminal acts of violence as would constitute a continuing threat to society.

(4) The probability that the accused can be reformed and rehabilitated. The State shall by evidence prove that the accused does not satisfy the conditions 3 and 4 above.

(5) That in the facts and circumstances of the case the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

(6) That the accused acted under the duress or domination of another person.

(7) That the condition of the accused showed that he was mentally defective and that the said defect impaired his capacity to appreciate the criminality of his conduct.

***207.** There are numerous other circumstances justifying the passing of the lighter sentence; as there are countervailing circumstances of aggravation. "We cannot obviously feed into a judicial computer all such situations since they are astrological imponderables in an imperfect and undulating society."*

WWW.LIVELAW.IN

Nonetheless, it cannot be over– emphasized that the scope and concept of mitigating factors in the area of death penalty must receive a liberal and expansive construction by the courts in accord with the sentencing policy writ large in Section 354(3). Judges should never be blood–thirsty. Hanging of murderers has never been too good for them. Facts and figures albeit incomplete, furnished by the Union of India, show that in the past, Courts have inflicted the extreme penalty with extreme infrequency– a fact which attests to the caution and compassion which they have always brought to bear on the exercise of their sentencing discretion in so grave a matter. It is, therefore, imperative to voice the concern that courts, aided by the broad illustrative guidelines indicated by us, will discharge the onerous function with evermore scrupulous care and humane concern, directed along the highroad of legislative policy outlined in Sec. 354 (3), viz., that for persons convicted of murder, life imprisonment is the rule and death sentence an exception. A real and abiding concern for the dignity of human life postulates resistance to taking a life through law's instrumentality. That ought not to be done save in the rarest of rare cases when the alternative option is unquestionably foreclosed.

*माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **माछी सिंह बनाम पंजाब राजय AIR** 1983 **SC 957** में निम्नलिखित प्रस्तरो में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि –*

***32**. The reasons why the community as a whole does not endorse the humanistic approach reflected in "death sentence in no case" doctrine are not far to seek. In the first place, the very humanistic edifice is constructed on the foundation of "reverence for life" principle. When a member of the community violates this very principle by killing another member, the society may not feel itself bound by the shackles of this doctrine. Secondly, it has to be realised that every member of the community is able to live with safety without his or her own life being endangered because of the protective arm of the community and on account of the rule of law enforced by it. The very existence of the rule of law and the fear of being brought to book operates as a deterrent to those who have no scruples in killing others if it suits their ends. Every member of the community owes a debt to the community for this protection.*

WWW.LIVELAW.IN

When ingratitude is shown instead of gratitude by 'killing' a member of the community which protects the murderer himself from being killed, or when the community feels that for the sake of self preservation the killer has to be killed, the community may well withdraw the protection by sanctioning the death penalty. But the community will not do so in every case. It may do so (in rarest of rare cases) when its collective conscience is so shocked that it will expect the holders of the judicial power center to inflict death penalty irrespective of their personal opinion as regards desirability or otherwise of retaining death penalty. The community may entertain such a sentiment when the crime is viewed from the platform of the motive for, or the manner of commission of the crime, or the ant-social or abhorrent nature of the crime, such as for instance:

I**. **Manner of Commission of Murder

When the murder is committed in an extremely brutal, grotesque, diabolical, revolting, or dastardly manner so as to arouse intense and extreme indignation of the community. For instance-

***(i)** When the house of the victim is set aflame with the end in view to roast him alive in the house,*

***(ii)** When the victim is subjected to inhuman acts of torture or cruelty in order to bring about his or her death.*

***(iii)** When the body of the victim is cut into pieces or his body is dismembered in a fiendish manner.*

II. Motive for commission of murder

When the murder is committed for a motive which evinces total depravity and meanness for instance when (a) a hired assassin commits murder for the sake of money or reward; (b) a coldblooded murder is committed with a deliberate design in order to inherit property or to gain control over property of a ward or a person under the control of the murder or vis-a-vis whom the murderer is in a dominating position or in a position of trust; (c) a murder is committed in the course for betrayal of the motherland.

III. Anti-social or socially abhorrent nature of the crime.

(a) When murder of a member of a Scheduled Caste or minority community etc, is committed not for personal reasons but in circumstances which arouse social wrath . For instance when such a crime is committed in order to terrorize such persons and

WWW.LIVELAW.IN

frighten them into fleeing from a place or in order to deprive them of, or make them surrender, lands or benefits conferred on them with a view to reverse past injustices and in order to restore the social balance.

(b) In cases of 'bride burning 'and what are know as 'dowry deaths' or when murder is committed in order to remarry for the sake of extracting dowry once again or to marry another woman on account of infatuation.

IV. Magnitude of crime

When the crime is enormous in proportion. For instance when multiple murders say of all or almost all the members of a family or a large number of persons of a particular caste, community, or locality, are committed.

V. Personality of victim of murder

When the victim of murder is (a) an innocent child who could not have or has not provided even an excuse, much less a provocation, for murder. (b) a helpless woman or a person rendered helpless by old age or infirmity. (c) when the victim is a person vis-a-vis whom the murderer is in a position of domination or trust, (d) when the victim is a public figure generally loved and respected by the community for the services rendered by him and the murder is committed for political or similar reasons other than personal reasons.

33. *In this background the guidelines indicated in Bachan Singh's case (supra) will have to be culled out and applied to the facts of each individual case where the question of imposing of death sentence arises. The following propositions emerge from Bachan Singh's case:*

(i) The extreme penalty of death need not be inflicted except in gravest cases of extreme culpability;

(ii) Before opting for the death penalty the circumstances of the 'offender' also require to be taken into consideration along with the circumstances of the 'crime';

(iii) Life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. In other words death sentence must be imposed only when life imprisonment appears to be an altogether inadequate punishment having regard to the relevant circumstances of the

WWW.LIVELAW.IN

crime, and provided and only provided, the option to impose sentence of imprisonment for life cannot be conscientiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all the relevant circumstances;

(iv) A balance-sheet of aggravating and mitigating circumstances has to be drawn up and in doing so the mitigating circumstances have to be accorded full weightage and a just balance has to be struck between the aggravating and the mitigating circumstances before the option is exercised.

***34.** In order to apply these guidelines inter- alia the following questions may be asked and answered:*

(a) Is there something uncommon about the crime which renders sentence of imprisonment for life inadequate and calls for a death sentence?

(b) Are the circumstances of the crime such that there is no alternative but to impose death sentence even after according maximum weightage to the mitigating circumstances which speak in favour of the offender?

***35.** If upon taking an overall global view of all the circumstances in the light of the aforesaid proposition and taking into account the answers to the questions posed hereinabove, the circumstances of the case are such that death sentence is warranted, the Court would proceed to do so.*

*माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुकेश बनाम दिल्ली राज्य AIR** 2017 **S.C.** **2161 जिसको निर्भया केस** भी कहा जाता है में निम्नलिखित प्रस्तरो में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया –*

*477. **Whether the Case falls under rarest of rare cases**:*

Law relating to award of death sentence in India has evolved through massive policy reforms-nationally as well as internationally and through a catena of judicial pronouncements, showcasing distinct phases of our view towards imposition of death penalty. Undoubtedly, continuing prominence of reformative approach in sentencing and India's international obligations have been majorly instrumental in facilitating a visible shift in court's view towards restricting imposition of death sentence. While closing the shutter of deterrent approach of sentencing in India, the small window of 'award of death sentence' was left open in the category of 'rarest of rare case'as held in Bachan Singh v. State of

WWW.LIVELAW.IN

Punjab (1980) 2 SCC 684: (AIR 1980 SC 898), by a Constitution Bench of this Court.

482. *After referring to a catena of judicial pronouncement post Bachan Singh (AIR 1980 SC 898) (supra) and Machhi Singh (AIR 1983 SC 957) (supra), in the case of Ramnaresh and Ors. v. State of Chhattisgarh (2012) 4 SCC 257: (AIR 2012 SC 1357), this Court, tried to lay down a nearly exhaustive list of aggravating and mitigating circumstances. It would be apposite to refer to the same here:*

***Aggravating circumstances**:*

(1) The offences relating to the commission of heinous crimes like murder, rape, armed dacoity, kidnapping, etc. by the accused with a prior record of conviction for capital felony or offences committed by the person having a substantial history of serious assaults and criminal convictions.

(2) The offence was committed while the offender was engaged in the commission of another serious offence.

(3) The offence was committed with the intention to create a fear psychosis in the public at large and was committed in a public place by a weapon or device which clearly could be hazardous to the life of more than one person.

(4) The offence of murder was committed for ransom or like offences to receive money or monetary benefits.

(5) Hired killings.

(6) The offence was committed outrageously for want only while involving inhumane treatment and torture to the victim.

(7) The offence was committed by a person while in lawful custody.

(8) The murder or the offence was committed to prevent a person lawfully carrying out his duty like arrest or custody in a place of lawful confinement of himself or another. For instance, murder is of a person who had acted in lawful discharge of his duty Under Section 43 Code of Criminal Procedure. When the crime is enormous in proportion like making an attempt of murder of the entire family or members of a particular community. When the victim is innocent, helpless or a person relies upon the trust of relationship and social norms, like a child, helpless woman, a daughter or a niece staying with a father/uncle and is inflicted

WWW.LIVELAW.IN

with the crime by such a trusted person.

(9) When murder is committed for a motive which evidences total depravity and meanness.

(10) When there is a cold-blooded murder without provocation.

(11) The crime is committed so brutally that it pricks or shocks not only the judicial conscience but even the conscience of the society.

***Mitigating circumstances**:*

(1) The manner and circumstances in and under which the offence was committed, for example, extreme mental or emotional disturbance or extreme provocation in contradistinction to all these situations in normal course.

(2) The age of the accused is a relevant consideration but not a determinative factor by itself.

(3) The chances of the accused of not indulging in commission of the crime again and the probability of the accused being reformed and rehabilitated.

(4) The condition of the accused shows that he was mentally defective and the defect impaired his capacity to appreciate the circumstances of his criminal conduct.

(5) The circumstances which, in normal course of life, would render such a behavior possible and could have the effect of giving rise mental imbalance in that given situation like persistent harassment or, in fact, leading to such a peak of human behavior that, in the facts and circumstances of the case, the accused believed that he was morally justified in committing the offence.

(6) Where the court upon proper appreciation of evidence is of the view that the crime was not committed in a preordained manner and that the death resulted in the course of commission of another crime and that there was a possibility of it being construed as consequences to the commission of the primary crime.

(7) Where it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of a sole eye-witness though the prosecution has brought home the guilt of the accused."

***484.** As dealing with sentencing, courts have thus applied the "Crime Test", "Criminal Test" and the "Rarest of the Rare Test", the tests examine whether the society abhors such crimes and whether such crimes shock the conscience of the society and attract intense and extreme indignation of the community . Courts*

WWW.LIVELAW.IN

have further held that where the victims are helpless women, children or old persons and the accused displayed depraved mentality , committing crime in a diabolic manner, the accused should be shown no remorse and death penalty should be awarded.

495. Another significant development in the sentencing policy of India is the 'victim-centric' approach, clearly recognized in Macchi Singh(AIR 1983 SC 957) (supra) and re-emphasized in a plethora of cases. It has been consistently held that the courts have a duty towards society and that the punishment should be corresponding to the crime and should act as a soothing balm to the suffering of the victim and their family. The Courts while considering the issue of sentencing are bound to acknowledge the rights of the victim and their family , apart from the rights of the society and the accused. The agony suffered by the family of the victims cannot be ignored in any case. In Mohfil Khan (supra), this Court specially observed that it would be the paramount duty of the Court to provide justice to the incidental victim of the crime- the family members of the deceased persons.

माननीय उच्चतम द्वारा अपने एक अति महत्वपूर्ण निर्णय ***पुरूषोत्तम दशरथ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 6 SCC 652*** *में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि* **–**

The object of sentencing policy should be to see that crime does not go unpunished and victim of crime as also the society has satisfaction that justice has been done to it. In case of offences against women & children,stricter yardstick ought to be adopted by the sentencing court. There are shockingly large number of cases where sentence awarded is not in proportion to gravity and magnitude of offence, thereby encouraging criminal and ultimately making justice suffer by weakening system's credibility.

माननीय उच्चतम न्यायालय नेअपने दो और महत्वपूर्ण निर्णय ***स्टेट आफ पंजाब बनाम सौरभ बक्सी(2015) 5 SCC 182 एवं रवाडा शशिकला बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश (2017) 4 SCC 546*** *में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –Principle of sentencing recognizes corrective measures but there are occasions when deterrence is an imperative necessity depending upon facts of a particular cases. It is absolutely misplaced sympathy. It is,in a way mockery of justice. Such a crime blights not only lives of victims but of many others around them. It ultimately shatters faith of public in judicial system. Undue*

WWW.LIVELAW.IN

sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the justice system to undermine the public confidence in the efficacy of law and the society cannot long endure under such serious threats. It is ,therefore, the duty of every court to award proper sentence by having regard to the nature of the offence and the manner in which it was committed. Imposition of sentence without considering its effect on the social order in many case may in reality be a futile exercise.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि सिद्धान्त के अतिरिक्त मैं विधि शास्त्रियो द्वारा दण्ड के बावत दिये गये उनके मत का भी उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ। विधि शास्त्री **होम्स** के अनुसार दण्ड का मुख्य उद्देश्य निरोध या निवारण है। जेरेमी बेन्थम के अनुसार दण्ड का मुख्य उद्देश्य निवारण एवं क्षतिपूर्ति है। **डा०एम०जे० सेठाना** के अनुसार दण्ड के उद्देश्य में अपराधी का सुधार करना,अपराधी को दुबारा अपराध करने से रोकना,अन्य व्यक्तियो को अपराध करने से रोकना,मस्तिष्क में यह धारणा उत्पन्न करना कि अच्छे कृत्य हमेशा पुरस्कृत होते है और बुरे कृत्य सदैव दण्डित होते है। जर्मन दार्शनिक **कान्त** के अनुसार कर्तव्य (कर्म)संसार में सर्वोच्च वस्तु है। कर्तव्य के अनुसार व्यक्ति को अधिकार(फल) मिलना ही चाहिए । दण्ड तभी उचित हो सकता है जबकि वह अपराध के अनुसार हो। **स्टीफन** के अनुसार जिस प्रकार एवं स्नेह एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है,उसी प्रकार अपराधिक कानून और प्रतिशोध एक दूसरे से सम्बन्धित है। **प्लेटो** के अनुसार दण्ड ही एक ऐसा साधन है जिससे अपराधियो का उपचार किया जा सकता है और अपराधो की संख्या में कमी की जा सकती है। प्लेटो के विचार में न्याय आत्म की अच्छाई एवं स्वास्थ्य है, अन्याय इसकी बीमारी एवं शर्मिन्दगी और दण्ड इस रोग का उपचार है।

उपरोकत विधि व्यवस्थाओ में प्रतिपादित विधि सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए तथा उपरोक्त विधि शास्त्रियो द्वारा दिये गये मत को भी दृष्टिगत रखते हुए सिद्धदोष फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में, मामले में उत्तेजक परिस्थितियां (Aggravating circumstances) एव शमनकारी परिस्थितियों (Mitigating circumstances) का तुलनात्मक विशलेषण और उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत मामले में उत्तेजक परिस्थितियाँ (Aggravating circumstances)इस प्रकार है–

*1– **अपराध/हत्या की प्रकृति एवं कारित करने का तरीका (Nature and Manner of Commission of Crime/Murder)*** – *प्रस्तुत प्रकरण में सिद्व दोष फूलचन्द द्वारा अपराजिता के साथ षड़यन्त्र के निष्पादन में लैगिंक प्रवेशन हमला करते हुए बलात्कार कारित किया गया एवं इसके उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कारित कर दी गयी और उसकी लाश को नाले में फेक दिया गया। अपराजिता की लाश नग्न अवस्था में नाले में मिली। अपराजिता की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार उसकी आंख के भौं के पास अब्रेजन,गाल पर*

WWW.LIVELAW.IN

अब्रेजन, दाहिने कान से दो से०मी० ऊपर चेहरे पर अब्रेजन, ओठ पर सूजन, बाये एवं दाहिने कंधे के ठीक पीछे अब्रेजन, गुप्तांग पूरा फटा हुआ तथा उसमें से खून का रिसाव होना, हाइमन फटा हुआ पाया जाना, गर्दन की तीसरी एवं चौथी हड्डी टूटी पायी जानी तथा दोनो बटक पर अब्रेजन जैसे चोटी पायी गयी। मृतका की मृत्यु का कारण उसकी गला दबाकर हत्या भी साबित हुआ है । सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा अपराजिता के साथ बलात्कार से पूर्व षड़यन्त्र कर इस अपराध को सुनियोजित तरीके से कारित किया गया। फूलचन्द अपराजिता के परिवार का ट्रैक्टर ड्राइवर था एवं उसका विश्वसनीय रहा होगा तथा सिद्धदोष द्वारा अपराजिता को धोखा देकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर अपराजिता से विश्वासघात किया गया । अपराजिता के शरीर पर आयी चोटे तथा उसके गुप्तांग पर आयी चोटे एवं उसकी लाश पूर्ण नग्न अवस्था में मिलना स्वतः यह प्रमाणित करती है कि यह अपराध फूलचन्द द्वारा किस बर्बरतापूर्वक किया गया है। अपराध की गम्भीरता और बढ़ जाती है जब यह अपराध एक अवयस्क लड़की जिसकी उम्र पन्द्रह वर्ष से भी कम हो , के साथ किया गया हो।

*2– **<u>अपराध/हत्या कारित करने के पीछे हेतुक (Motive of Commission of Crime /Murder)</u>**– प्रस्तुत मामले में सिद्ध दोष फूलचन्द द्वारा अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए अपने ही विश्वसनीय सम्बन्ध में से एक अवयस्क लड़की को चुना गया तथा उसके साथ बलात्कार कर उसे लगभग चोदह चोटे पहुंचायी गयी। अपराजिता के गुप्तांग तथा गुप्तांगो के अन्दर के भाग भी फटे पाये गये। सिद्धदोष यही नहीं रूका, उसने अपने अपराध को छुपाने हेतु अपराजिता की गला दबाकर हत्या कारित कर दी।इस अपराध के पीछे फूलचन्द का अपनी कामवासना की पूर्ति करने का उद्देश्य था।*

*3– **<u>अपराध की भयावहता (Magnitude of Crime)</u>** –प्रस्तुत प्रकरण में सिद्ध दोष फूलचन्द द्वारा वादी मुकदमा की चौदह साल ग्यारह महीने अट्ठाइस दिन लड़की का व्यपहरण कर उसके साथ पशुवत व्यवहार करते हुए बलात्कार कर हत्या कारित की गयी। उसने इस कृत्य को इस तरीके से किया जिससे अपराजिता की योनि पूरी लहुलुहान हो गयी और उसके आगे एवं पीछे का भाग फट गया।शव विच्छेदन आख्या में दर्शित अपराजिता की मृत्यु पूर्व चोटे सिद्धदोष द्वारा कारित कृत्य एवं उसके द्वारा कारित अपराध की भयावहता को दर्शाता है।*

*4– **<u>हत्या के पीड़िता का व्यक्तित्व (Personality of Victim of Crime/Murder)</u>**–प्रस्तुत मामले में सिद्ध दोष फूलचन्द द्वारा उसके ही गांव के वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री अपराजिता का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार/प्रवेशन लैगिंक हमला कर उसकी हत्या कारित कर दी गयी है। मृतका अपराजिता वादी मुकदमा की एक मात्र पुत्री थी। उसकी उम्र पन्द्रह वर्ष से कम थी,ऐसे में वह अधिक प्रतिरोध करने में समर्थ नहीं थी।वह विश्वास के कारण सिद्धदोष फूलचन्द के साथ चल दी एवं उसे नहीं मालूम था कि सिद्धदोष उसके साथ क्या करने वाला है।*

*5– **<u>हत्यारे /सिद्ध दोष की समाजिक एवं आर्थिक स्थिति–(Socio-Economic Condition of Murderer/Convict)</u>** –सिद्ध दोष फूलचन्द के कथनानुसार वह 25 वर्ष का है। देखने से भी वह 25 वर्ष का लगता है।उसके कथनानुसार वह एक निर्धन व्यक्ति है। उसके घर में उसकी पत्नी एवं उसके दो छोटे भाई है। घर से उसकी पैरवी के लिए अदालत पर कोई नही आता है। उसके मौखिक अनुरोध पर उसे सरकारी खर्चे पर उसका मुकदमा लड़ने के*

WWW.LIVELAW.IN

*लिए उसे न्याय मित्र की सेवांए प्रदान की गयी। विधि व्यवस्था–**पुरूषोत्म दशरथ बराट व एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR** 2015 **SC page** 2170 **में** यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिद्धदोष की आयु व पारिवारिक पृष्ठभूमि उपशमनकारी परिस्थितियो के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, साथ ही उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि अभियुक्त इस बिन्दु का भी लाभ नहीं पा सकता कि उसके ऊपर परिवार के भरण पोषण का दायित्व है।*

6– अपराधी का अपराधिक विवरण– (Criminal Antecedents of the offender)–

विशेष अभियोजक (दाण्डिक) द्वारा दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी के समय सिद्धदोष फूलचन्द के विरूद्ध कोई भी अपराधिक इतिहास का विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

7– अपराध का समाज पर प्रभाव (Effect of Crime on the Society)

–सिद्वदोष द्वारा अपने ही गांव के वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री का व्यपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के उपरान्त उसकी मृत्यु कारित कर दी। अपराजिता की शरीर पर गम्भीर चोटे आयी तथा उसके गर्दन की हड्डी टूटी पायी गयी। अपराजिता के गुप्तांग लहु लहुान और फटे पाये गये।सिद्धदोष द्वारा अपराजिता के साथ जानवरो का व्यवहार करते हुए उसकी हत्या कारित कर दी। सिद्धदोष द्वारा अपराजिता से अपने विश्वसनीय सम्बन्ध का लाभ लेकर यह जघन्य अपराध कारित किया। पी०डब्लू० 9 विवेचक मनोज कुमार राय द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में इस आशय से साक्ष्य दिये है कि उस समय इस घटना से व आसपास के गांव में इतनी दहशत थी कि लोग कूछ बताने से भी डर रहे थे।अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया कि महौल इतना खराब था कि जानकारी नहीं हो पायी कि कौन–कौन लोग शव उठाकर नाले से घर लाये थे। यह भी साक्ष्य दिया कि घटना स्थल पर उसके पहुंचने पर गांव का महौल काफी खराब था एवं अफरा तफरी मची थी। इस साक्षी के साक्ष्य से यह साबित है कि इस घटना ने समाज पर बहुत बुरा असर डाला। सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा अपराजिता को अपराध के दौरान लगभग चौदह चोटे पहुंचायीं। सिद्धदोष द्वारा अपराजिता के साथ लैंगिक प्रवेशन हमला करते हुए उसकी योनि को फाड़ डाला तथा अपराजिता के गुप्तांग खून से लथपथ मिले।क्या एक व्यक्ति अपनी वासना की भूख को शान्त करने के लिए एक अवयस्क लड़की के साथ इतनी दरिन्दगी कर सकता है। ऐसी घटनाओ से सामाजिक समरसता विपरीत रूप से प्रभावित होती है तथा ऐसी घटना समाज को हिलाकर रख देती है। पड़ोसी भी अपने पड़ोसी पर विश्वास करना बन्द कर देता है। बच्चे एवं महिलाएं पुरूषो को संदेह से देखना शुरू कर देते है। समाज में भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है, ऐसे में समाज को, शासन, प्रशासन एवं न्यायपालिका से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे जघंन्य एवं घृणित अपराध को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति को कठोरतम दण्ड दिया जाये। अपराजिता के पिता ने अपनी पुत्री की नग्न अवस्था में उसकी लाश देखी जिससे यह भी अनुमानित किया जा सकता है कि उस समय तथा आजीवन एक पिता को किस दुख का सामना करना पडेगा उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा कारित अपराध के कारण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

8– अपराधी के सुधार की सम्भावना (Possibility of Reformation of Offender)– *सिद्धदोष फूलचन्द ने जिस तरीके से अपराजिता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कारित की, वह उसकी अपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। दौरान विचारण वह प्रतिदिन कार्यदिवस पर न्यायालय उपस्थित आता रहा, परन्तु उसके चेहरे पर ग्लानि का कोई भाव*

WWW.LIVELAW.IN

प्रकट नहीं हुआ। सिद्धदोष फूलचन्द की अपराधिक मानसिकता को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसके भविष्य में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है। सिद्धदोष फूलचन्द समाज के लिए खतरा है।

प्रस्तुत मामले में शमनकारी परिस्थितियां (Mitigating circumstances) इस प्रकार है-

*(1) **अपराधी की आयु–(Age of Offender)**–सिद्धदोष ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० में अपनी उम्र 25 वर्ष बतायी है । वह देखने से भी 25 वर्ष का लगता है।*

*(2) **अपराधी पर परिवार की निर्भरता –(Dependency of the Family on the Offender)**– सिद्धदोष फूलचन्द के कथनानुसार वह विवाहित है।उसके परिवार में उसकी पत्नी व दो छोटे बेटे है। दौरान विचारण उससे किसी को भी मिलते नहीं देखा गया । उसकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति बनती है एवं कुछ हद तक उसका परिवार उसपर निर्भर भी रहता होगा,परन्तु यह परिस्थिति ऐसी है कि जिस पर अगर विचार भी कर लिया जाये एवं सिद्धदोष को आरोपित अपराध के न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये तो भी वह आजीवन जेल में ही रहेगा एवं उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पायेगी।*

*(3) **विचारण के दौरान अपराधी का आचरण –(Conduct of the Offender during Trial)**–सिद्धदोष फूलचन्द गिरफ्तार होने के उपरान्त से ही न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। विचारण के दौरान वह न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित आता रहा है। उसका आचरण संतोषजनक रहा है।*

24– न्यायालय को **अपराध ,अपराधी ,पीड़ित तथा समाज** को दृष्टिगत रखकर न्यायोचित दण्डादेश पारित करना होगा जिससे की उपरोक्त चारो इकाइयों के हितो में संतुलन स्थापित किया जा सके। **न्यायालय को समाज में बढ़ते बालको के यौन अपराधो को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड के निरोधात्मक सिद्धान्तो का भी ध्यान रखना होगा। प्रोफेसर एच०एल०ए०हार्ट** ने दण्ड को उसके निम्नलिखित तत्वो के आधार पर परिभाषित किया है।उनके अनुसार दण्ड में निम्नलिखित बाते होना आवश्यक है।

1–उसमें ऐसे परिणामो का समावेश होना चाहिए जो दुखदायी या असुखकारी हो।

2–वह विधि के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए देय हो।

3–वह किसी अभियुक्त को उसके अपराध के परिणामस्वरूप दिया गया हो।

4–वह न्याय व्यवस्था के अधीन राज्य द्वारा अधिकृत प्राधिकारियो तथा प्रशासित हो तथा

5–वह अपराध के स्वरूप,उसकी गम्भीरता तथा समाज में उसके कारण उत्पन्न होने वाली हानि के अनुरूप हो। दूसरे शब्दो में दण्ड और अपराध में परस्पर सम्बन्धता रहती है। **सिद्धदोष फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में दण्ड के सुधारात्मक सिद्धान्त का भी ध्यान रखना होगा एवं यह देखना होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में दण्ड के कौन से सिद्धान्त आकर्षित होते है।**

प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित उत्तेजक परिस्थितियों (*Aggravating circumstances*) तथा शमनकारी परिस्थितियों (*Mitigating circumstances*) के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त उत्तेजक परिस्थितियों (*Aggravating circumstances*) का पलड़ा भारी पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण

WWW.LIVELAW.IN

में सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा जिस क्रूरतम प्रकार से अपराध कारित किया गया है और उसका जो प्रभाव पीड़ितपक्ष एवं समाज पर पड़ा है,वह सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा कारित अपराध को विरल से विरलतम (*Rarest of Rare*)की परिधि में लाता है। शमनकारी परिस्थितियों (*Mitigating circumstances*) में से कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो सिद्धदोष द्वारा कारित अपराध को विरल से विरलतम(*Rarest of Rare*) की परिधि से बाहर ले जाकर उसे मृत्यु दण्ड से अन्यथा कोई दण्ड देने को न्यायोचित बनाती हो।

मोहम्मद मन्नान उर्फ अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य(2011)5 **SCC** 317 के मामले में सात वर्षीय बालिका के साथ 43 वर्षीय अभियुक्त द्वारा बलात्कार कर हत्या की गयी थी जिसमें अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया गया था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया। इसी प्रकार **बन्तू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2008)11 **SCC** 113 के प्रकरण में 05 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कारित की गयी थी। इस प्रकरण में अभियुक्त को दिये गये मृत्यु दण्ड के दण्डादेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा–**धन्नजय चर्टजी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 2 ACC page** 220 के प्रकरण में सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा 18 वर्ष की विद्यालय जाने वाली असहाय युवती के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने के प्रकरण में सिद्धदोष के विरूद्ध मृत्युदण्ड के दण्डादेश को इस आधार पर पुष्ट किया कि सिक्योरिटी गार्ड का दायित्व रक्षा करना होता है जबकि अभियुक्त ने उसके विपरीत कार्य किया। प्रस्तुत प्रकरण में भी फूलचन्द अपराजिता का ट्रैक्टर ड्राइवर था तथा उसका विश्वास प्राप्त कर रात में उसको घर छोड़ने के लिए ले गया एवं उसको घर सुरक्षित न पहुंचा कर, उसके साथ विश्वासघातकर बलात्कार उपरान्त उसकी हत्या कर दी।

उल्लेखनीय यह है कि प्रश्नगत प्रकरण में भी सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा चौदह माह ग्यारह महीने अट्ठाइस दिन की अपराजिता को व्यपहरित करके उसके साथ पाशविक तरीके से बलात्कार किया गया जिससे उसकी योनि फट गयी।इसके उपरान्त इस व्यक्ति द्वारा उसकी गला दबाकर हत्या कारित कर दी गयी। अपराजिता के शरीर पर लगभग चौदह चोटे पायी गयी। वह नग्न मृत अवस्था में घटना के तुरन्त बाद मिली।सिद्धदोष फूलचन्द को अपराजिता की उम्र का ज्ञान था एवं उसे पता था कि वह अवयस्क है एवं जिसका शरीर सम्भोग हेतु विकसित भी नहीं हुआ होगा। सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा कारित अपराध न केवल बर्बर, क्रूर एवं अमानवीय है अपितु उसके द्वारा कारित अपराध मानवता की हत्या के बराबर है।एक अवयस्क लड़की जिसने उसके ऊपर विश्वास कर उसके साथ जाने को उचित माना के साथ सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा ऐसा लैंगिक प्रवेशन हमला किया गया जिसने उसकी योनि को क्षतिग्रस्त कर दिया।वह यह नहीं रूका उसने अपराजिता की गला दबाकर हत्या भी कर दी। उसका यह कृत्य क्रूरता की पराकाष्ठा था।

इस प्रकरण में सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा अपराजिता के साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी। इस सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा एक अवयस्क कन्या को इस पृथ्वी का आनन्द लेने से पूर्व ही मार डाला गया। सिद्धदोष फूलचन्द ने एक मां एवं पिता को

WWW.LIVELAW.IN

अपनी पुत्री की ममता /स्नेह से भी वंचित कर दिया एवं अपने कृत्य से समाज तथा पीड़ित पक्ष पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डाला जो उनके मस्तिष्क से कभी भी धूमिल नहीं होगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियो,अपराध की प्रकृति,अपराध की भायावहता ,अपराध का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव एवं अपराधी की परिस्थितियो का अवलोकन करने के पश्चात,यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रस्तुत मामले में सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम (*Rarest of Rare*) मामलो की श्रेणी में आता है और उपरोक्त वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओ में पारित विधि सिद्धान्त की परिधि में आता है और उनमें उल्लिखित मानको की कसौटी पर भी खरा उतरता है,ऐसे में इस प्रकरण में सिद्धदोष फूलचन्द के परिप्रेक्ष्य में मात्र दण्ड **के निरोधात्मक सिद्धान्त आकर्षित होते है,** ऐसे में सिद्धदोष फूलचन्द कारित अपराध के लिए **मृत्यु दण्ड** (*Capital Punishment*) से दण्डित किये जाने योग्य है। जहां तक सिद्धदोष रोशनलाल का प्रश्न है,यह साबित नहीं हुआ कि उसने खुद भी अपराजिता का बलात्कार एवं उसकी हत्या कारित की। निर्णय में साक्ष्य सम्प्रेक्षण दौरान यह पाया गया कि षड़यन्त्र में उसकी मंशा मात्र अपराजिता के साथ बलात्कार करने की थी।सिद्धदोष रोशनलाल द्वारा अपराजिता की हत्या करने की मंशा नहीं साबित हुई। उसे बलात्कार के दुष्प्रेरण में दोषी पाया गया,ऐसे में क्योंकि उसके द्वारा बलात्कार एवं हत्या की घटना स्वयं नहीं कारित की गयी है, उसकी भूमिका सिद्धदोष फूलचन्द से भिन्न है,ऐसे में सिद्धदोष रोशनलाल अपने से सम्बन्धित साबित अपराध के लिए उस धारा में वर्णित न्यूनतम दण्ड का अधिकारी है।

24– लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की **धारा 42 वैकल्पिक दण्ड** का प्रावधान करती है जिसके अनुसार यदि भारतीय दण्ड संहिता एवं लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत तय किये गये दोनो आरोप सिद्ध होते है तो उस दशा में जिस अधिनियम में दण्ड की मात्रा अधिकतम होगी,उसी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डादेश पारित किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण में **सिद्धदोष फूलचन्द** को धारा 364,376(3),302 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों में दोषसिद्ध किया गया है। धारा 376(3)भा०द०स०एवं धारा ¾ लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 सामान प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित है। धारा 376(3) भा०द०स० में कठिन कारावास जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष पाकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी,दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। धारा 4 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की उपधारा 2 के अनुसार जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैगिक हमला करेगा,वह कारावास से जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा,

WWW.LIVELAW.IN

तक की हो सकेगी,दण्डित किया जायेगा,और जुर्माने का भी दायी होगा। इस प्रकार से भा०द०स० व पाक्सो अधिनियम में दण्ड की मात्रा समान है,चूकिं पाक्सो अधिनियम 2012 विशेषतः अवयस्क बच्चो के लिए यौन शोषण अपराधो के लिए बनाया गया है,ऐसी दशा में सिद्धदोष फूलचन्द का दण्डादेश धारा ¾ लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया जाना न्यायोचित होगा। प्रश्नगत मामले के तथ्यो के आधार पर यह स्पष्ट है कि सिद्धदोष फूलचन्द द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी के अन्तर्गत आता है,अतः सिद्धदोष फूलचन्द को धारा ¾ लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के संशोधित प्रावधानो के तहत बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं मु०दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। धारा 364 भा०द०सं० के अपराध में सिद्धदोष फूलचन्द को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं मु० दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायोचित होगा। धारा 302 भा०द०स० के अपराध में सिद्धदोष फूलचन्द को मृत्युदण्ड एवं मु० चालिस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करना न्यायोचित होगा।

सिद्धदोष रोशन लाल को धारा 364 सपठित धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता,धारा 376(3) सपठित धारा 109 भा०द०स०,धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषसिद्ध किया गया है। धारा 302 भा०द०स०के अपराध में सिद्धदोष रोशनलाल को दोषमुक्त किया गया है। धारा 120 बी भा०द०सं० के तहत षड़यन्त्र के दण्ड के लिए अगर इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार ,दण्डित किया जायेगा,मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।सिद्धदोष रोशनलाल का दुष्प्रेरक होना साबित है,ऐसे में उसे दुष्प्रेरक की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में संहिता में दिये गये दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। सिद्धदोष रोशनलाल को धारा 376(3) सपठित धारा 109 भा०द०स० एवं धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपो में दोषसिद्ध किया गया है। धारा 376(3) सपठित धारा 109 भा०द०स० एवं धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दोनो समान प्रकृति के अपराध है एवं जिनमे समान दण्ड का प्रावधान है,चूकि पाक्सो अधिनियम विशेषतः अवयस्क बच्चो के लिए यौन शोषण अपराधो के लिए बनाया गया है,ऐसी दशा में सिद्धदोष रोशनलाल के परिप्रेक्ष्य में दण्डादेश धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में पारित किया जाना न्यायोचित होगा। सिद्धदोष रोशनलाल के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उसे धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये

WWW.LIVELAW.IN

के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा,क्योकि सिद्धदोष रोशनलाल को दुष्प्रेरक की भूमिका में कारावास से दण्डित किया जा रहा है,ऐसे में धारा 120 बी भा०द०स० के अपराध के तहत उसके विरूद्ध दण्डादेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा।सिद्धदोष रोशनलाल को धारा 364 सपठित धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं मु० दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार निम्नवत दण्डादेश पारित किया जाता है।

25— **सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया के विरूद्ध दण्डादेश**

मुकदमा अपराध संख्या—67/2021 विशेष सत्र परीक्षण संख्या— 643/2021 थाना बौण्डी जनपद बहराइच के मामले में सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाता है।

1— सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को धारा ¾ लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं मु०दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

2— सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **मृत्यु दण्ड एवं चालिस हजार रूपये (40,000/—)**के **अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है।अर्थदण्ड अदा न करने पर सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाये जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये। (***Convict Phoolchand Kanaujiya be hanged by Neck till he is dead***)

3— सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध मे **दस वर्ष** के कठोर कारावास एवं मु०दस हजार रूपये (10,000/—)के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

4— सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को दी गयी सभी उपरोक्त सजाएं साथ —साथ चलेगी। सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

5— **सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया को दिये गये मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से धारा 366 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डादेश की पुष्टि होने के उपरान्त ही किया जायेगा।**

6— **धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुपालन में सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में मृतका

WWW.LIVELAW.IN

अपराजिता (प्रकरण की मृतका का काल्पनिक नाम) की नैर्सगिक माता को अदा किया जाये।

26- सिद्धदोष रोशनलाल के विरूद्ध दण्डादेश

मुकदमा अपराध संख्या–67/2021 विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 643/2021 थाना बौण्डी जनपद बहराइच के मामले में सिद्धदोष रोशनलाल को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाता है।

1–सिद्धदोष रोशनलाल को धारा 364 सपठित धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दस वर्ष के कठोर कारावास एवं मु० दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

2– सिद्धदोष रोशनलाल को धारा ¾ लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सपठित धारा 17 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

3–सिद्धदोष रोशनलाल को दी गयी सभी उपरोक्त सजाएं साथ –साथ चलेगी। सिद्धदोष रोशनलाल द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उपरोक्त दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

4–**धारा 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुपालन में सिद्धदोष रोशनलाल द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में मृतका अपराजिता (प्रकरण की मृतका का काल्पनिक नाम) की नैर्सगिक माता को अदा किया जाये।

अन्य आदेश

1– अपराजिता के माता–पिता की अवयस्क पुत्री की बर्बरतापूर्वक बलात्कार उपरान्त हत्या कर दी गयी। सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया बलात्कार के साथ–साथ हत्या जैसे अपराध का भी दोषी पाया गया। सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया द्वारा अपनी हवस की पूर्ति हेतु अपराजिता के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया गया जिससे उसको गम्भीर चोटे आयी और उसकी मृत्यु हो गयी। **धारा 357A दण्ड प्रक्रिया संहिता (पीड़ित प्रतिकर योजना)एवं धारा 9 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण नियम 2020** के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए एवं यह मत रखते हुए कि मृतका अपराजिता के माता एवं पिता ही उसकी मृत्यु से सबसे ज्यादा पीड़ित है तथा उपरोक्त दिलाये जाने वाली प्रतिकर की धनराशि इतनी अधिक नहीं जो उनके संतान विलोप की उचित प्रतिपूर्ति कर सके, मैं राज्य सरकार से मृतका अपराजिता के पीड़ित माता पिता को उचित प्रतिकर देने की संस्तुति करता हूँ। **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच** से अनुरोध है कि वह उपरोक्त प्रतिकर दिलाये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

2– **धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुपालन में इस निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट बहराइच को प्रेषित की जाये।

WWW.LIVELAW.IN

3– दोनो सिद्धदोष को निर्णय की एक–एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये तथा उनको सूचित किया जाये कि वह इस निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध अपील कर सकते है।

4– दोनो सिद्धदोष का सजायाबी वारन्ट बनाकर जिला कारागार बहराइच अविलम्ब प्रेषित किया जाये।

5– **नियम 64(पुराना नियम 67)जी०आर० क्रिमिनल 1977 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–47 दिनांकित 23 अप्रैल 1958** के अनुपालन में सिद्धदोष फूलचन्द कनौजिया की मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि हेतु मामला नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

(नितिन पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो ऐक्ट प्रथम
दिनांकः 02–11–2021 बहराइच।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के पश्चात सुनाया गया ।

(नितिन पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो ऐक्ट प्रथम
दिनांकः 02–11–2021 बहराइच।

टंकक– विनोद सिंह(आशुलिपिक)